VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स Workbook

अगस्त 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

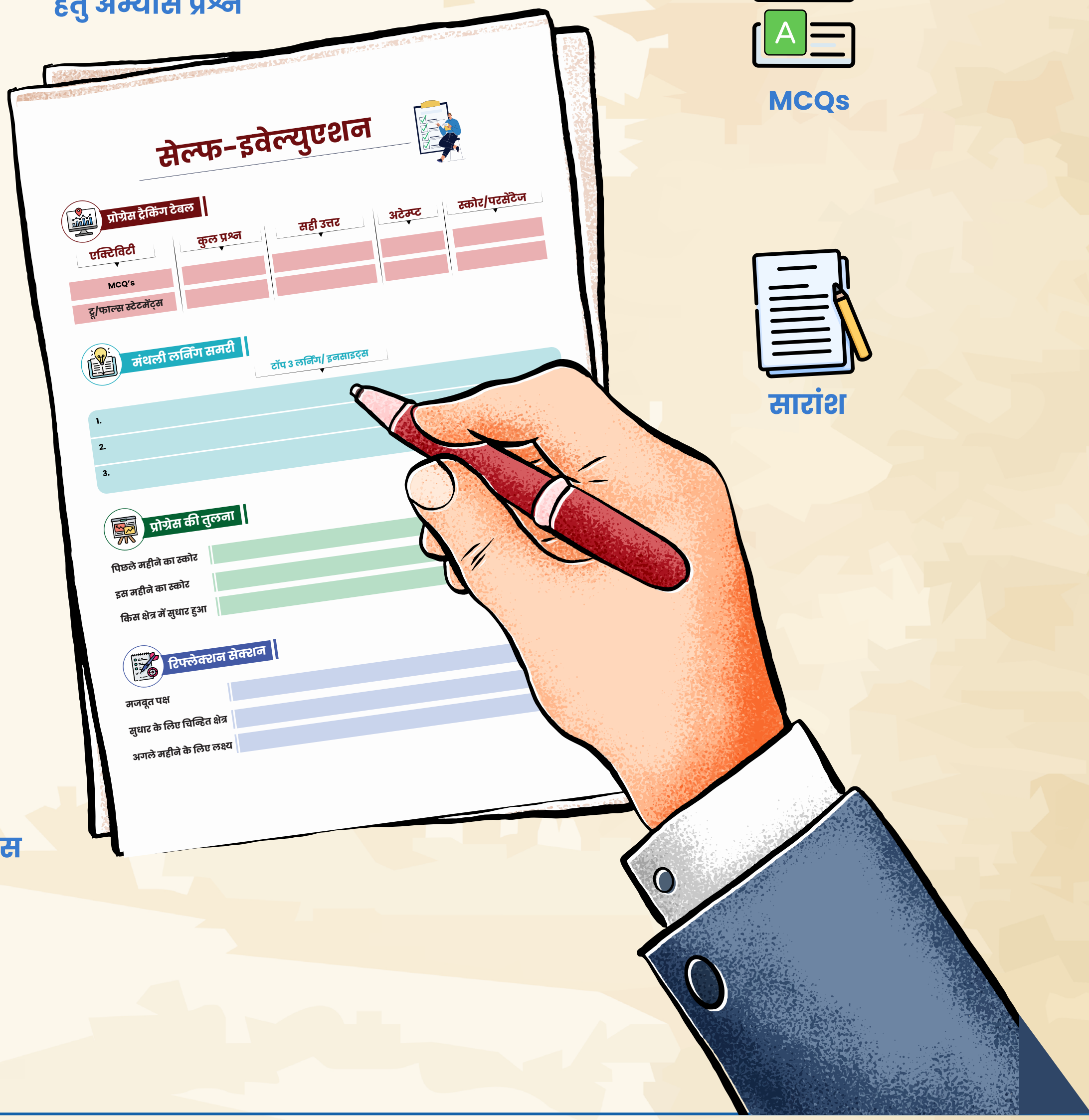

सारांश

स्मरणीय तथ्य

ट्रू/ फाल्स स्टेटमेंट्स

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई** | **JODHPUR : 15 सितम्बर**

फास्ट ट्रैक कोर्स 2026
सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

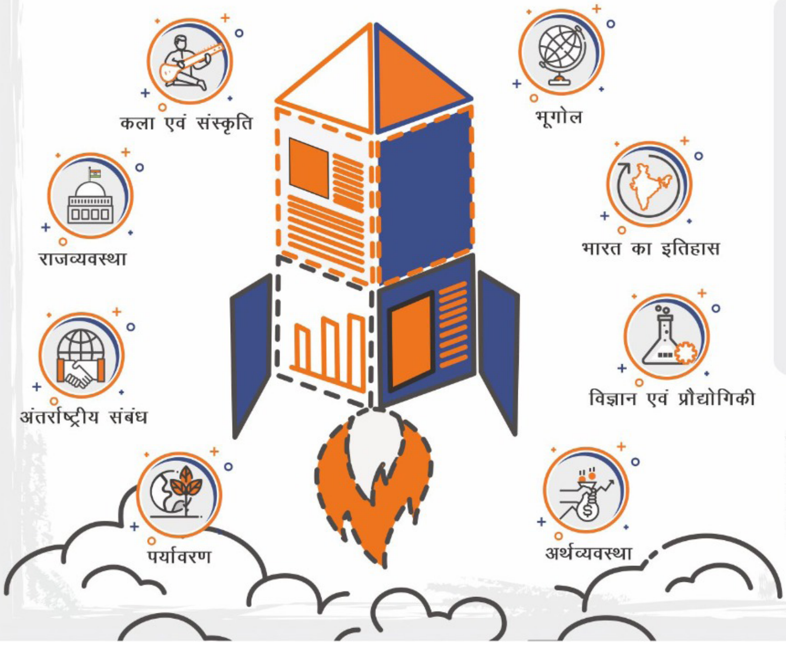

इसमें निम्नलिखित शामिल हैः

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

हिन्दी माध्यम 7 OCT, 5 PM | **ENGLISH MEDIUM** 13 OCT, 2 PM

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY & GOVERNANCE)

1.1. संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 . . . 6

1.2. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 . . . 7

1.3. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 . . . 8

1.4. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 . . . 9

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 11

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था . . . 13

2.2. हिंद महासागर में भारत की रणनीति . . . 13

2.3. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) की केंद्रीयता . . . 15

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 16

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

3.1. उत्पाद राष्ट्र. . . . 20

3.2. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन . . . 20

3.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण . . . 21

3.4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम . . . 23

3.5. नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी . . . 23

3.6. खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 . . . 24

3.7. गिग वर्कर्स . . . 24

3.8. आयकर अधिनियम, 2025 . . . 25

3.9. पर्यावरण, सामाजिक और शासन . . . 25

3.10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग . . . 26

3.11. भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 . . . 27

3.12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना . . . 28

3.13. एम. एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती . . . 29

3.14. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 29

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन . . . 32

4.2. रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि . . . 33

4.3. सुदर्शन चक्र मिशन . . . 34

4.4 संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 34

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. ई-मोबिलिटी . . . 36

5.2. आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का संकल्प . . . 37

5.3. हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं . . . 38

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 38

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. शहरी प्रवासन . . . 41

6.2., आदि कर्मयोगी अभियान. . . . 42

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 43

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम . . . 45

7.2. भारत का पहला वाणिज्यिक भू-प्रेक्षण (EO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन . . . 46

7.3 संक्षिप्त सुर्ख़ियां . . . 47

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. गोस्वामी तुलसीदास जी . . . 49

8.2. काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल 50
8.3. वीरता पुरस्कार 50
8.4. राष्ट्रमंडल खेल 51
8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 51

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास 52
9.2. आवारा कुत्तों के प्रबंधन की नैतिकता 53

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1. प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 55
10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना. 55

11. क्विक फैक्ट्स

12. एक्टिविटी (ACTIVITIES)

12.1 बहुविकल्पीय प्रश्न 61
12.2. सत्य/असत्य (T/F) कथन. 63
12.3 मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न 63
12.4. एथिक्स केस स्टडी. 64

13. उत्तर और व्याख्या (ANSWERS AND EXPLANATION)

13.1. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) उत्तर और व्याख्या. . . . 65
13.2. सत्य/असत्य (T/F) कथनों के उत्तर. 66
13.3. मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण. . . 67
13.4. केस स्टडी हेतु दृष्टिकोण. 69

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

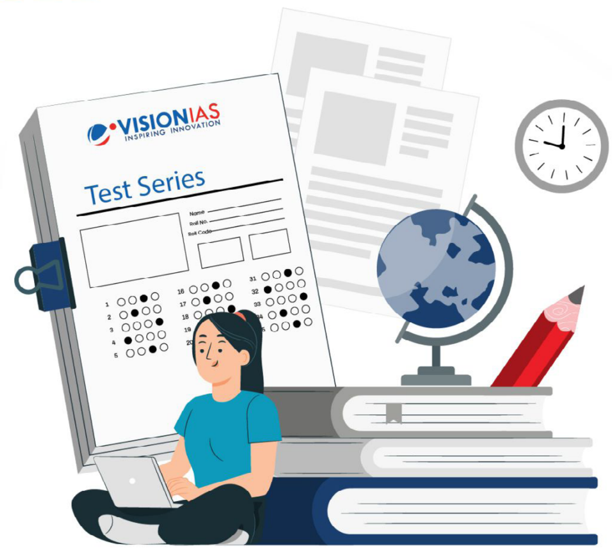

2026 | ENGLISH MEDIUM 7 SEPTEMBER | हिन्दी माध्यम 7 सितम्बर

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

वर्कबुक का अगस्त संस्करण आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को संरचित, अभ्यास-उन्मुख और विश्लेषणात्मक रूप से समृद्ध बनाने के हमारे प्रयास को जारी रखता है।

यह संस्करण महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत परिवर्तनों को एक साथ लाता है, इसमें शासन में जवाबदेही की मांग करने वाले **संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक, 2025** से लेकर **ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 और राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025** तक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करना है।

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के खंड में, यह वर्कबुक **हिंद महासागर क्षेत्र में** भारत की उभरती रणनीति, **एक निष्पक्ष और प्रतिनिधि** वैश्विक व्यवस्था पर बहस और **आसियान की केंद्रीयता** की बदलती भूमिका **का विश्लेषण करती है। भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी** और **भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)** के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताओं** जैसे विकास को उजागर करता है, जो भारत की वैश्विक भूमिका को उजागर करते हैं।

आर्थिक खंड से, संरचनात्मक मुद्दों जैसे कि भारत की **उत्पाद राष्ट्र** बनने की आकांक्षा, **क्षेत्रीय असंतुलन** से निपटने और **रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण** जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक विषयों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही **ब्लू इकोनॉमी, गिग वर्कर्स का कल्याण, आयकर अधिनियम 2025** और **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सुधार** जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन चर्चा की गई है।

सुरक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास में **उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन** से लेकर **निजी रक्षा उत्पादन में वृद्धि** और **सुदर्शन चक्र मिशन** की शुरुआत भारत की अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बल देते हैं। पर्यावरणीय खंड में, **ई-मोबिलिटी, जलवायु अनुकूलन** और **शहरी लचीलेपन** पर ध्यान सतत विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है।

वर्कबुक कैसे व्यवस्थित है?

1. **मासिक पत्रिका का सारांश –** आवश्यक बिंदुओं की त्वरित पुनरावृत्ति।
2. **क्विक फैक्ट्स ब्लॉक –** प्रमुख डेटा बिंदुओं का एकत्रीकरण।
3. **एक्टिविटी ब्लॉक –**
   - **MCQs –** स्मरण शक्ति को बढ़ाने हेतु।
   - **सही/गलत कथन –** अवधारणा स्पष्टता हेतु।
   - **मुख्य परीक्षा का अभ्यास –** उत्तर लेखन कौशल विकसित करने हेतु।
   - **नीतिशास्त्र केस स्टडी –** दुविधाओं में अनुप्रयोग का परीक्षण।
4. **उत्तर और व्याख्याएं –** स्व-मूल्यांकन हेतु।
5. **प्रगति ट्रैकिंग के लिए तालिका –** निरंतरता की निगरानी हेतु।

हम आपको इस वर्कबुक को एक इंटरैक्टिव साधन के रूप में उपयोग करने, नियमित रूप से रिविज़न करने और अनुशासन के साथ उत्तर लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए समसामयिक विषयों पर महारत हासिल करने के लिए निरंतरता, विचारों की स्पष्टता और विश्लेषणात्मक गहराई महत्वपूर्ण हैं।

सादर,
करंट अफेयर्स टीम
VisionIAS

> **अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल है।**
> – जिम रॉन

राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

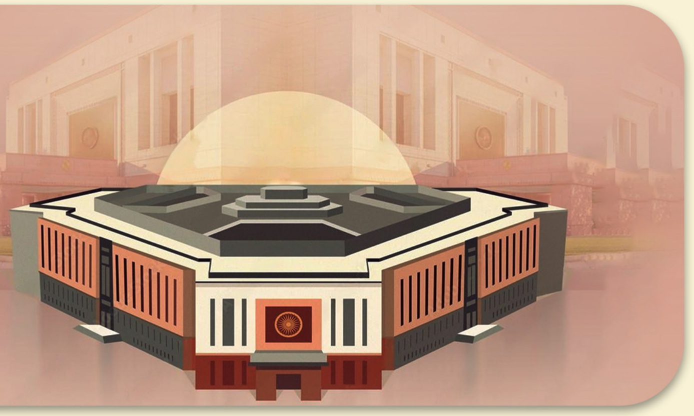

1.1. संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 {The Constitution (One Hundred and Thirteenth Amendment) Bill, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने **लोक सभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025** पेश किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि **प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र व राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का कोई मंत्री** किसी गंभीर अपराध के लिए लगातार **30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत** में रहता है, तो उसे पद से हटाया जाएगा।
  - इसके लिए संविधान के **अनुच्छेद 75, 164 और 239AA** में संशोधन का प्रस्ताव है।
- यही प्रावधान **पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश** पर भी लागू होगा। इसके लिए **केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025** प्रस्तुत किया गया है।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025** भी यही प्रावधान **जम्मू और कश्मीर पर लागू** करता है। इसके तहत **उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री/ मंत्रियों को हटाने** का अधिकार प्राप्त होगा।
- ये तीनों विधेयक विस्तृत जांच और चर्चा के लिए **संयुक्त संसदीय समिति** को भेजे गए हैं।

संविधान संशोधन विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **पद से हटाने का आधार:** किसी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा यदि उसे **पांच या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत** में रखा जाता है। यह प्रावधान **प्रधानमंत्री** पर भी लागू होगा।
- **पद से हटाने की प्रक्रिया:**
  - **केंद्रीय मंत्री (प्रधानमंत्री को छोड़कर):** राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर **31वें दिन** ऐसे मंत्री को उसके पद से हटाना होगा। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक कोई सलाह नहीं देता है, तो **मंत्री स्वतः 31वें दिन से पदमुक्त** हो जाएगा।
  - **राज्यों के मंत्री (मुख्यमंत्री को छोड़कर):** इसमें **राज्यपाल** मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। यदि मुख्यमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देता है, तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
  - **दिल्ली के मंत्री (मुख्यमंत्री को छोड़कर): राष्ट्रपति**, दिल्ली के **मुख्यमंत्री की सलाह** पर ऐसे मंत्री को हटाएगा। यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देता है, तो 31वें दिन मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
  - **प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री (केंद्र/ राज्य/ दिल्ली):** यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लगातार **30 दिन तक हिरासत** में रहता है, तो उसे **31वें दिन तक अपना पद त्यागना** होगा। यदि वह त्याग-पत्र नहीं देता है, तो **31वें दिन** से वह स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
- **पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं:** हिरासत से रिहाई के बाद पद पर वापस आने की अनुमति है।

विधेयक के पक्ष में तर्क	विधेयक के विपक्ष में तर्क
• **संवैधानिक नैतिकता: मनोज नरूला** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को मंत्री बनाने से बचना चाहिए। • **जनविश्वास की रक्षा:** यह **भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई** को दर्शाता है। • **सुशासन:** यह **"जेल से शासन चलाने"** को रोकता है और जवाबदेही बढ़ाता है। • **कानूनी कमियों को दूर करना:** यह **गिरफ्तारी और दोषसिद्धि** के बीच के समय को भी कवर करता है। • **अन्य कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता:** सरकारी कर्मचारियों को **48 घंटे तक हिरासत में रहने के बाद निलंबन का सामना करना पड़ता है**, इसलिए मंत्रियों पर भी समान मानक लागू होने चाहिए।	• **राजनीतिक दुरुपयोग: ED और CBI** जैसी एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। • **निर्दोष माने जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल:** केवल **गिरफ्तारी या हिरासत** के आधार पर पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। • **असंगतता:** जहां **सांसद/ विधायक केवल दोष सिद्ध होने पर अयोग्य होते हैं**, वहीं मंत्री को सिर्फ गिरफ्तारी पर ही त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। • **"रिवॉल्विंग डोर" की समस्या:** मंत्री **बार-बार इस्तीफा देकर और वापस आकर अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।** • **राजनीतिकरण: प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री इस प्रावधान का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निशाना बनाने** के लिए कर सकते हैं।

अन्य: इससे **राजनीतिक दलों में निष्पक्षता** को बढ़ावा मिलेगा और फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ संतुलन बनेगा।	**सुरक्षा उपायों की कमी: गलत गिरफ्तारी होने पर** राहत का कोई प्रावधान नहीं। UAPA जैसे कठोर कानूनों के दुरुपयोग का खतरा, जबकि दोष सिद्ध होने के मामले बहुत कम हैं।

अपराध के बाद अयोग्यता के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा और फैसले

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 8(3): धारा 8(3)** दो साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में दोषी पाए जाने पर विधायक/ सांसद को अयोग्य ठहराती है।
- **लिली थॉमस (2013) वाद का निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने RPA की **धारा 8(4) को रद्द** कर दिया, जिसमें दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने पर वर्तमान सदस्य अयोग्यता से बच जाता था।
- **मनोज नरूला बनाम भारत सरकार (2014):** कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों, विशेष रूप से गंभीर अपराधों वाले लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (2018) की PIL:** कोर्ट ने कहा कि कानून से बाहर जाकर नए अयोग्यता के आधार नहीं जोड़े जा सकते। संसद ऐसे कानून बनाए, जिससे राजनीतिक दल गंभीर अपराधियों की सदस्यता रद्द करें और उन्हें चुनावी टिकट न दें।
- **भारत निर्वाचन आयोग (2016):** पांच साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों के आरोपी लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए RPA में संशोधन की सिफारिश की गई।

आगे की राह

- **अंतरिम निलंबन:** मंत्रियों को सीधे हटाने के बजाय मुकदमे के दौरान निलंबित किया जाए।
- **दलों की भूमिका:** राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवार न चुनें जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हों।
- **विधि आयोग की सिफारिश:** 5 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर न्यायिक जांच के बाद अयोग्यता लागू की जाए।
- **जमानत का नियम:** जमानत को सामान्य नियम बनाया जाए, केवल जघन्य अपराधों में अपवाद रखा जाए।
- **फास्ट-ट्रैक ट्रायल:** मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालतों में हो।
- **स्वतंत्र समीक्षा:** हटाने की प्रक्रिया पर रोकथाम और दुरुपयोग से बचाव के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाया जाए।

1.2. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने **'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025'** पारित किया। यह **ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक** लगाता है, जबकि अन्य तरह के ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क** का निर्माण करेगा। इस क्षेत्रक को **विनियमित करेगा, इसे बढ़ावा देगा तथा नवाचार और आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन** देगा। साथ ही, सभी नागरिकों के लिए एक **विकसित, सुरक्षित एवं उत्तरदायी डिजिटल व्यवस्था** सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
- यह विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ **अनुच्छेद 117(1) और 117(3)** के तहत एक **वित्त विधेयक** के रूप में पेश किया गया था।

अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **लत और वित्तीय नुकसान:** ऑनलाइन मनी गेम्स से गंभीर **लत लगती है और भारी वित्तीय नुकसान होता है।**
  - एक रिपोर्ट के अनुसार, 45 करोड़ से अधिक लोग 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठा चुके हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य समस्या बताया है, जिसमें व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण खत्म** हो जाता है।
- **कानूनी कमियां:** भारत में जुए से संबंधित कानून तो थे, लेकिन **ऑनलाइन गेम्स के लिए कोई खास कानून** नहीं था, खासकर विदेशों से संचालित होने वाले गेम्स के लिए।
- **सुरक्षा जोखिम:** कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल **आतंकी गतिविधियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग** के लिए भी किया जा रहा था।
- **ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा:** यह अधिनियम सुरक्षित गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा:** ऑनलाइन गेम्स वे हैं जो **इंटरनेट या इसी तरह की तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिवाइस** पर खेले जाते हैं।
- **वर्गीकरण:**
  - **ई-स्पोर्ट्स:** प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल जहां टीमें या व्यक्ति संगठित टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए- **वेद "बीलज़ेबॉय" बाम्ब ने 'पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप' 2025 जीती।**
  - **ऑनलाइन सोशल गेम्स:** मनोरंजन और सीखने के लिए कौशल-आधारित खेल, उदाहरण: वर्डले, कहूट।
  - **ऑनलाइन मनी गेम्स:** ऐसे खेल जिनमें खिलाड़ी को खेलने के लिए शुल्क देना होता है, **उदाहरण:** ड्रीम11 (Dream11), रम्मी, पोकर, विंजो (WinZO), आदि।

- **अधिनियम की प्रयोज्यता:** यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, साथ ही उन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी जो भारत के भीतर या बाहर से संचालित होती हैं।
- **लागू होने का क्षेत्र:** यह कानून **पूरे भारत में लागू होगा** और उन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होगा, जो **भारत के भीतर उपलब्ध** कराई जाती हैं।
- **ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध:** इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें संबंधित **विज्ञापन और वित्तीय लेन-देन** भी शामिल हैं। अधिकारी **IT अधिनियम, 2000** के तहत अवैध प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर सकते हैं।
- **ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा:** ई-स्पोर्ट्स को एक **वैध खेल** के रूप में मान्यता दी गई है। **सरकार इसके लिए दिशा-निर्देश** और अवसंरचना विकसित करेगी।
- **सोशल और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा:** केंद्र सरकार को ऐसे सामाजिक खेलों को मान्यता देने व पंजीकृत करने का अधिकार होगा, जो **सुरक्षित हों और आयु के अनुसार उपयुक्त हों।** इनके लिए **विशेष प्लेटफॉर्म्स** पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- **ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण:** एक **राष्ट्रीय नियामक संस्था** का गठन किया जाएगा जो खेलों को वर्गीकृत और पंजीकृत करेगी, मनी गेम्स की पहचान करेगी तथा शिकायतों का निपटान करेगी।
- **अपराध और दंड:**
    - ऑनलाइन मनी गेम्स चलाने पर **3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना** हो सकता है।
    - इनके विज्ञापन करने पर **2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का जुर्माना** लग सकता है।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:** कंपनियों और उनके अधिकारियों को **जवाबदेह** ठहराया जाएगा। हालांकि, **कर्तव्यनिष्ठ स्वतंत्र निदेशकों** को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- **जांच के अधिकार:** कुछ मामलों में, सरकार **बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी** के लिए अधिकृत कर सकती है।

ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से निपटने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** यह सरकार को अवैध वेबसाइट्स या लिंक तक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
- **IT नियम, 2021:** ये नियम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम निर्धारित करते हैं। उदाहरण: मध्यवर्तियों का स्व-विनियामक संस्थाओं (SRBs) के साथ पंजीकरण।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:** धारा 111 एवं 112 क्रमशः अवैध आर्थिक गतिविधियों, साइबर अपराधों और बिना अनुमति के बेटिंग व जुए को दंडित करती हैं।
- **IGST Act, 2017:** अवैध और विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स IGST अधिनियम के तहत नियंत्रित किए जाते हैं।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** यह भ्रामक और छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स को बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निष्कर्ष

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 नागरिकों को हानिकारक ऑनलाइन मनी-गेमिंग से बचाता है, साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी समाज के लिए लाभकारी हो।

1.3. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 (National Sports Governance Act, 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस विधेयक, 2025** को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

भारत में खेलों का गवर्नेंस

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत **राज्य सूची की प्रविष्टि 33** के अनुसार, **खेलों का विनियमन राज्यों के अधिकार क्षेत्र** में आता है।
- मौजूदा नीतियों में **राष्ट्रीय खेल नीति (1984, संशोधित 2001)** और **खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007** शामिल हैं।

प्रमुख नियामक निकाय

- **युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (MYAS):** यह राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने, धन आवंटन करने और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI):** यह खेल वितरण प्रणाली के लिए नीतियां और दिशा-निर्देश तय करता है।
- **भारतीय ओलंपिक संघ (IOA):** यह ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजनों में भारत की भागीदारी के लिए जिम्मेदार है।
- **राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs):** 50 से अधिक NSF अपने-अपने खेलों का संचालन करते हैं।

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **राष्ट्रीय खेल शासी निकायों (NSBs) की स्थापना:** यह अधिनियम **राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध खेल महासंघों** की स्थापना करता है। इनकी **इकाइयां राज्य और जिला स्तरों पर भी** होंगी। ये **निकाय अंतरराष्ट्रीय चार्टर के तहत** शासित होंगे।
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSBs):** यह बोर्ड खेल निकायों और उनसे संबंधित संघों को मान्यता देगा। केवल मान्यता प्राप्त निकायों को ही केंद्र सरकार से धनराशि मिलेगी।
  - NSBs को **अपने हितधारकों के लिए एक आचार संहिता** तैयार करनी होगी और यह **RTI अधिनियम** के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण होगा।
  - इसके सदस्यों की नियुक्ति **खेल प्रशासन और कानून** के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर होगी।
- **राष्ट्रीय खेल अधिकरण:** यह अधिकरण खेल से संबंधित विवादों का निपटारा करेगा, सिवाय उन मामलों के जो अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़े हैं या **राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) के आंतरिक मुद्दे** हैं।
- **चुनावों की निगरानी:** केंद्र सरकार राष्ट्रीय निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए **एक पैनल का गठन करेगी**, जबकि प्रत्येक खेल निकाय स्वयं अपने अधीनस्थ संघों के चुनावों की निगरानी करेंगे।
- **केन्द्र सरकार की शक्तियां:** केंद्र सरकार **लोक हित और खेलों को बढ़ावा देने** के लिए राष्ट्रीय निकायों या उनके संबद्ध संघों को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

भारत में एक व्यापक खेल कानून की आवश्यकता

- **एक व्यापक और एक समान खेल कानून का अभाव:** देश में खेलों के लिए कोई एक-समान व समग्र कानून नहीं है। इसकी वजह से नियम अलग-अलग और कई बार पुराने हो जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 **पारित ही नहीं हो पाया**।
- **राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) में राजनेताओं का वर्चस्व:** उदाहरण के लिए- **फीफा** ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण **अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को निलंबित** कर दिया था।
- **SAI, IOA** और **NSFs** जैसी संस्थाओं की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है व देरी होती है।
- **अपर्याप्त वित्त-पोषण और उसका सही उपयोग न होना:** 2022-2023 के लिए आवंटित बजट का **40% से भी कम हिस्सा एथलीट विकास** हेतु उपयोग किया गया था।
- **नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन:** राष्ट्रीय खेल नीति (1984 में लागू, 2001 में संशोधित) को सफलतापूर्वक व्यवहार में नहीं लाया गया था।
- **ओलंपिक 2036 की तैयारी:** यह कानून ओलंपिक चार्टर और विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए **2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन** करता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 का उद्देश्य एक पारदर्शी, जवाबदेह और एथलीट-केंद्रित खेल प्रणाली का निर्माण करना है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो।

संबंधित सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022** में संशोधन करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **उद्देश्य**- खेलों में डोपिंग पर रोक लगाना तथा जांच, प्रवर्तन और उल्लंघनों के निपटारे के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना।
- यह **खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को कन्वेंशन** को प्रभावी बनाता है।
- **प्रमुख स्थापनाएं:**
  - डोपिंग रोधी विनियमों को लागू करने के लिए **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा/ NADA) की स्थापना**।
  - NADA की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए **राष्ट्रीय खेल डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना** करेगा और डोपिंग रोधी विनियमों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।
- **पहले के अधिनियम में किए गए परिवर्तन**
  - अपील पैनल का गठन अब राष्ट्रीय बोर्ड नहीं बल्कि केंद्र सरकार करेगी।
  - **नाडा** के किसी भी सदस्य को **परिचालन स्वतंत्रता** होगी। यह WADA के मानकों और UNESCO के नियमों के अनुरूप है।
  - पहले कोई भी व्यक्ति **CAS में अपील** कर सकता था। अब केवल **निर्दिष्ट निकायों** को ही यह अधिकार होगा।
  - **परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनिवार्य प्रत्यायन:** अब WADA से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। पहले यह केवल स्वैच्छिक था।
  - **डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन:** इसमें **विश्व डोपिंग रोधी संहिता की परिभाषाओं और समय-सारिणी** को अपनाया गया है तथा उन्हें **भारत में कानून का दर्जा** दिया गया है।

1.4. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 {Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **लोक सभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025** पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कानूनों के अनुपालन को सरल बनाकर, कानूनों को अद्यतन करके, कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके और विश्वास-आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) और ईज़ ऑफ लिविंग संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाना है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **जन विश्वास अधिनियम, 2023** पर आधारित है, जिसने 19 मंत्रालयों द्वारा प्रबंधित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों के तहत वर्णित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था।
- 2025 का विधेयक इन सुधारों का विस्तार करता है और 10 मंत्रालयों /विभागों से संबंधित **16 केंद्रीय अधिनियमों** को शामिल करता है।
- यह विधेयक **प्रक्रियागत सुधार का एक उदाहरण** है, जिसमें कठोर और दंडात्मक अनुपालन की जगह **सरल व भरोसे पर आधारित व्यवस्थाएं** लाई गई हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को आसान बनाना, न्यायपालिका पर से बोझ घटाना और नागरिकों व व्यवसायों के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **पहली बार उल्लंघन:** 10 अधिनियमों के अंतर्गत उल्लेखित 76 अपराधों के मामले में पहली बार अपराध करने पर सजा नहीं दी जाएगी बल्कि **परामर्श या चेतावनी** दी जाएगी।
- **कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना:** मामूली, तकनीकी, प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए जेल की सजा खत्म की गई। **उदाहरण के लिए**,चाय अधिनियम, 1953 तथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 को और अधिक उदार बनाया गया।
- **जुर्माने का सरलीकरण: जुर्मानों को तार्किक और अनुपातिक** बनाया गया है। साथ ही **बार-बार अपराध करने पर दंड में क्रमिक वृद्धि** की जाएगी।
- **निर्णय तंत्र:** अधिकारी **मामलों का जल्दी निपटारा करने** और **न्यायपालिका** पर बोझ कम करने के लिए प्रशासनिक रूप से जुर्माना लगा सकते हैं।
- **जुर्माने की स्वतः वृद्धि:** हर **3 साल में दंड और जुर्माना 10% बढ़** जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि **दंड प्रभावी बने रहें और बार-बार कानून में संशोधन** करने की ज़रूरत न पड़े।

प्रक्रियात्मक सुधार क्या हैं?

- प्रक्रियात्मक सुधार का अर्थ है, **किसी नियम या प्रक्रिया में छोटे-छोटे बदलाव** करना।
  - संरचनात्मक सुधार **आर्थिक ढांचे की पूरी संरचना को बदल** देते हैं, जबकि प्रक्रियात्मक सुधार **मौजूदा संरचना के संचालन को और बेहतर** बनाते हैं।
- ये **छोटे स्तर के लक्षित बदलाव** होते हैं, जिनका उद्देश्य **किसी विशेष क्षेत्रक या गतिविधि में दक्षता बढ़ाना** होता है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21** में जटिल नियमों और अस्पष्टता के बजाय सरल नियम और सुगम प्रक्रियाओं का समर्थन किया गया था।

प्रक्रियात्मक सुधारों का महत्त्व

- **भारत की संवृद्धि को बड़े-बड़े बदलावों के बीच स्थिर** बनाए रखना।
- **नागरिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं के लिए रोजमर्रा की रुकावटों** को दूर करना।
- पुराने नियमों और कागज़ी काम की वजह से होने वाली देरी को खत्म करना।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, जैसे टेलीकॉम क्षेत्र के उदारीकरण से आईटी और बीपीओ सेक्टर को फायदा हुआ।
- **भ्रष्टाचार कम करना, क्योंकि स्पष्ट और सरल प्रणाली से गड़बड़ियां** घटती हैं।
- सरकार में लगातार **समस्याओं को हल करने की संस्कृति को बढ़ावा** देना।

प्रक्रिया सुधार के लिए दिशा-निर्देश

- स्पष्ट संचार के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाना (उदाहरण के लिए- **नेशनल सिंगल विंडो**)।
- लक्ष्य निर्धारित करना और प्रयासों को एक-दूसरे से एकीकृत करना (उदाहरण के लिए- **प्रगति**)।
- प्रक्रियाओं को चुस्त और तकनीक-अनुकूल बनाना (उदाहरण के लिए- **गुणवत्ता-एवं-लागत-आधारित निविदा प्रणाली**)।
- निरंतर समीक्षा और सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टैक**)।
- निर्णय-निर्माण में हितधारकों को शामिल करना (**उदाहरण के लिए- सामुदायिक वन प्रबंधन**)।

सफल प्रक्रियात्मक सुधारों से संबंधित केस स्टडीज़

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सब्सिडी को डिजिटल बनाने से रिसाव कम हुआ और सेवा वितरण बेहतर हुआ।
- **स्वैच्छिक कंपनी परिसमापन:** सरल प्रक्रियाओं से परिसमापन का समय 4 वर्ष से अधिक से घटाकर भारत दुनिया में सबसे तेज **"एग्जिट सिस्टम"** वाले देशों में से एक बन गया है।
- **स्वायत्त निकायों का तार्किकरण:** अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जैसे पुराने निकायों का विलय या बंद करके ओवरलैप को कम किया गया।
- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से पारदर्शिता बढ़ी है और खरीद लागत में 15-20% तक कमी आयी है।
- **कानूनी और विवाद समाधान सुधार:** न्यायालय में **देरी और लागत कम** की गई, जिसमें **दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) जैसे उपाय** शामिल हैं।
- **कानूनी मापविज्ञान संशोधन:** छोटे अपराधों का **अपराध मुक्तिकरण** किया गया, ताकि **उत्पीड़न और अवैध वसूली कम** हो सके।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत एक गतिशील और नवाचार-प्रधान अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है, जन विश्वास विधेयक जैसे सुधारों को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि शासन परिवर्तन की लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए। **तकनीक को अपनाकर, प्रक्रियाओं को लगातार सरल बनाकर और नागरिक-केंद्रित शासन लागू करके**, ये सुधार संस्थाओं के भीतर **उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं अनुकूलनशीलता की संस्कृति** विकसित कर सकते हैं।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.5.1. व्यावसायिक और प्रतिबंधित वाक् मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट (Commercial, Prohibited Speeches Not Part of Fundamental Rights: SC)

- सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कई सोशल मीडिया कॉमेडियन के खिलाफ **"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग"** करने से जुड़े मामले की सुनवाई की।

प्रमुख न्यायिक टिप्पणियां

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a))** में व्यावसायिक और प्रतिबंधित भाषण शामिल नहीं हैं।
  - **घृणा वाक्** अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर किसी **समूह के खिलाफ शत्रुता, नफरत या हिंसा को बढ़ावा** देती हैं।
  - **व्यावसायिक भाषण** वह है जिसमें आर्थिक उद्देश्य से विज्ञापन शामिल होते हैं।
- बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को **जिम्मेदारी के साथ काम** करना चाहिए।
- कोर्ट ने **आईटी नियमों एवं सिनेमैटोग्राफ अधिनियम** के तहत समानुपातिक दंडात्मक उपायों का सुझाव दिया है।
- कोर्ट ने सरकार से **ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश** तैयार करने के लिए कहा है।

भारत में ऑनलाइन कंटेंट के लिए कानूनी ढाँचा

- **IT अधिनियम, 2000 (धारा 69A):** सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।
- **सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952:** व्यक्तियों या समूहों को बदनाम करने या मानहानि करने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाता है।

वाक् स्वतंत्रता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** इसमें स्वतंत्र वाक् और घृणित/ प्रतिबंधित **वाक् के बीच** अंतर किया गया। साथ ही, **व्यापक पहुंच वाले इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी पर भी जोर** दिया गया।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक **आसन्न खतरे का आभास न हो, तब तक वैध ऑनलाइन अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं** किया जा सकता।

1.5.2. OCI कार्ड के नियम सख्त किए गए (Rules for OCI Card Tightened)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D** के तहत यह अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **OCI का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, यदि:**
  - किसी व्यक्ति को **कम-से-कम दो साल की जेल की सजा** सुनाई गई हो; या
  - किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए **चार्जशीट दायर** की गई हो, जिसमें **सात साल या उससे अधिक की कैद** का प्रावधान हो।

OCI कार्ड के बारे में

- OCI कार्ड योजना **2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** के माध्यम से शुरू की गई थी।
  - 2015 में, **PIO** कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया था और **सभी PIO कार्डधारकों को OCI कार्डधारक** मान लिया गया।
- OCI कोई **'दोहरी नागरिकता'** नहीं है। यह **राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं** करता है।
- **OCI पंजीकरण रद्द करने के आधार:**
  - धोखाधड़ी से पंजीकरण लिया हो;
  - भारत के संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया हो;
  - भारत की संप्रभुता, अखंडता या विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा लोकहित के लिए आवश्यक हो, आदि।
- **OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ:**
  - **आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध** है। वे भारत में कई बार आ-जा सकते हैं।
  - **भारत में रहने की अवधि चाहे** जो भी हो, उन्हें **विदेशी पंजीकरण अधिकारियों** के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।
  - **कृषि या बागवानी संपत्ति की खरीद को छोड़कर** आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में NRIs के समान अधिकार प्राप्त।

OCI पंजीकरण के लिए पात्रता

- वे विदेशी नागरिक जो **26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक** थे।
- वे लोग जो **26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र** थे।
- वे व्यक्ति जो **15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने क्षेत्रों से हैं।**
- ऐसे नागरिकों के **बच्चे, पौत्र-पौत्रियां या परपौत्र-पौत्रियां।**
- ऐसे **नाबालिग बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक** हैं।
- **भारतीय/OCI नागरिक का पति या पत्नी,** जिसका विवाह कम-से-कम 2 वर्षों से पंजीकृत है।
- **अपवाद:** पाकिस्तान, बांग्लादेश या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश के नागरिक पात्र नहीं हैं।

1.5.3. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव (Election to the Office of the Vice-President of India)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने **17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख** की घोषणा कर दी है। यह चुनाव भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **कार्यकाल और रिक्ति:** कार्यकाल **पांच वर्ष** का; पद रिक्त होने पर **जल्द से जल्द चुनाव कराना** अनिवार्य है।
- **निर्वाचक मंडल:** इसमें **लोक सभा और राज्य सभा दोनों के 782 सदस्य** (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं।
- **मतदान प्रणाली:** चुनाव **एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान** द्वारा होता है।
- **प्राधिकार:** ECI अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के तहत चुनाव कराता है।

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

- **नामांकन:** नामांकन के लिए **20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक** एवं **15,000 रुपये जमानत राशि** के रूप में जमा कराना अनिवार्य है।

- **मतदान:** मतदान **संसद भवन** में संपन्न होता है, इसके लिए **ECI द्वारा प्रदान किए गए विशेष पेन** का उपयोग किया जाता है। **पहली वरीयता का वोट** देना अनिवार्य है।
- **पर्यवेक्षण:** ECI **रिटर्निंग ऑफिसर (राज्य सभा का महासचिव)** और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है।

चुनाव में पालन किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा उपाय

- **पार्टी व्हिप की अनुमति नहीं** होती है।
- **गोपनीयता का उल्लंघन या अनधिकृत पेन का उपयोग** करने पर वोट अमान्य हो जाता है।
- **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत घूसखोरी या अनुचित प्रभाव** का उपयोग करने पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है।

उप-राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता

- **भारत का नागरिक** होना चाहिए।
- कम से कम **35 वर्ष की आयु** का होना चाहिए।
- **राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र** होना चाहिए।

1.5.4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम {National Cooperative Development Corporation (NCDC)}

कैबिनेट ने **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना **"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता"** को मंजूरी दी।

NCDC को अनुदान सहायता के बारे में

- **योजना का परिव्यय:** इस योजना हेतु चार वर्षों (2025-29) के लिए **2000 करोड़** रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
  - **NCDC की भूमिका: NCDC** फंड के वितरण, परियोजना की निगरानी और ऋण की वसूली के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेगा।
- **अनुदान सहायता:** यह एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को सहायता या दान के रूप में किया जाने वाला भुगतान है।
  - **संवैधानिक प्रावधान:** यह अनुदान संविधान के **अनुच्छेद 275 (सांविधिक अनुदान)** और **अनुच्छेद 282 (विवेकाधीन अनुदान)** के तहत दिया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

HQ नई दिल्ली

उत्पत्ति: NCDC की **स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम** द्वारा एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी। यह **सहकारिता मंत्रालय के अधीन** कार्य करता है।

कार्य: NCDC अधिनियम में संशोधन कर इसके **कार्यक्षेत्र का विस्तार** किया गया है। इससे यह **विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की सहायता** कर सकेगा और अपने **वित्तीय आधार को मजबूत** कर सकेगा।

प्रबंधन: NCDC का प्रबंधन एक **सामान्य परिषद** द्वारा किया जाता है। इसमें **51 सदस्य** होते हैं, जो इसकी **नीतियों और कार्यक्रमों** को निर्धारित करते हैं। इसकी दैनिक गतिविधियों का संचालन 12-सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
(International Relations)

2.1. निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था (Fair and Representative Global Order)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के विदेश मंत्री ने **प्रथम बिम्सटेक (BIMSTEC) पारंपरिक संगीत समारोह** में वैश्विक व्यवस्था को निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का आह्वान किया।

वैश्विक व्यवस्था निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण क्यों नहीं है?

- **वैश्विक संस्थाओं में असमान प्रतिनिधित्व:** P5 देश वीटो के साथ UNSC पर हावी हैं और दूसरों को दरकिनार करते हैं।
- **ग्लोबल साउथ की उपेक्षा:** ग्लोबल नॉर्थ (औद्योगिक देशों) के पास IMF में 9 गुना अधिक मतदान शक्ति है।
  - **उदाहरण के लिए:** अमेरिका के पास **16.49%** मतदान शक्ति है, जबकि यह केवल **4.22%** वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- **अप्रभावी बहुपक्षवाद:** प्रमुख शक्तियां महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों को दरकिनार करते हुए उनसे बाहर रहती हैं (**उदाहरण के लिए**, अमेरिका का पेरिस समझौते और WHO से बाहर होना)।
- **भू-राजनीतिक शक्ति के उपकरण के रूप में व्यापार:** अमेरिकी टैरिफ (भारतीय सामानों पर 25%), EU कार्बन टैक्स व्यापार असंतुलन को दर्शाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन की असमानताएं:** विकसित देशों ने बड़े पैमाने पर उत्सर्जन किया, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित ग्लोबल साउथ हुआ है (**उदाहरण के लिए**, 2024 फिलीपींस हीटवेव)।
- **प्रौद्योगिकी और ज्ञान का विभाजन:** 100 कंपनियां **(मुख्यतः अमेरिका, चीन) वैश्विक R&D का 40% नियंत्रित** करती हैं, जिससे शक्ति केंद्रीकृत होती है।

निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए आगे की राह

- **बहुपक्षीय सुधार:** G4 देश (ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान) **UNSC स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे के दावों का समर्थन** करते हैं।
- **बहुपक्षवाद का विऔपनिवेशीकरण:** "वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट" वैश्विक व्यवस्था को न्यायसंगत बनाने में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।
- **रियो डी जेनेरियो घोषणा का क्रियान्वयन:** BRICS (17वाँ शिखर सम्मेलन) ने समावेशी AI शासन और IMF कोटा में बदलाव की मांग की।
- **डिजिटल और तकनीकी अंतराल को समाप्त करना:** ओपन-सोर्स, समावेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - भारत का **डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर** ग्लोबल साउथ के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- **जलवायु न्याय: साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)** जैसे फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना चाहिए और उन्हें मौजूदा आर्थिक एवं जलवायु चुनौतियों के हिसाब से अद्यतन करना चाहिए।

निष्कर्ष

एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था के लिए समावेशी संस्थाओं, न्यायसंगत वित्तीय प्रणाली और उत्तर-दक्षिण (North–South) के बीच संतुलित सहयोग की जरूरत है। भारत जैसे उभरते देश एक न्यायपूर्ण और प्रभावी विश्व व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

2.2. हिंद महासागर में भारत की रणनीति (India's Strategy in Indian Ocean)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मामलों की संसदीय समिति ने लोकसभा में **'भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) से संबंधी रणनीति के मूल्यांकन'** पर एक रिपोर्ट पेश की।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का महत्व

- **दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर**, जहाँ विश्व की **एक-तिहाई जनसंख्या** निवास करती है।
- **महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र:** वैश्विक तेल शिपमेंट का 2/3 भाग यहाँ से होकर गुजरता है।
- **भारत की जीवनरेखा:** भारत के 90% व्यापार और लगभग सभी तेल आयात IOR से होते हैं।
- **रणनीतिक संपत्तियां:** भारत के पास इस क्षेत्र में 24 लाख वर्ग किमी EEZ है।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की रणनीति

- **नीतियां (Policies): 'पड़ोसी पहले (Neighbourhood First)', सागर (Security & Growth for All in Region)** और **महासागर (2025) सिद्धांत।**
- **नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर:** समुद्री डकैती रोधी अभियान, **एंटी-IUU फिशिंग**, समुद्री आतंकवाद नियंत्रण, EEZ निगरानी, IFC-IOR सूचना साझाकरण।
- **तटीय देशों के साथ जुड़ाव:** मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स के साथ विकास सहायता, **HADR**, रक्षा और क्षमता निर्माण के ज़रिए द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना।
- **क्षेत्रीय नेतृत्व:** IORA, IOC और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी:** बंदरगाह निवेश (चाबहार, श्रीलंका, मॉरीशस, सेशेल्स); सागरमाला 2.0 से समुद्री प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** एक भरोसेमंद **'प्रथम सहायता प्रदाता'** (**उदाहरण के लिए**, **ऑपरेशन सद्भाव** – म्यांमार, लाओस, वियतनाम में टाइफून यागी के बाद)।

महासागर (MAHASAGAR) में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया है

- **मैरीटाइम लीडरशिप:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में निवल सुरक्षा प्रदाता और प्रथम मददगार के रूप में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देना।
- **समुद्री क्षमताएं:** भारत की संलग्नता और अन्य गतिविधियों के दायरे का विस्तार करके क्षमताओं का विस्तार करना।
- **ग्लोबल साउथ:** हिंद महासागर क्षेत्र से परे ग्लोबल साउथ के देशों साथ समुद्री सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना।
- **समुद्री क्षेत्र में प्रभावशीलता:** संयुक्त प्रशिक्षण, सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- **समुद्री सुरक्षा व्यवस्था:** प्रतिक्रियाशील और मजबूत समुद्री सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करना।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच

- **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA):** 23-सदस्यीय क्षेत्रीय समूह तथा अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण पर केंद्रित।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS):** तटीय देशों के बीच नौसैनिक सहयोग।
- **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI):** समुद्री प्रबंधन और सुरक्षा के लिए खुला मंच।
- **क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD):** समुद्री सुरक्षा, HADR, कनेक्टिविटी, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।
- **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक/ BIMSTEC):** भारत सुरक्षा स्तंभ (आतंकवाद विरोध, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा) का नेतृत्व करता है।
- **इंडियन ओशन कमीशन (IOC):** अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा पर कार्य करता है; भारत = प्रेक्षक।

भारतीय रणनीति के समक्ष मौजूद चुनौतियां और खतरे

- **भू-राजनीतिक:** चीन की बंदरगाह/इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदगी; द्वीपीय देशों का संतुलन।
- **समुद्री सुरक्षा:** समुद्री डकैती, आतंकवाद, IUU फिशिंग, तस्करी, स्मगलिंग।
- **अवसंरचना की कमी:** भागीदार देशों (श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स) की सीमित क्षमता।

आगे की राह

- **समग्र योजना:** 35 तटीय देशों को शामिल करते हुए मुख्य फोकस **समुद्री सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, अवसंरचना विकास, रक्षा सहयोग**, आदि पर होना चाहिए।
- **बेहतर क्रियान्वयन:** समन्वय के लिए अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स।
- **एकीकृत रणनीति:** IOR और इंडो-पैसिफिक को जोड़ना, QUAD, IORA, आसियान का लाभ उठाना।
- **ग्रीन महासागर (Green MAHASAGAR):** संधारणीयता और ब्लू इकोनॉमी दोनों को बढ़ावा।
- **समुद्री रणनीति को मजबूत बनाना:** समुद्री क्षेत्र में जागरूकता हेतु AI/ सैटेलाइट का उपयोग; आत्मनिर्भर भारत के तहत मजबूत नौसेना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy):** सांस्कृतिक केंद्रों और विरासत संपर्क का विस्तार।

निष्कर्ष

- भारत की IOR नीति का उद्देश्य **सुरक्षा, सहयोग, समृद्धि** सुनिश्चित करना, महासागर को **मुक्त, खुला, समावेशी** रखना और इसे **UNCLOS सिद्धांतों के अनुरूप** बनाना है।

2.3. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) की केंद्रीयता {Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Centrality}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आसियान (ASEAN) की केंद्रीयता की अवधारणा वास्तव में महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, व्यापारिक तनाव और बदलती वैश्विक व्यवस्था के कारण संकट में है। इससे निपटने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सुधारों और मजबूत साझेदारियों की आवश्यकता है।

आसियान के बारे में

- **स्थापना (1967):** आसियान की स्थापना **बैंकॉक में आसियान घोषणा-पत्र** के साथ हुई थी।
- **उद्देश्य:** आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तेजी लाना; शांति, स्थिरता और विधि के शासन, शिक्षा, कृषि व उद्योग में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **सचिवालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया।
- **सदस्य देश:** 10 देश।
- **संस्थापक सदस्य:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
- **आसियान शिखर सम्मेलन: राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष** के साथ यह **सर्वोच्च निकाय** है।
- **चार्टर (अनुच्छेद 1.15):** इस समूह का प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्रीय भागीदारी में आसियान की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखना है।

क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की प्रासंगिकता

- **सुरक्षा व स्थिरता: ARF, ADMM-Plus** जैसे मंचों के माध्यम से बाहरी शक्तियों को **रक्षा, समुद्री एवं सुरक्षा संवाद** के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **आर्थिक एकीकरण:** RCEP **आसियान की अगुवाई में शुरू** हुई है। इस साझेदारी ने **एशिया-प्रशांत क्षेत्र** में व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है।
- **मानक-स्थापना:** TAC एक प्रमुख फ्रेमवर्क के रूप में विकसित हुआ, जिसके हस्ताक्षरकर्ताओं में अमेरिका, चीन, रूस जैसी महाशक्तियां शामिल थीं।

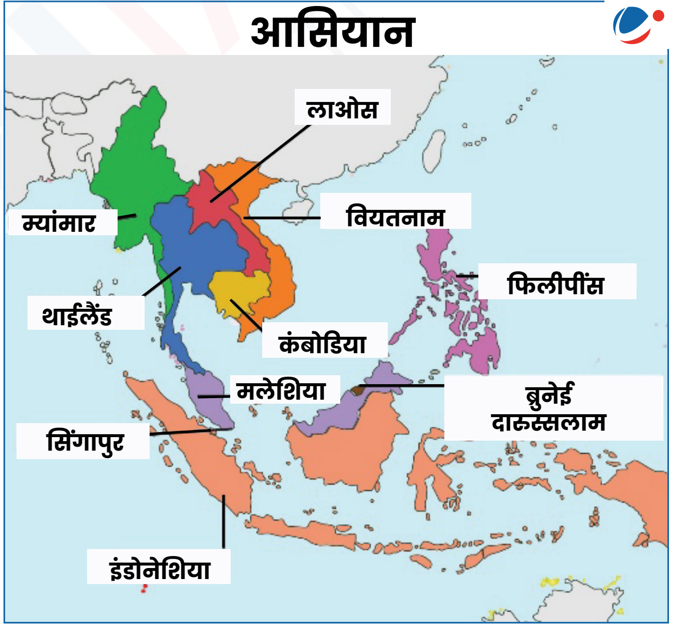

आसियान की केंद्रीयता के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा से आसियान के हाशिए पर जाने और क्षेत्रीय एकता के कमजोर होने का **खतरा** उत्पन्न हो रहा है **(जैसे- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाम हिंद-प्रशांत रणनीति)।**
- **व्यापारिक तनाव:** अमेरिकी टैरिफ से आसियान-आधारित व्यापार व्यवस्था बाधित हुई।
- **अतिव्यापी संरचनाएं:** QUAD और AUKUS, जैसे नए लघु समूह आसियान के नेतृत्व वाले सुरक्षा तंत्रों को चुनौती देते हैं।
- **आंतरिक मतभेद:** चीन पर सदस्यों का अलग-अलग रुख **(वियतनाम बनाम कंबोडिया/लाओस)।**
- **विश्वसनीयता का संकट:** आसियान म्यांमार संकट पर अपनी **"पांच-सूत्रीय सहमति"** को लागू करने में विफल रहा है। इससे बाहरी शक्तियों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शून्यता को भरने का अवसर मिला है।
- **कमजोर संस्थागत क्षमता:** आसियान सचिवालय के सीमित संसाधन महत्वाकांक्षी पहलों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

आसियान की केंद्रीयता को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- **विज़न 2045** और रणनीतिक योजना (राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक 2026-2030) के माध्यम से **अपग्रेड करना चाहिए।**
- **समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सहयोग** (उदाहरण के लिए- यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति)।
- **औपचारिक परामर्श तंत्र** के लिए लघु समूह वाली व्यवस्थाओं को आसियान के नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं से जोड़ने के उपाय तलाशने चाहिए।
- **क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहित** करने में भारत एवं आसियान के साझा हित हैं।

आसियान की केंद्रीयता में बदलाव से भारत कैसे निपट सकता है?

- **प्रयासों में समन्वय:** विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और ब्लू इकोनॉमी के अवसरों के मामले में भारत की IPOI को AOIP के साथ साझा हितों पर आगे बढ़ाना चाहिए।
- **समन्वय के क्षेत्रों की खोज:** IORA, बिम्सटेक, IMT-GT जैसी उप-क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
- **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा में तेजी:** आसियान-भारत व्यापार समझौते को सरल एवं व्यवसायों के लिए व्यापार-अनुकूल बनाना चाहिए।
- **पर्यटन सहयोग कार्य योजना को लागू करना:** पर्यटन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग (2023-2027) को मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

आसियान द्वारा बाहरी शक्तियों की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित हुए बिना क्षेत्रीय सहयोग और संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए।

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.4.1. भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी (India-Philippines Strategic Partnership)

भारत और फिलीपींस ने **रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना (2025-29)** पर हस्ताक्षर किए और **राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष (1949 में स्थापित) पूरे होने** पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है।

- साथ ही, **भारत ने अपनी लुक ईस्ट नीति (1992) और एक्ट ईस्ट नीति (2014)** को और मजबूत किया है।

भारत-फिलीपींस संबंधों का अवलोकन

- **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 3.05 अरब डॉलर से अधिक हो गया।
- **पीपल-टू-पीपल संबंध:** प्रवासी (फिलीपींस में लगभग 1.2 लाख भारतीय रहते हैं)।
- **बहुपक्षीय मंच:** क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित अनेक पहलों में भागीदारी
- **साइबर सुरक्षा और आतंकवाद का विरोध:** अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के विरुद्ध सहयोग।
- **समुद्री सहयोग:** समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर साझा ध्यान।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा:** उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने वाला सहयोग कार्यक्रम।
- **नीली अर्थव्यवस्था:** महासागर-आधारित संधारणीय उद्योगों पर विशेष ध्यान, जैसे कि झींगा।

भारत-फिलीपींस संबंध के प्रमुख आयाम

- **रक्षा साझेदारी:** 375 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा।
- दक्षिण चीन सागर में **चीन की बढ़ती उपस्थिति** दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए दोनों **देशों के बीच इस विषय पर सहयोग और मजबूत हो रहा** है।
  - भारत ने 2016 के आर्बिट्रेशन के फैसले और नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
  - 2016 के आर्बिट्रेशन के फैसले ने **दक्षिण चीन सागर** में फिलीपींस के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** की पुष्टि की थी। **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)** के तहत चीन के "ऐतिहासिक अधिकारों" के दावे को खारिज कर दिया था।
  - भारत दक्षिण चीन सागर (SCS) क्षेत्र में **नियम-आधारित व्यवस्था** और **आवागमन की स्वतंत्रता** की मांग करता है।
- **इंडो-पेसिफिक विज़न:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक संपर्क में फिलीपींस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

भारत-फ़िलिपींस संबंध **साइबर, आर्थिक, समुद्री और रक्षा सहयोग** के माध्यम से रणनीतिक रूप से और अधिक गहरे हो रहे हैं। यह साझेदारी एक **नियम-आधारित हिंद-प्रशांत** को बढ़ावा देती है।

2.4.2. संयुक्त राष्ट्र-भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल (UN-India Global Capacity-Building Initiative)

भारत ने **एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों** के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत **संयुक्त राष्ट्र के साथ परियोजनाएं** शुरू की।

वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारत और संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त रूप से सितंबर 2023 में शुरू किया था।
- **उद्देश्य: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** पर प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ **भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा** करना।
- **कार्यान्वयन:** इसे नए **संयुक्त राष्ट्र-भारत SDG देश कोष (UN India SDG Country Fund)** के साथ-साथ **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

2.4.3. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (Eurasian Economic Union: EAEU)

भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने व्यापार समझौते के लिए विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए। इससे अब **व्यापारिक सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा** तैयार करने के लिए **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर औपचारिक वार्ता** शुरू हो गई है।

EAEU के साथ FTA के संभावित लाभ

- **आर्थिक लाभ**
  - इससे छुपी हुई व्यापारिक संभावनाएं उजागर होंगी, भारत व EAEU के बीच मजबूत एवं सतत आर्थिक साझेदारी बनेगी। **(2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार, 7% अधिक)**
  - अमेरिकी टैरिफ के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी; इससे **भारतीय निर्यातकों** को नए अवसर मिलेंगे।
  - **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि;** MSMEs को विशेष रूप से लाभ होगा।
  - **ऊर्जा साझेदारी:** वर्तमान में **भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 35-40% हिस्सा अकेले रूस** पूरा कर रहा है।
  - **रणनीतिक लाभ: रूस और उसके सहयोगी देशों के साथ मजबूत संबंधों** से भारत की **"मल्टी-अलाइन्मेंट"** की नीति और भी मजबूत होगी।

यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय **आर्थिक एकीकरण** संगठन।
- **EAEU संधि (2014)** के माध्यम से स्थापित।
- यह वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों, आदि के **स्वतंत्र आवागमन की सुविधा** प्रदान करता है।

2.4.4. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि {Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty}

रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की INF संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त की। रूस ने इसके पीछे **अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों** का हवाला दिया है। इसमें **परमाणु पनडुब्बियों** की पुनः तैनाती और **फिलीपींस में टाइफून मिसाइल प्रणाली** की तैनाती शामिल है।

इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के बारे में

- यह संधि **1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ** के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि के तहत **500-5,500 किमी की रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना आवश्यक था।**
- यह **परमाणु शस्त्रागार को कम** करने, हथियारों की एक पूरी श्रेणी को हटाने तथा सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति देने वाला पहला बड़ा समझौता था।
- **2019 में अमेरिका के इस संधि से हटने के बाद** यह पहले ही कमजोर हो गई थी।

परमाणु हथियार नियंत्रण पर प्रभाव

- **शस्त्र नियंत्रण फ्रेमवर्क्स का खंडित होना,** इससे देशों के बीच विश्वास कमजोर हुआ है जिससे परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास कठिन हो जाएंगे।
- प्रमुख शक्तियां परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में तेजी ला रही हैं, जबकि परमाणु हथियार विहीन देश अपनी **परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार** कर रहे हैं। इससे **वैश्विक अस्थिरता बढ़** रही है।
- शीत युद्ध काल के यूरोपीय मिसाइल संकट के फिर से उभरने की आशंका उत्पन्न हुई है।
- तीव्र प्रतिक्रिया वाले हथियारों से **सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि** हो रही हैं, जिससे आकस्मिक परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ रही है।

परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित प्रमुख समझौते

- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT):** यह संधि **1970** में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
- **स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन्स ट्रीटी (SORT):** यह **2002** में संपन्न अमेरिका-रूस का द्विपक्षीय समझौता है, जो सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है।
- **न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START/ न्यू स्टार्ट):** यह अमेरिका और रूस के बीच **2010** का द्विपक्षीय समझौता है, जो सामरिक हथियारों की संख्या को सीमित करता है।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW):** इसे **2017** में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था और यह किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाती है।

2.4.5. संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया-अज़रबैजान शांति समझौता संपन्न हुआ (Armenia-Azerbaijan Peace Agreement brokered by the United States)

इस समझौते का उद्देश्य **दक्षिण काकेशस क्षेत्र के दो देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त** करना है।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **संघर्ष की समाप्ति:** दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई।
- **"ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी" (TRIPP) मार्ग:** आर्मेनियाई क्षेत्र से होकर अज़रबैजान को उसके एक्सक्लेव **नखचिवन** से जोड़ने वाला **नया ट्रांजिट मार्ग** बनाया जाएगा।
  - इस मार्ग के विकास का **अनन्य अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास होगा।
- **अमेरिकी सहयोग समझौते:** दोनों देशों ने **ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में सहयोग** बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अलग-अलग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र अज़रबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यह क्षेत्र **मुख्य रूप से आर्मेनियाई लोगों की नृजातीय आबादी वाला क्षेत्र** है।

- **1980 का दशक:** आर्मेनिया के समर्थन से नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान से अलग हो गया।
- **1991:** दोनों देशों को सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली, लेकिन विवाद जारी रहा।
- **2023:** अज़रबैजान ने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके कारण लगभग **100,000 आर्मेनियाई लोग** आर्मेनिया पलायन कर गए।

भारत के हित

- भारत इस शांति समझौते का समर्थन करता है तथा इसे वार्ता और कूटनीति के लिए एक **"महत्वपूर्ण उपलब्धि"** मानता है।
- आर्मेनिया भारत का **मैत्री और सहयोग** संधि भागीदार है (**1995** से)।
- **अज़रबैजान** भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ने वाले **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे** पर स्थित है।

आर्मेनिया-अज़रबैजान

2.4.6. अलास्का शिखर सम्मेलन (Alaska Summit)

USA और रूस के राष्ट्रपति ने रूस-यूक्रेन के बीच **युद्ध-विराम** की संभावनाओं पर विचार करने के लिए **अलास्का में बैठक** की।

- **अलास्का के बारे में:**
  - अलास्का **संयुक्त राज्य अमेरिका** का **असंबद्ध (non-contiguous) राज्य** है। यह **उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी सिरे पर** अवस्थित है।
  - **अलास्का संधि 1867** के तहत इसे **संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा** था।
  - **समुद्री सीमाओं** में **ब्यूफोर्ट सागर** और **आर्कटिक महासागर (उत्तर), अलास्का की खाड़ी** और **प्रशांत महासागर (दक्षिण), बेरिंग सागर (पश्चिम), चुकची सागर (उत्तर-पश्चिम)** शामिल हैं।

- **नॉर्दर्न लाइट्स (ऑरोरा बोरेलिस)** अलास्का के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती हैं।
- लगभग एक-तिहाई अलास्का राज्य **आर्कटिक सर्कल के भीतर** स्थित है और लगभग **85% अलास्का परमाफ्रॉस्ट से ढका** हुआ है।

2.4.7. एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान {Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD)}

भारत को **AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष** चुना गया। यह निर्णय थाईलैंड में **आयोजित 23वें AIBD-महासम्मेलन** में लिया गया।

एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD) के बारे में

- **स्थापना:** AIBD की स्थापना **1977** में **यूनेस्को** के तत्वाधान में की गई थी। यह एक विशेष क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- **सचिवालय:** कुआलालंपुर (मलेशिया)।
- **कार्य:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और समन्वित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश सुनिश्चित करना।
- **सदस्य:** वर्तमान में **45 देशों के 92 संगठन** इसके **सदस्य** हैं।
  - भारत AIBD का **संस्थापक सदस्य** है। इसमें भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर **'प्रसार भारती'** सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

2.4.8. सुर्ख़ियों में रहे विवादित क्षेत्र (Conflict Areas in News)

विवादित क्षेत्र	सूचना	मानचित्र
1.गाजा (खान यूनिस, राफा, जबालिया, दीर अल-बलाह)।	**कारण** ➲ इजरायल की लंबी चली आ रही **नाकेबंदी** और हमास के हमले के कारण संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अगस्त 2025 में **आधिकारिक रूप से अकाल घोषित किया।** ➲ खाद्य असुरक्षा के कारण लगभग **5 लाख लोग भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे हैं।** **प्रमुख विशेषताएं** ➲ पूर्वी भूमध्य सागर के किनारे **2.2 मिलियन** लोगों की **एक छोटी, घनी आबादी वाली तटीय पट्टी।** ➲ इज़राइल (उत्तर, पूर्व) और मिस्र (दक्षिण-पश्चिम) की सीमाएं।	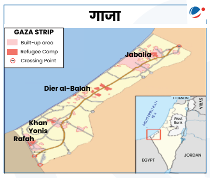
2. सूडान (दारफुर, खार्तूम, दक्षिणी कोर्डोफान, ब्लू नील स्टेट)	**कारण** ➲ अप्रैल 2023 में सेना और शक्तिशाली **अर्धसैनिक समूह RSF** के बीच भयंकर सत्ता संघर्ष शुरू होने के बाद **सूडान एक गृह-युद्ध में उलझ गया।** **प्रमुख विशेषताएं** ➲ **उत्तर-पूर्व अफ्रीका** में स्थित, जिसके उत्तर में मिस्र और उत्तर-पूर्व में लाल सागर है। ➲ **नील नदी तंत्र (व्हाईट नील और ब्लू नील नदी)** सूडान से होकर बहती है।	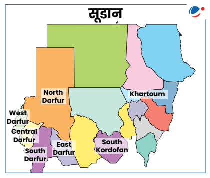
3. यूक्रेन (कीव, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज्जिया, चेर्कासी और चेर्निहाइव, और खार्किव)।	**कारण** ➲ रूस के लगातार **मिसाइल और ड्रोन हमलों** के बीच यूक्रेन में **मानवीय हालात और बिगड़ रहे हैं।** **प्रमुख विशेषताएं** ➲ **रूस और काला सागर** से घिरा एक पश्चिमी यूरोपीय देश। ➲ **नीपर नदी** कीव से होकर बहती है; पश्चिम और दक्षिण में **पर्वत** स्थित हैं।	
4. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (उत्तर किवु, इतुरी प्रांत)	**कारण** ➲ कांगो **पूर्वी हिस्से में लंबे समय से युद्धों का सामना** कर रहा है, जो **नृजातीय तनाव, कमजोर शासन** और **खनिज संपदा के लिए संघर्ष** की वजह से है। **प्रमुख विशेषताएं** ➲ **मध्य अफ्रीका** में स्थित और अफ्रीका महाद्वीप का **दूसरा सबसे बड़ा देश**; कोबाल्ट, तांबा, सोना जैसे **खनिज संपदा से भरपूर।** ➲ अफ्रीका की **दूसरी सबसे लंबी नदी (कांगो नदी बेसिन)** और दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन।**	

SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

3.1. उत्पाद राष्ट्र (Product Nation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं और बढ़ते संरक्षणवाद से निपटने के उपाय सुझाए।

अन्य संबंधित तथ्य

- वैश्विक संघर्ष और अमेरिकी प्रशुल्क (टैरिफ) नीतियां भारत की व्यापारिक कमजोरियों को उजागर करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था से उत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था में विकसित होने का सुअवसर है।
    - यह सरकार द्वारा घोषित हाल के सुधारों; जैसे- GST दरों में परिवर्तन में भी दिखाई देता है।

उत्पाद राष्ट्र क्या है?

- **परिभाषा:** एक उत्पाद राष्ट्र वह देश है जो बड़ी मात्रा में **उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात** करता है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य केवल उपभोक्ता या असेंबलर होने की बजाय **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का विनिर्माता** बनना है। उदाहरण के लिए- उच्च मूल्य अंतिम चरण के विनिर्माण के बजाय अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, ब्रांडिंग और वितरण में निहित होता है। उदाहरण, एप्पल (**3 ट्रिलियन डॉलर बाजार मूल्य**) बनाम फॉक्सकॉन (**85 बिलियन डॉलर बाजार मूल्य**)।

उत्पाद राष्ट्र बनने की चुनौतियां

- **नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कमी:** भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र **0.65%** अनुसंधान एवं विकास पर व्यय करता है।
- **आयात पर निर्भरता:** उदाहरण के लिए, भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों का 65-70% आयात करता है।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** अवसंरचना और कुशल श्रमिकों की कमी भारत में विनिर्माण को तेजी से बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती हैं।
- **रोजगार सृजन:** कम निजी निवेश, अनुमोदन में देरी, नियमों का जटिल अनुपालन, आदि।
- **जलवायु और संधारणीयता से जुड़े जोखिम:** भारत में 70% से अधिक बिजली कोयले से उत्पादित की जाती है।

भारत की रूपांतरणकारी पहलें: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन), स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान), वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में MSME, विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना, आदि।

आगे की राह: विनिर्माण को मजबूत करना, अवसंरचना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, मानव पूंजी में निवेश करना, उत्पाद विकास प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।

3.2. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalances in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भारत में **क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए** उद्योगों को राज्यों में समान रूप से वितरित करने की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- क्षेत्रीय असंतुलन का तात्पर्य **आर्थिक विकास में अंतर तथा अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में असमान आर्थिक संवृद्धि** से है।
- यद्यपि उद्योग राज्य सूची का विषय हैं, लेकिन संघ सूची में रक्षा, युद्ध संचालन या लोकहित में आवश्यक उद्योगों को शामिल किया गया है।

भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण

- **ऐतिहासिक कारक:** ब्रिटिश काल में विकास का ध्यान कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि- पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में केंद्रित रहा।

- **भौगोलिक कारक:** दुर्गम भू-भाग (जैसे, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य) विकास में बाधा पहुंचाते हैं।
- **राजनीतिक कारक:** उदाहरण के लिए- विरोध प्रदर्शनों की वजह से टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट को मजबूरीवश पश्चिम बंगाल से गुजरात में स्थानांतरित करना पड़ा।
- **नीतिगत विषमताएँ:** हरित क्रांति का लाभ कुछ ही राज्यों, जैसे कि- पंजाब और हरियाणा तक सीमित रहा।
- **सहायक उद्योगों के विकास में कमी**
- **अवस्थिति-विशिष्ट कारक:** उदाहरण– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (गुरुग्राम, नोएडा) में वाणिज्यिक केंद्र होना।
- **अवसंरचना की कमी:** खराब परिवहन व्यवस्था और बैंकिंग सेवाओं की कमी इत्यादि की वजह से विकास सीमित होता है। उदाहरण के लिए: पूर्वोत्तर राज्य।

भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के परिणाम

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** उदाहरण के लिए- पूर्वोत्तर में उग्रवाद तथा मध्य एवं पूर्वी राज्यों के बड़े हिस्सों में **वामपंथी उग्रवाद का प्रसार और प्रभाव** है।
- **राजनीतिक विखंडन:** उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में अलग विदर्भ राज्य की माँग, असम में बोडोलैंड की माँग, इत्यादि भी क्षेत्रीय असंतुलन का दुष्परिणाम है।
- **आर्थिक:** प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर, समृद्ध क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करते हैं।
- **पर्यावरण:** वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण।
- **सामाजिक:** युवाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं इत्यादि जैसे सुभेद्य वर्गों में निराशा।
- **मानव विकास में विषमता,** स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं कम होना, आदि।
- **अन्य परिणाम:** मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद जैसे महानगरों में आवास और जलापूर्ति की समस्याएं विद्यमान हैं।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP):** 112 सबसे कम विकसित जिलों को बेहतर बनाना;
- **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP):** अल्प विकसित ब्लॉकों का विकास;
- पी.एम.-डिवाइन (PM-DevINE) (प्रधान मंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल);
- **विशेष पैकेज योजना:** हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए;
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)।

आगे की राह

- पिछड़े क्षेत्रों में नए वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देना, नए क्षेत्रीय बोर्ड, ग्रोथ कॉरिडोर, प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय आवंटन, अवसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि, पिछड़े राज्यों में सुशासन और स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना।
- **अन्य उपाय:** नियम-कानूनों में छूट, अनुसंधान-विकास (R&D) और नवाचार, तथा कार्यबल के कौशल स्तर में सुधार जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

3.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने बैंकों के लिए **स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs)** खोलने हेतु पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) व्यवस्था **निर्यातकों और आयातकों को भारतीय रुपये में व्यापार का इनवॉइस बनाने या निपटान करने में सक्षम बनाने** के लिए शुरू किया गया था। इस तरह यह **'रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण'** करने की दिशा में बड़ा कदम था।
- **वोस्ट्रो खाता:** यह किसी घरेलू बैंक द्वारा विदेशी बैंक के लिए खोला गया खाता है। यह खाता घरेलू बैंक की मुद्रा में होता है।
- **नॉस्ट्रो खाता:** यह किसी घरेलू बैंक का विदेशी बैंक में उस देश की मुद्रा में खोला गया खाता है।

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है?

- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है **जिसमें सीमा-पार लेनदेन में रुपये के उपयोग को** बढ़ाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है?

- यह देशों के बीच और जारीकर्ता राष्ट्र की सीमाओं के बाहर लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा है।
- यह **मुद्रा के तीन कार्य (विनिमय का माध्यम, यूनिट ऑफ अकाउंट** और **स्टोर ऑफ वैल्यू)** करती है। उदाहरण: अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी रॅन्मिन्बी/ युआन और पाउंड स्टर्लिंग।
- **मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के निर्धारक:** स्थिरता, व्यापक उपयोग, पूँजी खाते में खुलापन, बड़ा आर्थिक आकार और वृहद व्यापार नेटवर्क।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- विदेशी मुद्रा से जुड़े कम जोखिम होना और विदेशी मुद्रा भंडार रखने की कम आवश्यकता, विश्व में भारत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति मजबूत होगी।

- **व्यापार और नीतिगत लचीलापन:** आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करना, व्यापार भागीदारों में विविधता आएगी।
- **वित्तीय बाजार का विकास:** भारतीय बॉण्ड और शेयर बाजारों को मजबूत करता है, निवेश आकर्षित करता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मौजूद चुनौतियां

- **विनिमय दर के उतार-चढ़ाव में वृद्धि**, मौद्रिक नीति की स्वायत्तता में कमी, पूँजी पलायन का उच्च जोखिम।
- बाह्य संकटों के प्रभाव में आने का खतरा, अन्य मुद्राओं से प्रतिस्पर्धा।
- **तरलता एवं परिवर्तनीयता सुनिश्चित करना:** भारत में **चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता** की अनुमति है, जबकि **पूंजी खातों में केवल आंशिक परिवर्तनीयता** की अनुमति है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम

- **RBI की रणनीतिक कार्य-योजना:** वैश्विक स्तर पर रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 का रोडमैप तैयार किया है।
- **स्पेक्ट्रा (SPECTRA) परियोजना:** यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECBs) और व्यापारिक ऋणों की रिपोर्टिंग एवं मंजूरी के लिए बनाया गया है।
- **भारतीय भुगतान अवसंरचना:** भारत ने भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देशों की भुगतान प्रणालियों के साथ UPI को एकीकृत किया है।
- **एशियाई क्लियरिंग यूनियन (ACU):** RBI ने ACU में रुपये को लेनदेन निपटान मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- **गिफ्ट सिटी विकास:** अपतटीय वित्तीय गतिविधियों और रुपये के वैश्विक उपयोग का समर्थन।

आगे की राह

- **अल्पकालिक उपाय:** इसमें अनिवासी भारतीयों के लिए रुपये में खाता खोलने को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणालियों का एकीकरण करना शामिल हैं।
- **मध्यम-अवधि के उपाय:** इसमें मसाला बॉण्ड नियमों का उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के निपटान के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली का विस्तार, आदि शामिल हैं।
- **दीर्घकालिक उपाय:** IMF के विशेष आहरण अधिकार (SDR) बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल करना।
- **विशिष्ट सुधार:** भारत रुपये की परिवर्तनीयता को बढ़ाना, एक मजबूत बॉण्ड बाजार विकसित करना, भारतीय रुपये में व्यापार को प्रोत्साहित करना।
- **KYC मानदंडों को आसान बनाना:** RBI और सेबी (SEBI) विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय रुपये वाली परिसंपत्तियों तक पहुँच आसान बनाएंगे।

3.3.1. डी-डॉलराइजेशन (De-dollarization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय रुपये (INR) के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया है। RBI के इस कदम का उद्देश्य विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करना और वैश्विक **डी-डॉलराइजेशन** को बढ़ावा देना है।

डी-डॉलराइजेशन क्या है?

- इसका उद्देश्य **डॉलराइजेशन** (वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक प्रभुत्व) को कमजोर करना है। ऐसा करने से वैश्विक व्यापार, रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता और वित्तीय लेन-देन में इसके उपयोग में उल्लेखनीय कमी आएगी।

डी-डॉलेराइजेशन के प्रमुख कारण

- अमेरिका की आर्थिक शक्ति घट रही है, पर डॉलर का वर्चस्व बना हुआ है।
- **डॉलर की कमजोर होती विश्वसनीयता:** अमेरिकी सरकार पर भारी ऋण बोझ।
- **अमेरिकी मौद्रिक नीति का नकारात्मक प्रभाव:** फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी (2023) जैसे कदम।
- अमेरिकी डॉलर और पेमेंट क्लीयरिंग प्रणालियों का **हथियार के रूप में उपयोग।**
- **एक नई और अधिक लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आकांक्षा।**
- **अमेरिका के बाहर सकारात्मक विकास:** वैकल्पिक मुद्राओं की विश्वसनीयता में वृद्धि; जैसे चीन की मुद्रा।

डी-डॉलेराइजेशन के समक्ष चुनौतियां

- **अन्य विकल्पों की लागत:** वित्तीय प्रणालियों को अपडेट करने, अनुबंधों को समायोजित करने और व्यापार समझौतों पर दोबारा वार्ता करना।
- बाजार में अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव।
- **मुद्रा भंडार में विविधीकरण की चुनौतियां:** इसमें मुद्रा का अवमूल्यन या वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आदि शामिल हैं।

डी-डॉलराइजेशन की दिशा में हालिया पहलें

- **एमब्रिज प्रोजेक्ट:** चीन, थाईलैंड, आदि द्वारा समर्थित सीमा-पार CBDC भुगतान प्रणाली।
- **ब्रिक्स (BRICS) पे:** स्थानीय मुद्राओं में तेज और सस्ते सीमा-पार व्यापार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **चीन का डिजिटल युआन**

3.4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम {Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम** के अनुपालन में कई राजकोषीय विसंगतियों और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया है।

FRBM अधिनियम, 2003 के बारे में

- FRBM अधिनियम, 2003 राजकोषीय प्रबंधन, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और वार्षिक CAG अनुपालन समीक्षा को अनिवार्य करता है।
- **FRBM अधिनियम** के तहत संसद के समक्ष बजट के साथ निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है:
  - वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण,
  - मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत विवरण,
  - राजकोषीय नीति रणनीति विवरण।

कैग की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- **ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2020-21 में 61.38% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था, जो बाद में घटकर 57% (वित्त वर्ष 24) हो गया।
- **ऋण स्थिरता** (सस्टेनेबिलिटी) संकेतक वित्त वर्ष 23-24 में सकारात्मक रहे।
- **ब्याज भुगतान** राजस्व प्राप्तियों के 35.35% (वित्त वर्ष 2023) तक बढ़ गया।
- **गारंटी सीमा** सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की सीमा के भीतर रही।
- **अप्राप्त कर राजस्व** बढ़कर 21.3 ट्रिलियन रुपये हो गया, जिसमें अधिकांश निर्विवाद था।
- **घाटे के आंकड़ों** में विसंगतियां दिखाई दीं, जिससे विश्वसनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

3.5. नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **"भारत की ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण: नवाचार और सतत विकास"** शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है।

भारत में ब्लू इकोनॉमी

- **परिभाषा:** ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत के विधिक क्षेत्राधिकार में आने वाले महासागरों और समुद्री संसाधन क्षमता का पता लगाना और उसे उपयोग अनुकूल बनाना है।
- **क्षमता:** भारत का समुद्री तट **11,098 किलोमीटर** लंबा है और इसका **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला** है।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत की ब्लू इकोनॉमी देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 4%** का योगदान देती है। मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए होता है। इसकी तट-रेखा पर **12 प्रमुख** (महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा) और **200 लघु बंदरगाह** हैं। **2035 तक** भारत के कुल परिवहन में **कोस्टल शिपिंग मॉडल की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़कर 33%** होने का अनुमान है।

भारत में ब्लू इकोनॉमी से संबंधित चुनौतियां

- **पर्यावरण संबंधी चुनौतियां:** जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मत्स्यन, समुद्री प्रदूषण और अनियोजित तटीय पर्यटन।
- **नीति और गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां:** वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू नहीं करना, डीप-सी माइनिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी के लिए पुराने फ्रेमवर्क।
- **तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियां:** मात्स्यिकी क्षेत्रक में कोल्ड चेन की कमियां, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का कम व्यावसायिक उपयोग और गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए तकनीक की कमी।
- **वित्तीय और निवेश संबंधी चुनौतियां:** कम निजी निवेश, कमजोर स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम और बीमा कवरेज का अभाव।
- **सामाजिक और समानता संबंधी चुनौतियां:** पोर्ट्स, बायोटेक व गहरे समुद्री कार्यों के लिए उच्च कौशल वाले लोगों की कमी और **वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व** कम है।

भारत की समुद्री पहलें

- **मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)** का गठन।
- **डीप ओशन मिशन:** गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019:** तटीय क्षेत्रों और समुद्री जल की रक्षा करता है।
- **पी.एम. मत्स्य संपदा योजना:** संधारणीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि को बढ़ावा देती है।
- **नीली क्रांति:** मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा।
- **समुद्री भारत विजन:** समुद्री क्षेत्रक के संबंध में व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

भारत की ब्लू इकोनॉमी से संबंधित सफल केस स्टडी

- कोच्चि पोर्ट का डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन (वर्चुअल पोर्ट) के माध्यम से स्मार्ट पोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन।
- **अलंग, गुजरात:** जहाज तोड़ने के कार्य को सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में बदलना।

निष्कर्ष

भारत की ब्लू इकोनॉमी की प्रगति के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, आपदा-रोधी अवसंरचना और कौशल विकास में लक्षित निवेश आवश्यक हैं। **ब्लू बॉण्ड, कार्बन क्रेडिट बाजार,** और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** जैसे नए वित्तपोषण मॉडल के साथ-साथ संधारणीय संसाधन प्रबंधन और समावेशी भागीदारी से पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।

3.6. खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 {Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2025)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने **खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025** पारित कर दिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अधिनियम के माध्यम से **खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन** किए गए हैं।
- इस अधिनियम में अंतिम बार 2023 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के तहत 24 **महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) और रणनीतिक (स्ट्रेटेजिक) खनिजों** की एक नई सूची को शामिल किया गया और केंद्र सरकार को खनिज अन्वेषण हेतु नीलामी का अधिकार दिया गया था।

भारत के लिए महत्त्वपूर्ण (क्रिटिकल) और रणनीतिक क्यों महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं?

- **आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का वर्चस्व:** वर्तमान में दुर्लभ मृदा-तत्वों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के लगभग 60-70% उत्पादन पर चीन का नियंत्रण है।
- **स्वच्छ ऊर्जा अपनाने एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु:** सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम जैसे खनिज का **फोटोवोल्टिक (PV) सेल** में उपयोग किया जाता है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग:** लिथियम, निकल व कोबाल्ट लिथियम-आयन बैटरियों के प्रमुख घटक हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा उत्पादन में उपयोगी।**
- **डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना:** सिलिकॉन माइक्रोचिप्स के लिए जरूरी हैं।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में:** उदाहरण– चिली ने तांबे के उत्पादन से प्राप्त आय से गरीबी उन्मूलन (SDG 1) और स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं (SDG 3) में सुधार किया।

प्रमुख संशोधन

- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास न्यास (NMEDT):** इसे पूर्ववर्ती राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) को प्रतिस्थापित करके विस्तृत अधिकार दिए गए एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया।
- **खनन पट्टे में अन्य खनिजों का समावेश:** पट्टे-धारक को मौजूदा पट्टे में महत्त्वपूर्ण, रणनीतिक तथा अन्य निर्दिष्ट खनिजों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना होगा; कैप्टिव माइनों की बिक्री पर लगी ऊपरी सीमा हटाई गई।
- **संलग्न क्षेत्र का समावेश:** खनन पट्टे के अंतर्गत खनन क्षेत्र को एक बार बढ़ाने की अनुमति होगी।
- **मिनरल एक्सचेंज की स्थापना: मिनरल एक्सचेंज** के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु प्राधिकरण का गठन, केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार, खनन क्षेत्रक में निवेश को प्रोत्साहन।

3.7. गिग वर्कर्स (Gig Workers)

कर्नाटक विधान सभा ने गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए **कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025** पारित किया। इस विधेयक में कल्याण बोर्ड, कल्याण निधि के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान और बिहार में पहले ही इस तरह के कानून बनाए गए हैं।

गिग वर्कर्स के बारे में

- **परिभाषा:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, एक गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे से बाहर कार्य करता है।
- **प्रकार:**
  - **प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स:** ऑनलाइन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि- ओला, उबर, जोमैटो पर कार्य करने वाले वर्कर।
  - **गैर-प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स:** पारंपरिक क्षेत्रकों में अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से कार्य करने वाले सामान्य वेतनभोगी या स्वरोजगार वाले वर्कर।

- **वृद्धि के कारण:** जनसांख्यिकीय लाभांश, तेजी से शहरीकरण, स्मार्टफोन और इंटरनेट का बढ़ता उपयोग।

गिग अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- **सरकार के लिए:** जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग, 250 बिलियन डॉलर के लेन-देन से आर्थिक वृद्धि।
- **समाज के लिए:** कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना एवं सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा।
- **कर्मचारियों के लिए:** रोजगार की उदार व्यवस्था और कौशल विकास का अवसर।
- **उपभोक्ता के लिए:** वैश्विक बाज़ार तक पहुंच और अधिक सुविधा मिलना।

गिग वर्कर्स के समक्ष चुनौतियाँ

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना:** नीति आयोग के अनुसार, 82.5% से अधिक गिग वर्कर्स **अनौपचारिक** क्षेत्रक के कर्मचारी हैं।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा (सड़क दुर्घटना) से जुड़ी चिंताएं, अधिक कार्य के घंटे:** 47% गिग वर्कर्स प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक कार्य करते हैं।
- **आय में अनिश्चितता, एल्गोरिदम से जुड़ी समस्या** के कारण वर्कर्स की व्यक्तिगत जानकारियों तक पहुँच।

भारत में गिग वर्कर्स के लिए उठाए गए कदम

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020;
- वेतन संहिता, 2019;
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), आदि।

3.8. आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act, 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **आयकर अधिनियम, 2025** को मंजूरी दे दी। यह कानून **आयकर अधिनियम, 1961** का स्थान लेगा।

आयकर अधिनियम, 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- यह अधिनियम **1 अप्रैल, 2026** से लागू होगा। यह अधिनियम संक्षिप्त और सरल भाषा में है।
- **मुख्य कर प्रावधानों में स्थिरता:** कर की दरों, व्यवस्थाओं, अपराध के प्रकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया और अधिकतर परिभाषाओं को भी यथावत रखा गया है।
- केंद्र सरकार को अधिक **दक्षता, पारदर्शिता** के लिए नई योजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया है।
- **अघोषित आय का विस्तार** करके आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) को भी शामिल किया गया।
- **आयकर अधिकारियों** को अब तलाशी के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक **पहुंच प्राप्त** करने की अनुमति है।
- ट्रांसफर प्राइसिंग, अनिवासी और विदेशी कंपनियों से संबंधित **विवादों के समाधान के लिए पैनल की व्यवस्था** की गई है।
- **लंबित कार्यवाही को** पुराने कानून के अनुसार ही **निपटाया** जाएगा।
- दोहरे कराधान से **बचने के लिए** सरकार **कर संधियाँ कर सकती** है।

अन्य संबंधित तथ्य: राष्ट्रपति ने हाल ही में **कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025** को अपनी मंजूरी दे दी। यह अधिनियम मौजूदा कर कानूनों, मुख्यतः **आयकर अधिनियम, 1961** और **वित्त अधिनियम, 2025** में संशोधन करने के लिए एक विधायी कदम है।

- **संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान:** एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) के लिए छूट, **सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) और उसकी सहायक कंपनियों को कर लाभ**, तलाशी मामलों में ब्लॉक असेसमेंट की व्यवस्था।

3.9. पर्यावरण, सामाजिक और शासन {Environmental, Social, and Governance (ESG)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भारत में ESG फ्रेमवर्क में सुधार के लिए सिफारिशें की है।

ESG फ्रेमवर्क क्या है?

- ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर किसी कंपनी की स्थिरता और नैतिक प्रथाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा है।

ESG फ्रेमवर्क का महत्त्व

- **वैश्विक व्यवस्थाओं के अनुरूप:** संधारणीय विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का समर्थन करता है।
- **वित्तपोषण तक पहुँच:** ESG-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित करता है और ग्रीन फाइनेंसिंग (हरित वित्त) प्राप्त करना आसान करता है।
- **परिचालन दक्षता में सुधार:** नवीकरणीय ऊर्जा जैसी संधारणीय पद्धतियों को अपनाकर लागत कम करता है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** पर्यावरणीय/ सामाजिक नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाले नवाचार और लचीलेपन को बढ़ावा देता है।

- **ब्रांड वैल्यू:** सामाजिक प्रभाव और हितधारकों के विश्वास को बढ़ाता है।

भारत में ESG रिपोर्टिंग से जुड़ी चुनौतियाँ (संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित)

- **ग्रीनवाशिंग का बढ़ता जोखिम:** अपने ESG प्रदर्शन के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करना।
- **विभिन्न क्षेत्रकों में असंगत कार्यान्वयन।**
- ESG पद्धतियों को अपनाने में लघु व्यवसायों के समक्ष आने वाली कठिनाइयां।
- **अन्य चुनौतियां:** जागरूकता और शिक्षा का अभाव, व्यावसायिक रणनीति के साथ एकीकरण, आदि।

भारत में ESG को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR):** यह एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे सेबी (SEBI) ने भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया है।
- **BRSR कोर:** मूल्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) अनिवार्य करता है।
- **NGRBCs:** ये स्वैच्छिक दिशानिर्देश 2019 में जारी किए गए। इनका उद्देश्य कंपनियों को नैतिक और संधारणीय पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निर्धारित सीमा को पूरा करने वाली कंपनियों को अपने **औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।**

ESG को प्रभावी बनाने के लिए आगे की राह

- **संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें:** अलग ESG निरीक्षण संस्था की स्थापना, कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन, स्वतंत्र ESG समितियां
- **अन्य अनुशंसाएँ**: स्पष्ट ESG लक्ष्य तय करना, ESG प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना, ESG विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करना।

3.10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India: CCI)

सुर्खियों में क्यों?

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने संसद के समक्ष **"अर्थव्यवस्था विशेषकर डिजिटल परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बदलती भूमिका"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 2003 में **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** के तहत की हुई थी, लेकिन इसने 2009 से कार्य करना शुरू किया।
- **मंत्रालय:** कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)
- **संरचना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य।
- **अपीलीय प्राधिकरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT)**, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के लिए अपीलीय प्राधिकरण है।

CCI की भूमिका

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को समाप्त करना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- **सरकार को प्रतिस्पर्धा से जुड़े विषयों पर सलाह देना।**
- प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य-पद्धतियों की जांच, पूछताछ, आदेश पारित करना और जुर्माना लगाना।
- विलय को विनियमित करना।
- **बदलती चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालना:** उदाहरण के लिए, डिजिटलीकरण से लेकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तक की चुनौतियों से निपटने के लिए **डिजिटल मार्केट्स डिवीजन (DMD)** का गठन किया गया।

CCI के समक्ष उभरती हुई चुनौतियां

- **डिजिटलीकरण:** टेक कंपनियां गेटकीपर के रूप में, नेटवर्क इफेक्ट (जैसे, व्हाट्सएप डेटा नीति), बड़े प्लेटफॉर्म (जैसे, अमेजन) द्वारा डेटा लाभ, इकोसिस्टम पर प्रभुत्व (जैसे, एप्पल), आदि।
- **नीतिगत कमियां:** राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति, 2011 में तैयार की गई थी लेकिन अब तक लागू नहीं हुई है। **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक** (व्यापक सीमाएं, DPDP अधिनियम के साथ टकराव) पर चिंताएं।
- **सीमा-पार न्याय-क्षेत्र से संबंधित मुद्दे:** डिजिटल बाजारों में वैश्विक विनियामकों के साथ सहयोग करना जरूरी है।
- **संसाधन और क्षमता की कमी:** कुल 195 पदों में से केवल 113 भरे गए हैं; AI जैसी तकनीकी विशेषज्ञता का भी अभाव है।
- **कार्यान्वयन की प्रभावशीलता:** CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने को प्रायः अपीलीय न्यायालयों द्वारा रोक दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है।
- **MSMEs के लिए खतरा:** 2,000 करोड़ रुपये की **डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड (DVT)** के कारण बड़ी कंपनियां बिना विनियामकीय जांच के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का अधिग्रहण कर सकती हैं।

प्रतिस्पर्धा को सुव्यवस्थित करने के लिए हालिया पहलें

- **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023:** 2000 करोड़ रुपये से अधिक वैल्यू वाले विलय और अधिग्रहण अधिसूचित, स्वैच्छिक निपटान तंत्र, अपील के मामले में 25% जुर्माना जमा करना अनिवार्य है।

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल फर्म प्रणालियों को विनियमित करता है।

आगे की राह (समिति की सिफारिशें)

- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विनियमन: बाजार अध्ययन** का उपयोग करना चाहिए, **राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को लागू करना** चाहिए, आदि।
- **सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों से सीखना: EU डिजिटल मार्केट्स एक्ट** से सीख लेकर निष्पक्ष गेटकीपर व्यवहार सुनिश्चित करना।
- **MSMEs के लिए कम डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड्स:** MSME से जुड़े अधिग्रहण की निगरानी, सक्रिय CCI कार्रवाई और **डेटा तक पहुंच** सुगम बनाना चाहिए।
- **संस्थागत क्षमता:** CCI में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, निरंतर प्रशिक्षण में निवेश किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक में सुधार करना:** ताकि व्यापक थ्रेशहोल्ड जैसी मौजूदा चिंताओं को दूर किया जा सके।

3.11. भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (Indian Ports Act, 2025)

भारत की राष्ट्रपति ने "भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025" को अपनी मंजूरी दी है। यह भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के स्थान पर लागू किया गया है।

भारतीय पतन अधिनियम, 2025 के बारे में

- इसका उद्देश्य पत्तनों से संबंधित कानून को सुदृढ़ करना, एकीकृत पत्तन विकास को बढ़ावा देना, व्यापार को आसान बनाना तथा **भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग** सुनिश्चित करना है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC):** यह पत्तनों के विकास, कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा के संबंध में सलाह देने वाली **वैधानिक संस्था** होगी। इसके अध्यक्ष **केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री होंगे।
- **स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स (SMB):** प्रत्येक राज्य में लघु पत्तनों का प्रशासन सुनिश्चित करेगा।
- **विवाद समाधान:** राज्य-स्तरीय समितियाँ पत्तन से जुड़े विवादों का समाधान करेंगी।
- **पत्तन प्रशुल्क (Port Tariff): प्रमुख (Major) पत्तनों या महापत्तन** के लिए शुल्क **बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी** द्वारा तय किया जाएगा। अन्य पत्तनों के लिए SMB अथवा पट्टाधारक द्वारा शुल्क तय किया जाएगा।
- **पत्तन अधिकारी (Port officer):** तट पर लंगर डालने (बर्थिंग), जहाजों का स्थान निर्धारित करने एवं अवरोधों को हटाने के संबंध में निर्देश जारी करने हेतु पत्तन अधिकारी (संरक्षक/ Conservator) नियुक्त किया जाता है।
- **मेगा पोर्ट्स:** केंद्र सरकार किसी पत्तन को 'मेगा पोर्ट' घोषित कर सकती है, हालांकि उसकी मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- **सुरक्षा एवं आपदा स्थिति प्रबंधन:** आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी एवं त्वरित प्रतिक्रिया के लिए योजना बनाना अनिवार्य है।
- **पर्यावरण नियमों का अनुपालन:** जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (MARPOL) और ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट (BWM) कन्वेंशन का अनुपालन अनिवार्य है।
- **दंड एवं डिजिटलीकरण:** बंदरगाह से जुड़े डेटा का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में एकीकरण करना, नई दंड व्यवस्था लागू करना।
- **स्वामित्व में परिवर्तन:** स्वामित्व में परिवर्तन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक है।
- **अपवाद:** यह अधिनियम सैन्य, गैर-व्यावसायिक सरकारी, नौसेना / तटरक्षक, विदेशी युद्धपोतों पर लागू नहीं होता।

भारत में पत्तन

- **पत्तन नेटवर्क:** 12 प्रमुख पत्तन/महापत्तन (13वाँ वधावन में निर्माणाधीन) और लगभग 200 लघु पत्तन हैं।
- **प्रमुख पत्तन:** केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं।
- **लघु पत्तन:** राज्य सरकार के स्वामित्व में होते हैं।
- **समुद्री व्यापार:** भारत के कुल व्यापार का लगभग **95% मात्रा (Volume)** के हिसाब से और **70% मूल्य (Value)** के हिसाब से समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित होता है। इसमें **प्रमुख पत्तन की हिस्सेदारी 53%, लघु पत्तन की हिस्सेदारी 47%** है।
- **उत्पादकता में सुधार (वित्त वर्ष 2015–2025):** टर्नअराउंड टाइम में 48% की कमी आई है। यह 96 घंटे से घटकर 49.5 घंटे हो गया है। **खाली रहने का समय (Idle Time)** लगभग **29%** घटकर **23.1%** से **16.3%** पर आ गया।

विकास संबंधी उपाय

- **सागरमाला (2015):** पत्तन-आधारित विकास के लिए शुरू की गई है।
- **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030:** समुद्री क्षेत्रक के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का लक्ष्य है।
- **मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट, 2021:** विनियमन व नियोजन योजना हेतु लागू किया गया है।
- **पत्तन निर्माण व रखरखाव में स्वचालित मार्ग से 100% FDI** की अनुमति दी गई है।

3.11.1. सागरमाला कार्यक्रम के 10 वर्ष (10 Years of Sagarmala Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सागरमाला कार्यक्रम ने पिछले एक दशक में तटीय नौवहन में 118% की वृद्धि हासिल की है।

सागरमाला कार्यक्रम के बारे में

- **क्रियान्वयन मंत्रालय और योजना का शुभारंभ:** इसे 2015 में शुरू किया गया था। यह **केंद्रीय पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** की एक प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य:** भारत की **11,098 किमी. लंबी तटरेखा** और **14,500. किमी. लंबे नौपरिवहन योग्य जलमार्गों** की क्षमता का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास को तेज करना है।
- **मुख्य लक्ष्य:** लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, घरेलू जलमार्गों को बेहतर बनाना, रोजगार सृजन और समुद्री कौशल विकसित करना।
- **वित्तपोषण-संरचना:** पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संसाधन, सामाजिक-प्रभाव उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए दिया गया अनुदान और स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPVs) के द्वारा किया जाने वाला इक्विटी निवेश, आदि इसके वित्तपोषण के साधन हैं।
- **सागरमाला 2.0 (2025):** इसके तहत जहाज-निर्माण, पुराने जहाजों की मरम्मत, पुनर्चक्रण और पत्तन आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
- **घटक और उपलब्धियाँ:**
  - **पत्तन आधुनिकीकरण एवं नये पत्तनों का विकास:** 9 भारतीय पत्तन विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल हैं।
  - **पत्तन से कनेक्टिविटी में सुधार:** 40 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ है।
  - पत्तन से संबंधित औद्योगीकरण हुआ है।
  - **तटीय समुदाय का विकास:** 5.79 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से 1.41 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
  - **तटीय पोत-परिवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा:** कार्गो की ढुलाई में 700% की वृद्धि हुई है।

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न पहलें

- सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग (CEMS)
- कोस्टल बर्थ योजना।

3.12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana: PMGSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों में PMGSY के तहत कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जताई है।

PMGSY के बारे में

- **क्रियान्वयन मंत्रालय और योजना का शुभारंभ:** यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की **केंद्र प्रायोजित योजना है**; यह दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** गरीबी उन्मूलन की रणनीति के तहत पात्र 'असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों' को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना।
- **बस्तियों के लिए पात्रता मानदंड:** मैदानी क्षेत्र: **500 या उससे अधिक आबादी;** पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य: **250 या उससे अधिक आबादी;** LWE प्रभावित जिले: **100 या उससे अधिक आबादी** (जनगणना 2011 के अनुसार)।

PMGSY की मुख्य विशेषताएँ

- **संस्थागत व्यवस्था: राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA)** तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करती है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (SRRDAs) राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करती हैं।
- **विकेंद्रीकृत योजना:** इसमें **पंचायती राज संस्था, विधायक (MLAs) और सांसद (MPs)** शामिल होते हैं।
- **निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली:**
  - **OMMAS:** पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए वेब-आधारित सिस्टम है।
  - **eMARG प्लेटफ़ॉर्म:** सड़क-रखरखाव और अनुबंधक (ठेकेदार) के प्रदर्शन का जियो-टैग्ड सत्यापन करता है।
  - **मेरी सड़क ऐप:** धीमी प्रगति, अधूरे काम या खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं को दूर करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **नई सामग्री/ ग्रीन तकनीकों का उपयोग:** फ्लाई ऐश, चूना, पॉलिमर, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट, कोल्ड मिक्स डामर, अपशिष्ट से बनी प्लास्टिक, कॉयर जियो-टेक्सटाइल, लोहा/ तांबा/ स्टील स्लैग, और बायोइंजीनियरिंग (जूट/ बांस), आदि का उपयोग किया जाता है।

समिति की सिफारिशें

- सड़क की गुणवत्ता पर कम राशि वाली बोली के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- न्यूनतम बोली और वास्तविक बोली के अंतर को सिक्योरिटी (जमानत) के रूप में अलग रखा जाए, जिसे केवल गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद ही जारी किया जाए।
- ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) को गुणवत्ता मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए और निगरानी/ जवाबदेही में सुधार करना चाहिए।
- गलती करने वाले ठेकेदारों की शॉर्टलिस्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग करनी होगी और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें वास्तव में संपर्क-रहित बस्तियों तक पहुँचें।

- DoRD को बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
- उग्रवाद, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, कानून-व्यवस्था और वन-मंजूरी जैसी चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।
- क्षेत्र विशेष के लिए नवाचारपूर्ण समाधान अपनाकर परियोजना में देरी से बचा जाना चाहिए और समय पर काम पूरा करना चाहिए।

3.13. एम. एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती (100th Birth Anniversary of MS Swaminathan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

एम. एस. स्वामीनाथन का प्रमुख योगदान

- **हरित क्रांति के सूत्रधार:** अधिक उपज देने वाले छोटे दाने के गेहूं और इंडिका धान की किस्में प्रचलित कीं; पूसा बासमती (1989) विकसित किया।
- **सदाबहार क्रांति:** रसायनों के अधिक प्रयोग और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने से बचते हुए संधारणीय उत्पादकता का समर्थन किया।
  - सदाबहार क्रांति **'प्रकृति के अनुकूल'** और **'गरीब हितैषी'** पद्धति है, जिसमें आजीविका सुरक्षा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है।
  - इसके मुख्य घटक हैं – **ईको-एग्रीकल्चर (पर्यावरण अनुकूल कृषि), बायो-विलेज (जैव गाँव), विलेज नॉलेज सेंटर (ग्राम ज्ञान केंद्र),** तथा **आर्थिक, सामाजिक व लैंगिक स्तर पर नैतिकता और न्याय** सुनिश्चित करना।
- **पारिस्थितिक पद्धतियां:** वर्षा जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-अनुकूल फसल और मिलेट्स (श्री अन्न) की खेती को बढ़ावा दिया।
- **जैव विविधता और कानून:** उन्होंने **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001** और **जैव विविधता अधिनियम – 2002** जैसे कानूनों के निर्माण में योगदान दिया।
- **'जैव खुशहाली (बायोहैप्पीनेस)' की अवधारणा:** जैव विविधता संरक्षण को मानव कल्याण और पोषण से जोड़ते हुए जैव खुशहाली की अवधारणा प्रस्तुत की।
- **कृषि में महिलाएं:** महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए महिला कृषक अधिकार विधेयक (2011) प्रस्तुत किया गया।
- **पोषण सुरक्षा पर ध्यान:** खाद्य सुरक्षा की बजाय पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया; बायो-फोर्टिफाइड और पोषण समृद्ध फसलों की खेती को बढ़ावा दिया।
- **राष्ट्रीय कृषि पहलों का नेतृत्व: उन्होंने सिफारिश की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन की भारांश लागत से 50% या उससे अधिक होना चाहिए।**

3.14. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.14.1. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings)

S&P ने भारत की **लंबी अवधि** की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर कर **'BBB-' से 'BBB'** और **लघु अवधि** की रेटिंग को **'A-3' से 'A-2'** कर दिया है, जिसमें **आउटलुक स्थिर (Stable)** है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के बारे में

- यह S&P, फिच, मूडीज जैसी एजेंसियों द्वारा **किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का स्वतंत्र आकलन** है।
- **रेटिंग ग्रेड:** SCR में सामान्यतः देशों को इन्वेस्टमेंट-ग्रेड (BBB- से AAA) या स्पेक्युलेटिव-ग्रेड में रेट किया जाता है। उच्चतर ग्रेड का अर्थ है कि डिफ़ॉल्ट होने का खतरा कम है।
- **महत्व:** वैश्विक पूंजी तक पहुँच प्राप्त होती है, विदेशी निवेश को सुगम बनाती है और कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होता है।
- **चिंताएं:** रेटिंग प्रक्रियाओं में पक्षपात, हितों का टकराव और घरेलू कंपनियों की रेटिंग को सीमित करने वाली रेटिंग सीलिंग को लेकर चिंताएं हैं।

3.14.2. गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र (GIFT City-like Financial Centers)

वित्त मामले पर संसदीय स्थायी समिति ने **गिफ्ट सिटी जैसे अधिक वित्तीय केंद्रों** के विकास की सिफारिश की है।

गिफ्ट सिटी (गांधीनगर, गुजरात) के बारे में

- **स्थापना:** गुजरात में स्थापित गिफ्ट सिटी भारत का **पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)** है। यह 2015 से यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में संचालित हो रहा है; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के अंतर्गत यह एक गैर-निवासी क्षेत्र है।
- **कार्य:** विदेशी मुद्रा में ऑनशोर/ऑफशोर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना, अनुकूल कर संरचना, विश्वसनीय विनियामकीय परिवेश, कारोबार करने में आसानी, देश में और देश से बाहर निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **विनियामक निकाय:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) **वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों** को विनियमित करता है। IFSCA को **IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत 2020** में स्थापित किया गया।
- **वर्तमान स्थिति (Current Status):** गिफ्ट सिटी गुजरात को **वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 46वां स्थान मिला है, इसकी रैंक में 5 रैंक का सुधार हुआ है। साथ ही इसे फिनटेक रैंकिंग में 45वां स्थान मिला है।**

3.14.3. भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India's Retail Inflation)

जुलाई 2025 में भारत की **खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 8 वर्षों के निम्नतम स्तर 1.55% पर** आ गई। इसका कारण अनुकूल बेस इफ़ेक्ट, दालों और अन्य उत्पाद जैसी वस्तुओं के मूल्यों में कमी आना था। इसका मापन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बारे में

- **आशय:** यह परिवारों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है।
- **महत्व:** यह प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, राष्ट्रीय लेखा अपस्फीतिकारक (deflators) के रूप में, और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- **जारीकर्ता:** इसे **प्रत्येक महीने की 12 तारीख को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** द्वारा जारी किया जाता है।
- **घटक:** औद्योगिक श्रमिकों (IW), कृषि मजदूरों (AL), ग्रामीण मजदूरों (RL), शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों (UNME) के लिए CPI।
- **CPI का आधार वर्ष:** 2012.
- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से तुलना:** CPI में खाद्य वस्तुओं का भारांश अधिक होता है; WPI में ईंधन का भारांश अधिक होता है; दोनों के भारांश पैटर्न अलग-अलग हैं।

3.14.4. RBI का वित्तीय क्षेत्रक के लिए Free-Ai विज़न (RBI's Free-Ai Vision for Financial Sector)

RBI की एक समिति ने **"फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI)"** का अनावरण किया है।

FREE-AI विजन के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत के वित्तीय क्षेत्रक में AI को **सुरक्षित, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से अपनाना है**।
- **7 सूत्र:** AI को अपनाने के लिए **मूलभूत सिद्धांत:** विश्वास, पीपल फर्स्ट, नवाचार, सुरक्षा लचीलापन एवं स्थिरता, समझने योग्य डिजाइन, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही हैं।
- **द्वि-आयामी दृष्टिकोण:**
  - **नवाचार को बढ़ावा देना:** साझा अवसंरचना, AI इनोवेशन सैंडबॉक्स, AI नीति मार्गदर्शन, संस्थागत क्षमता निर्माण, और कम जोखिम वाले **AI समाधानों हेतु उदार अनुपालन आवश्यकताएं।**
  - **जोखिम को कम करना:** बोर्ड-अनुमोदित AI नीतियां, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रियाओं और ऑडिट में एकीकरण, मजबूत साइबर सुरक्षा, AI लाइफसाइकल गवर्नेंस, उपभोक्ता जागरूकता।

महत्व

- AI संबंधी निवेश 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है; केवल जनरेटिव AI (GenAI) में 2033 तक 1.02 लाख करोड़ रुपये तक निवेश होने की संभावना है।
- किन्तु इसमें बहुत से जोखिम भी शामिल हैं, जैसे कि डेटा की गोपनीयता ख़त्म होना, एल्गोरिदम में पक्षपात, बाजार में हेरफेर, साइबर अटैक और गवर्नेंस संबंधी विफलताएं; जो बाजार की शुचिता और उपभोक्ता के विश्वास को कम कर सकती हैं।

3.14.5. स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस (Small Finance Bank Universal License)

RBI ने **AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक (SFB) से यूनिवर्सल बैंक** में बदलने के लिए **'सैद्धांतिक'** मंजूरी दी है।

- **यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस:** किसी बैंक को **व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर** उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** इससे पहले यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस **2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक (जो बाद में IDFC फर्स्ट बैंक बना)** को दिए गए थे।

लघु वित्त बैंक (SFB) के बारे में

- **शुरुआत:** 2014-15 के **केंद्रीय बजट** में इसकी घोषणा की गई थी।
- **उद्देश्य:** वित्तीय समावेशन।
- **पंजीकरण:** यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत होता है।
- **लाइसेंस और विनियमन:** इसकी लाइसेंसिंग एवं विनियमन **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत किया जाता है।
- **पूंजी की आवश्यकता:** 200 करोड़ रुपये (कुछ SFBs के लिए अपवाद हो सकता है)।
- **पात्र प्रमोटर्स: बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव** रखने वाले भारतीय निवासी व्यक्ति/ पेशेवर।

3.14.6. RBI ने को-लेंडिंग नियमों को सख्त किया (RBI Tightens Co-Lending Norms)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

- को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA), बैंकों और NBFCs जैसी विनियमित संस्थाओं (REs) को आपस में साझेदारी कर, विनियामक नियमों का पालन करते हुए ऋण-आवेदकों को ऋण प्रदान करने की अनुमति देती है।

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **न्यूनतम हिस्सा:** प्रत्येक विनियमित संस्था को **ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना** होगा।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL):** यदि ऋण PSL मानदंडों के लिए पात्र है, तो हर ऋणदाता को-लेंडिंग (CL) के तहत अपने हिस्से के लिए PSL दर्जे का दावा कर सकता है।
- **एकसमान परिसंपत्ति वर्गीकरण:** यदि एक ऋणदाता किसी ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत करता है तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण को NPA वर्गीकृत करना होगा।
- **मिश्रित ब्याज दर:** उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर सभी विनियमित संस्थाओं की आंतरिक ब्याज दरों के भारित औसत के आधार पर तय की जाएगी, जो उनके वित्त-पोषण योगदान के अनुपात में होगी।

3.14.7. नागरिक विमानन क्षेत्र में सुरक्षा (Safety in the Civil Aviation Sector)

एक संसदीय स्थायी समिति ने नागर विमानन क्षेत्रक में सुरक्षा की समीक्षा पर रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य चिंताओं पर एक नज़र

- **नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)** में स्टाफ की कमी,
- **एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर (ATCO)** की लगातार कमी और अत्यधिक कार्य बोझ,
- बड़ी संख्या में सुरक्षा से जुड़े अनसुलझे लंबित मामलें,
- दुर्घटनाओं के मूल-कारण का गहन विश्लेषण नहीं होने के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होना,
- आयातित पुर्जों पर उच्च कराधान और अवसंरचना की कमी,
- दंड के भय से गलतियों की रिपोर्टिंग न होना/कम होना। इन सभी से सुरक्षा संबंधी निगरानी प्रभावित हो सकती है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **विनियामक स्वायत्तता और क्षमता बढ़ाना:** DGCA को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना; UPSC से भर्ती की बजाय **एक अलग विशेष भर्ती संस्था** स्थापित करनी चाहिए।
- **एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कर्मचारियों की थकान और कम स्टाफ:** कर्मचारियों की थकान से निपटने की प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए, स्टाफिंग ऑडिट और प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार करना चाहिए।
- **निगरानी और प्रवर्तन तंत्र:** कमियों को दूर करने के लिए एक समयबद्ध तंत्र स्थापित करना चाहिए और कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए।
- **परिचालन जोखिम का प्रबंधन:** दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और आवश्यक उपायों को लागू करना चाहिए।
- **घरेलू MRO का विकास:** कर को युक्तिसंगत बनाना, वित्तीय और अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन के माध्यम से देश में ही विमान रखरखाव, घरेलू मरम्मत और कायापलट (MRO) क्षमताओं को बढ़ावा देना चाहिए।
- **न्यायोचित कार्य संस्कृति और व्हिसलब्लोअर का संरक्षण:** एक व्यापक **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा फ्रेमवर्क** की स्थापना करनी चाहिए।

3.14.8. स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (Steel Scrap Recycling Policy: SSRP)

हाल ही में, कोयला, खान और इस्पात संबंधी **स्थायी समिति** ने **स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (SSRP)** पर रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के अनुसार स्टील स्क्रैप क्षेत्रक से जुड़ी मुख्य चिंताएं

- इस्पात स्क्रैप क्षेत्रक पर **व्यापक डेटा बेस का अभाव,**
- स्टील स्क्रैप मामलों के लिए **निर्दिष्ट नोडल मंत्रालय का अभाव,**
- औपचारिक **स्क्रैप बाजारों का अभाव,**
- स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षेत्रक को **उद्योग का दर्जा न मिलना,**
- स्क्रैप कार्यबल के लिए **कौशल विकास और प्रमाणन का अभाव,**
- स्क्रैप प्रोसेसिंग केंद्रों में **अप्रचलित तकनीकों का उपयोग।**

स्टील स्क्रैप क्षेत्रक के लिए सिफारिशें

- स्टील स्क्रैप का एक मजबूत डेटाबेस विकसित करना चाहिए। उत्पादन, उपयोग, नीतियों, कार्यक्रमों और लाभों पर अपडेटेड डेटा के साथ एक समर्पित पोर्टल बनाना चाहिए और उसका रखरखाव करना चाहिए।
- **इस्पात मंत्रालय को नोडल एजेंसी** बनाना चाहिए; इसके द्वारा स्टील स्क्रैप से संबंधित सभी डेटा (राज्यवार, क्षेत्रवार, आयात व निर्यात) एकत्रित, संकलित, अपडेट और साझा किए जाने चाहिए।
- **अनौपचारिक स्क्रैप क्षेत्रक को औपचारिक बनाने के लिए रोडमैप को लागू करना चाहिए।** आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए **कबाड़ियों और डिस्मेंटल करने वालों को सहकारी समितियों में** संगठित करना चाहिए।
- निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए **स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षेत्रक को उद्योग का दर्जा** देना चाहिए।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा** कबाड़ प्रबंधन पर **प्रमाणन कोर्स शुरू किया जाना चाहिए।** औपचारिक क्षेत्रक की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कार्यबल और उद्यमियों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
- **इन केंद्रों को (गैर-राजकोषीय) प्रोत्साहन देकर आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए,** जैसे: AI-संचालित ऑप्टिकल सेंसर; कबाड़ ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन; इस्पात मिलों को कबाड़ संग्राहकों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आदि।

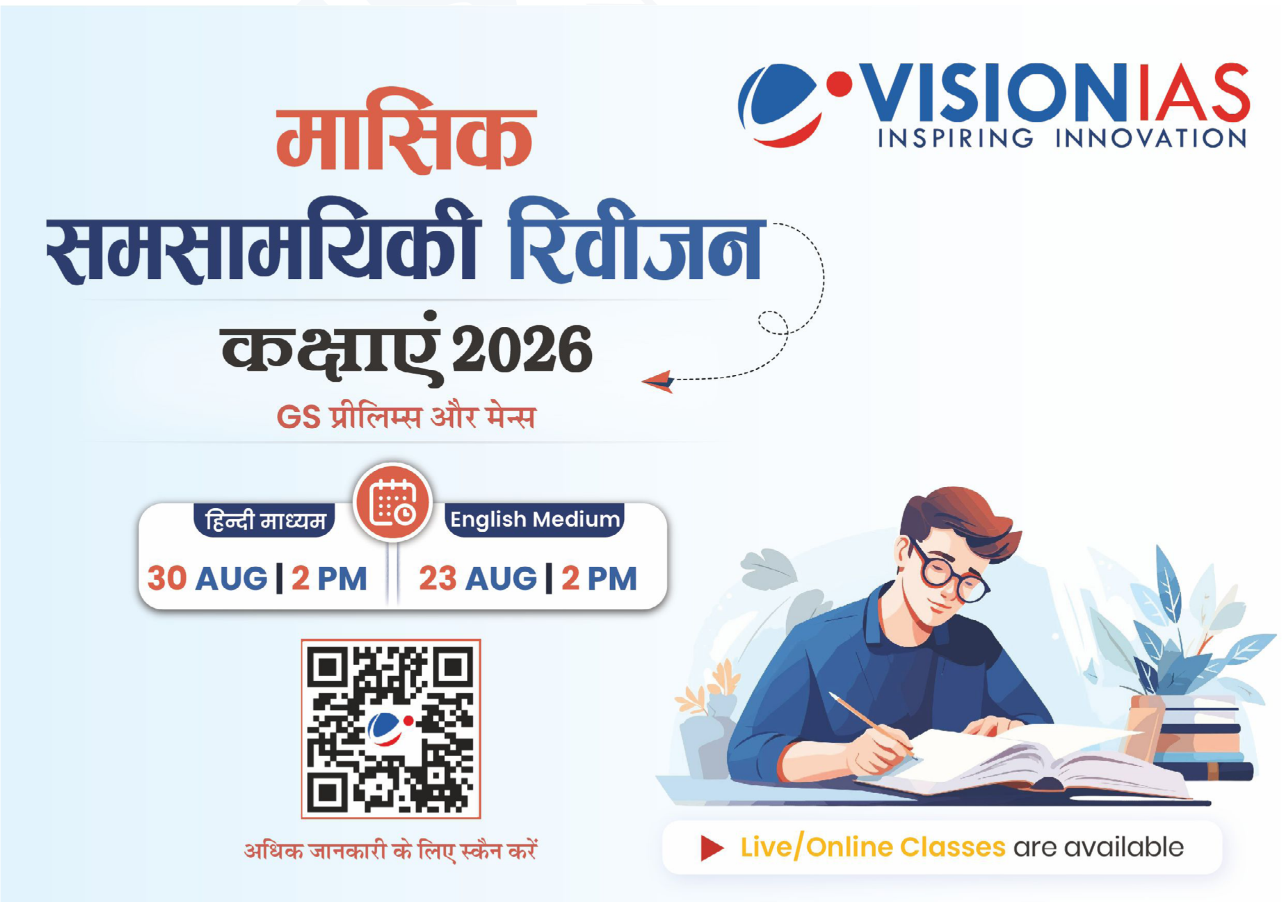

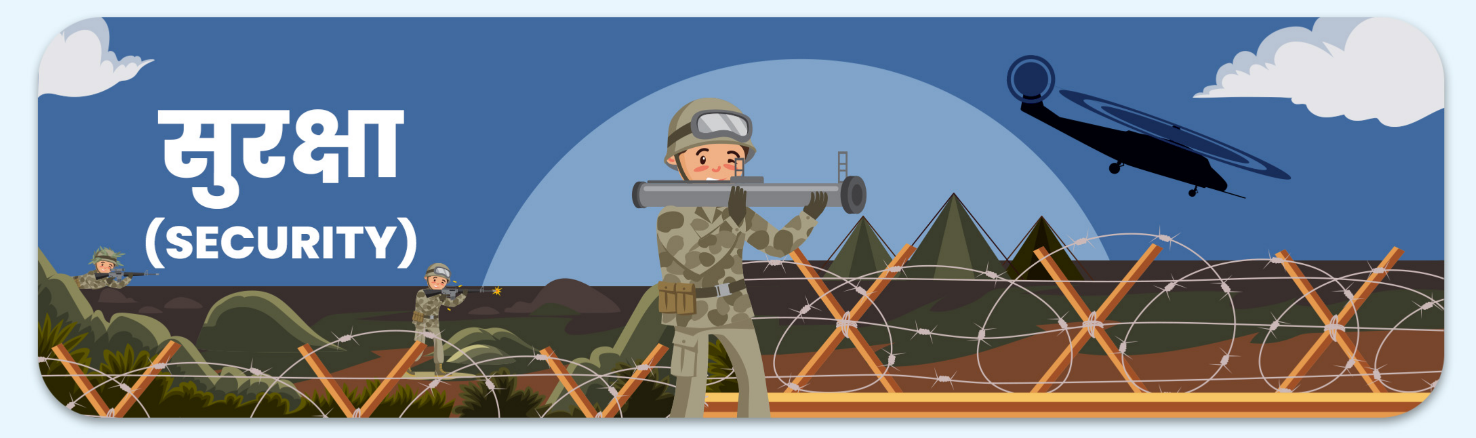

4.1. उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन (High-Powered Demography Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधान मंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, **अवैध अप्रवासन** की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से एक **उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन** के शुभारंभ की घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अवैध अप्रवासी** वे हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चोरी-छिपे और गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं।
- वर्तमान में, भारत में रह रहे अवैध अप्रवासियों की संख्या का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है।
  - वर्ष 2016 में, सरकार ने अनुमान लगाया था कि भारत में लगभग **20 मिलियन** अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी रह रहे हैं।

भारत में अवैध अप्रवासन/घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले कारण

- **भौगोलिक कारण:** खुली और नदीय सीमाएं (बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार); घने वन एवं पहाड़ी क्षेत्र, आदि।
- **सामाजिक-आर्थिक कारण:** पड़ोसी देशों में गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक उत्पीड़न, आदि।
- **राजनीतिक/प्रशासनिक कारण:** भ्रष्टाचार (जाली पहचान पत्र आसानी से बनना), राजनीतिक संरक्षण (वोटबैंक की राजनीति), आदि।
- **ऐतिहासिक/सांस्कृतिक कारण:** विभाजन (1947) और 1971 के युद्ध के कारण हुए पलायन; साझा संस्कृति जिसके कारण पहचान कठिन हो जाती है।
- **सुरक्षा/रणनीतिक कारण:** आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ (पाकिस्तान समर्थित), तस्करी नेटवर्क, ख़राब निगरानी अवसंरचना।

अवैध अप्रवासन और घुसपैठ से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** रोहिंग्या जैसे चरमपंथी समूह **संवेदनशील अवैध प्रवासियों की भर्ती कर सकते हैं**। साथ ही सीमाओं पर तस्करी और मानव तस्करी का ख़तरा बना रहता है।
- **जनसांख्यिकीय प्रभाव:** अवैध प्रवासन से **नृजातीय और धार्मिक तनाव उत्पन्न होता है**, विशेषकर असम जैसे राज्यों में।
- **सामाजिक-आर्थिक तनाव:** सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, **सस्ते श्रम के कारण स्थानीय श्रमिकों को विस्थापित किया जाता है, तथा भूमि अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है।**

भारत में अवैध अप्रवासन/ घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **विधायी एवं नीतिगत उपाय: आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025** पहचान, हिरासत, निर्वासन को बढ़ावा देता है; **असम में NRC को अपडेट किया गया; CAA, 2019 भी प्रासंगिक है।**
- **सीमा प्रबंधन पहल: भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं** पर बाड़ लगाना, फ्लडलाइट्स ; व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत ड्रोन, सेंसर जैसी स्मार्ट तकनीक।
- **संस्थागत उपाय: विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण, विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946** के तहत अवैध अप्रवासन मामलों का फैसला करते हैं।

आगे की राह: अवैध घुसपैठ/अप्रवासन को रोकने के उपाय

- **सुरक्षा एवं खुफिया:** IB, BSF, राज्य पुलिस और स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ **निर्बाध समन्वय स्थापित कर खुफिया ग्रिड को मजबूत करना।**
- **सीमा प्रबंधन:** नदी क्षेत्रों में **विशेष फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट और UAV से निगरानी।**
- **राष्ट्रीय शरणार्थी कानून: शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों को अलग करने हेतु आवश्यक;** भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं है।
- **द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन: अवैध नागरिकों को वापस भेजने के लिए समझौते।**
- **अन्य उपाय:** UNHCR का समर्थन प्राप्त करना, राष्ट्रीय पहचान पत्रों को शीघ्र जारी करना, तथा **अवैध अप्रवासियों/शरणार्थियों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाए रखना।**

निष्कर्ष

उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का **उद्देश्य मजबूत सीमा बाड़बंदी, त्वरित न्यायाधिकरण निर्णय, द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौते** और मजबूत राष्ट्रीय पहचान प्रणाली के माध्यम से अवैध घुसपैठ का मुकाबला करना है।

4.2. रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि (Increased Private sector share in Defence Production)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा उत्पादन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी 23% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। **यह लगातार तीसरा वर्ष है जब निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है।**

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण

- **संस्थागत सुधार: सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने** और स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने **के लिए CDS और सैन्य मामलों के विभाग** का गठन किया जाना।
- **नीतिगत एवं विनियामक सुधार:** रक्षा खरीद प्रक्रिया (DAP) 2020 घरेलू खरीद को प्राथमिकता देना; **उदारीकृत FDI नीति द्वारा ऑटोमैटिक रूट** के तहत 74% तक **FDI की अनुमति देना**; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची द्वारा आयात को प्रतिबंधित करना; मेक इन इंडिया अभियान द्वारा निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित करना।
- **औद्योगिक अवसंरचना एवं बजटीय सहायता: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में** रक्षा औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जाना; वित्त वर्ष 2025-26 के रक्षा आधुनिकीकरण बजट का 75% हिस्सा **भारतीय कंपनियों से** खरीद के लिए आरक्षित किया जाना।
- **नवाचार एवं व्यापार सुगमता: iDEX और ADITI** उन्नत तकनीक के लिए स्टार्टअप्स/MSMEs को अनुदान प्रदान करना; लाइसेंस की वैधता बढ़ाना, **रक्षा वस्तुओं का लाइसेंस रद्द किया जाना, और डिजिटल निर्यात अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।**

रक्षा उत्पादन का महत्व

- **सामरिक सुरक्षा:** संघर्ष के समय में आपूर्ति-श्रृंखला के प्रति सुभेद्यता में कमी।
- **परिचालन तत्परता:** तीव्र आधुनिकीकरण।
- **प्रौद्योगिकीय:** कम छिपे हुए जोखिम, नागरिक क्षेत्र को तकनीकी लाभ।
- **कूटनीति:** हथियारों के निर्यात के माध्यम से सॉफ्ट पावर।
- **आर्थिक:** कम आयात, अधिक नौकरियां।

भारत के रक्षा उत्पादन में चुनौतियां

- **उत्पादन में देरी: निर्यात लक्ष्य प्राप्त न होना; HAL को मलेशिया का LCA कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को फिलीपींस** में एक भी टेंडर नहीं मिलना।
- **औद्योगिक मुद्दे: कच्चे माल**, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता; सीमित उत्पादन क्षमता।
- **आयात पर निर्भरता:** वैश्विक संघर्षों के कारण एस-400 जैसी **आपूर्ति में देरी।**
- **तकनीकी अंतराल:** मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया जाना; **AI, साइबर, हाइपरसोनिक्स,** स्टील्थ तकनीक तक सीमित पहुँच।
- **वित्तीय कमी:** रक्षा बजट अभी भी **3% से कम है,** इसका आधे से अधिक भाग सैन्य कार्मिकों पर खर्च होता है, जिससे आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास के लिए कम धनराशि बचती है।
- **मेक इन इंडिया** के बावजूद **विदेशी तकनीक पर निर्भरता बनी हुई है।**

आगे की राह

- **वैश्विक मानकों के अनुरूप** रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाकर **कम-से-कम GDP का 2%** करने की आवश्यकता है।
- विदेशी **OEMs** के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी साझाकरण, सह-विकास और सह-विनिर्माण, आदि शामिल होना चाहिए।
- **रक्षा शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल कार्यक्रम को** रक्षा उद्योग और अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषीकृत किया जाना चाहिए।
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी कंपनियों को **विदेशी अनुबंधों हेतु संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।
- छोटे उद्यमों को **रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं** में शामिल करने के लिए **निरंतर सहायता प्रदान** किया जाना चाहिए।
- **PMO-नेतृत्व वाली रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद** को सशक्त बनाया जाना चाहिए। DRDO को मुख्य रूप से **अनुसंधान एवं विकास पर ही ध्यान केंद्रित** करना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में **निजी क्षेत्रक और शिक्षाविदों की भागीदारी बढ़ाने** का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का लक्ष्य **अपने जनसांख्यिकीय शक्ति, वैश्विक साझेदारियों और सक्षम स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर AI** अंतरिक्ष एवं साइबर युद्ध प्रौद्योगिकियों में प्रगति करते हुए **रक्षा नवाचार में अग्रणी बनना है।**

4.3. सुदर्शन चक्र मिशन (Sudarshan Chakra Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने **79वें स्वतंत्रता दिवस पर मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इस मिशन का उद्देश्य **दुश्मन की घुसपैठ को बेअसर करने के लिए वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना** और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है।
- भारतीय वायु सेना **प्रोजेक्ट कुश** पर तीव्र प्रगति की मांग कर रही है, जो कि **DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** द्वारा संचालित एक स्वदेशी पहल है।
    - यह एक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल **(LR-SAM)** प्रणाली है।

सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का **विस्तार और आधुनिकीकरण करके** भारत की प्रतिरोधक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करना है।
    - **यह भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली** का हिस्सा है।
- **विशेषताएँ:**
    - **समयावधि**: यह मिशन 2035 तक पूर्ण हो जाएगा।
    - **यह रणनीतिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों/ परिसंपत्तियों** को व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा।
    - **यह सभी सार्वजनिक स्थानों को वायु, थल और जल से** राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।
    - यह मिशन **उन्नत निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक अवसंरचना** की सुरक्षा को एकीकृत करेगा।
    - **यह पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी होगी** जिसे भारत में विकसित एवं निर्मित किया जाएगा।
    - **हवाई वर्चस्व** और जमीनी सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
    - दुश्मन के आक्रमण के खिलाफ एक **मजबूत निवारक प्रभाव पैदा करेगा।**
    - रक्षा आधुनिकीकरण में **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।**

निष्कर्ष

सुदर्शन चक्र मिशन **भारत की सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है तथा संप्रभुता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।**

संबंधित सुर्ख़ियां

DRDO ने 'एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS)' का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे उम्मीद की जा रही है कि यह निगरानी करेगा, ख़तरे की पहचान करेगा और वायु रक्षा प्रणालियों को मिलाकर सुरक्षा के विविध स्तर प्रदान करेगा।

IADWS के बारे में

- **मुख्य घटक:**
    - **क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM):** यह **DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी मिसाइल** है। यह कम **दूरी (5 से 30 किमी तक)** की **सतह से हवा** में मार करने में सक्षम मिसाइल प्रणाली है। इसे सेना के बख़्तरबंद और सैन्य वाहनों के काफिले को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - **एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल:** RCI निर्मित मानव-पोर्टेबल वायु-रक्षा प्रणालियां (MANPADS), कम ऊंचाई वाले हवाई ख़तरों का मुकाबला करती हैं।
    - **लेजर-ड्यू:** इसे उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह **लेजर किरणों के साथ** प्रकाश की गति से **लक्ष्यों को भेदता है।**
    - **कमांड सेंटर: DRDL द्वारा केंद्रीकृत कमांड सेंटर** के माध्यम से एकीकृत नियंत्रण।

4.4 संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. अग्नि-5 (AGNI-5)

भारत ने **अग्नि-5 इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण **सामरिक बल कमान (SFC)** द्वारा किया गया है। SFC भारत के **परमाणु कमान प्राधिकरण** का हिस्सा है।

अग्नि-5 के बारे में

- यह एक **परमाणु-सक्षम सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SSBM)** है। यह **तीन-चरणीय ठोस ईंधन** इंजन से चलती है।
- **रेंज:** 5,000 किलोमीटर से अधिक।
- **विकासकर्ता:** इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने IGMDP **(अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश) के तहत विकसित किया है।**
- **महत्त्व:** यह भारत को **मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV)-सक्षम IRBMs** वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है। भारत के अतिरिक्त यह प्रणाली **अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस** के पास है।

सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SSBM)

- प्रारंभिक चरण में यह रॉकेट-संचालित होती है, तत्पश्चात् यह **बिना शक्ति वाले बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ** का अनुसरण करती है।
- ये **परमाणु या पारंपरिक** दोनों तरह के **वॉरहेड** ले जा सकती हैं।
- **मारक क्षमता के आधार पर वर्गीकरण:** कम दूरी की (1,000 किमी से कम),
  मध्यम दूरी की (1000-3000 किमी),
  उच्च-मध्यम दूरी की या इंटरमीडिएट-रेंज (3,000 से 5,500 किमी),
  लंबी/अंतरमहाद्वीपीय दूरी की (5,500 किमी से अधिक)।

4.4.2. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

SLINEX-25: भारतीय नौसेना के जहाज **आईएनएस राणा** और **आईएनएस ज्योति कोलंबो** में **"श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास" (SLINEX-25) के 12वें संस्करण** में भाग लेंगे।

- आईएनएस राणा निर्देशित **मिसाइल विध्वंसक** है जबकि आईएनएस ज्योति **फ्लीट टैंकर** है।
- यह **भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** है। इसकी **शुरुआत 2005 में** हुई थी।

पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. ई-मोबिलिटी (E-Mobility)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने पहले **इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स** एवं **"अनलॉकिंग ए 200 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs)"** रिपोर्ट जारी की है।

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) के बारे में

- **शुभारंभ:** वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर नीति आयोग राज्यों की ई-मोबिलिटी प्रगति का आकलन करेगा।
- **संकेतक:** यह इंडेक्स तीन मुख्य थीम्स में 16 संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। ये थीम्स हैं- परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण में प्रगति, चार्जिंग अवसंरचना, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) अनुसंधान एवं विकास (R&D)।
- **श्रेणियां:** यह सूचकांक राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: **अचीवर्स (100), फ्रंट रनर्स (65-99), परफॉर्मर्स (50-64) और एस्पिरेंट्स (0-49)।**
  - वर्ष 2024 के लिए, दिल्ली 77 अंकों के साथ इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद **महाराष्ट्र** (68), **चंडीगढ़** और **कर्नाटक** का स्थान आता है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) के बारे में

- **प्रकार:** बैटरी EVs, हाइब्रिड EVs, फ्यूल सेल EVs, प्लग-इन हाइब्रिड EVs, आदि।
- **स्थिति: 2024 में 2.08 मिलियन** EVs की बिक्री हुई है, इस प्रकार 2024 में कुल वाहनों में 7.6% EVs थे।

आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ

- **शून्य टेलपाइप उत्सर्जन:** ~3 गुना कम CO_2 उत्सर्जन।
- **ऊर्जा दक्षता:** ~60% विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जबकि पेट्रोल वाहनों में केवल 20% का रूपांतरण होता है।
- **तेल आयात में कमी:** भारत के 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
- **उपयोगकर्ता सुविधा:** घर पर चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, शोर में कमी, संचालन और रखरखाव की कम लागत।

चुनौतियां

- **वित्त-पोषण:** पूंजी लागत का अधिक होना, EMI के भार में वृद्धि होना।
- **वाहन-केन्द्रित:** भारी एवं महंगी बैटरियां, पुनर्विक्रय मूल्य का कम होना।
- **चार्जिंग अवसंरचना:** सार्वजनिक चार्जिंग लागत का अधिक होना, भूमि संबंधी मुद्दे, सहयोग में कमी होना, कोई एकीकृत ऐप का न होना।
- **जागरूकता:** भ्रम की स्थिति एवं गलत धारणाएं।
- **डेटा/ विनियमन:** EV डेटा का सटीक न होना, बैटरी आईडी का अभाव, इनवर्टेड वस्तु एवं सेवा कर (GST)।

भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **PM ई-ड्राइव योजना:** ई-वाहनों, चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करती है।
- **EV विनिर्माण योजना:** वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करती है।
- **पीएम ई-बस सेवा:** भुगतान सुरक्षा के साथ 38,000 से अधिक ई-बसें चलाई जाएंगी।
- **PLI योजना:** ऑटो के घटक एवं 50 GWh बैटरी का उत्पादन किया जाएगा।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST:** 12% से घटाकर 5% किया गया है।
- **ईवोलुशन्स प्रोग्राम:** स्टार्टअप्स के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का कार्यक्रम है।

आगे की राह

- **अधिदेश:** शून्य उत्सर्जन वाहन (ZEV) के लिए लक्ष्य, आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले वाहनों पर अधिक कर, 5 वर्षों में 5 शहरों में 100% EV अपनाना, आदि।
- **वित्त-पोषण:** कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
- **चार्जिंग:** 20 प्रमुख गलियारे विकसित करना, नोडल एजेंसियां बनाना, हब स्थलों का मानचित्रण करना, बैटरी अनुसंधान को बढ़ावा देना, आदि।
- **लागत:** लीजिंग मॉडल को बढ़ावा देना, बैटरी पासपोर्ट सिस्टम लागू करना, आदि।
- **जागरूकता:** राष्ट्रीय EV जागरूकता कार्यक्रम, एकीकृत राष्ट्रीय EV ऐप, आदि।

सर्वोत्तम उदाहरण

- **चीन:** "**10 सिटीज, 1000 व्हीकल**" प्रोग्राम।
- **सिंगापुर:** चार्जिंग स्टेशनों के लिए **EV इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड (EVe)।**
- **यूरोप: चार्जमैप** ऐप, वास्तविक समय पर चार्जिंग स्टेशन डेटा प्रदान करता है।
- **यूनाइटेड किंगडम (UK): एडवांस्ड प्रोपल्शन सेंटर (APC),** वाणिज्यीकरण के लिए **फैराडे बैटरी चैलेंज।**

5.2. आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का संकल्प (India's Resolution on Wise-Use of Wetlands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ज़िम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP-15 में '**आर्द्रभूमियों के लिए संधारणीय जीवनशैली को बढ़ावा देने**' पर भारत के संकल्प को स्वीकार कर लिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **समर्थन:** यह संकल्प COP26 (2021) में शुरू किए गए **मिशन लाइफ (LiFE) के सिद्धांतों** के अनुरूप है, जो प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में

- **अंगीकरण:** इसे 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था और यह 1975 में लागू हुआ था।
- **परिचय:** यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु एक अंतर-सरकारी संधि है।
- **रामसर स्थल:** विश्व स्तर पर 2,500 से अधिक रामसर स्थल हैं। किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप नामित होने के लिए नौ मानदंडों में से कम-से-कम एक को पूरा करना अनिवार्य होता है।
- **भारत:** यहां 91 रामसर स्थल हैं, जो एशिया में सबसे अधिक है।

आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में

- **सिद्धांत:** यह रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु मुख्य सिद्धांत है। साथ ही, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सतत विकास के माध्यम से **पारिस्थितिकी प्रकृति को बनाए रखता है।**
- **अधिदेश:** इसके सभी **पक्षकारों पर राष्ट्रीय योजनाओं, कानून, प्रबंधन कार्यों और सार्वजनिक शिक्षा** के माध्यम से विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है।
- **भारत का दृष्टिकोण:** भारत ने जलीय पारिस्थितिकी-तंत्रों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (NPCA), संधारणीय उपयोग के लिए **एकीकृत प्रबंधन योजनाएं (IMPs)** शुरू की हैं। **"वेटलैंड्स वाइज यूज- एन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क" शीर्षक से 2024 फ्रेमवर्क** जारी किया है। साथ ही **'मिशन सहभागिता' और 'वेटलैंड्स बचाओ' अभियान लॉन्च किये हैं।**

COP15 के अन्य परिणाम

परिणाम/पहल	विवरण
विक्टोरिया फॉल्स घोषणा	आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूमिकाओं को मान्यता देता है; जैव विविधता, जलवायु, सतत विकास लक्ष्यों से इसका संबंध स्थापित करता है।
भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल रणनीतिक योजना 2025-2030 का शुभारंभ	भारत-बर्मा क्षेत्र (कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम) में आर्द्रभूमियों को होने वाली क्षति को रोकना।
ब्रिज (BRIDGE) कार्यक्रम का शुभारंभ	महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने और महिला नेतृत्व के प्रोत्साहन हेतु अनुदान देता है।
फ्रेश वाटर चैलेंज	यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है।
GWEP समर्थन	जलीय पक्षियों की निगरानी और आर्द्रभूमि संरक्षण को बढ़ावा देता है।

5.3. हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं (Cloudbursts in Himalayan Regions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के कई क्षेत्रों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, आदि राज्यों में बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

बादल फटने (Cloudburst) के बारे में

- **परिभाषा:** यह अल्प अवधि में अत्यधिक मात्रा में वर्षण की घटना है, जो कभी-कभी ओलावृष्टि एवं गर्जना के साथ होती है। इससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। IMD के अनुसार, इस स्थिति में 10 सेमी/घंटा से अधिक वर्षा होती है।
- **उदाहरण:** किश्तवाड़ (2025), चमोली (2025), हिमाचल (2020)।
- **घटना:** पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों से टकराकर आर्द्र पवनों के ऊपर उठने के कारण यह घटना अधिक सामान्य है, किन्तु मैदानी इलाकों में भी यह घटित होता है।
- **परिणाम:** अचानक बाढ़, भूस्खलन, जीवन की हानि, अवसंरचना की क्षति, जैव विविधता की हानि, आदि।

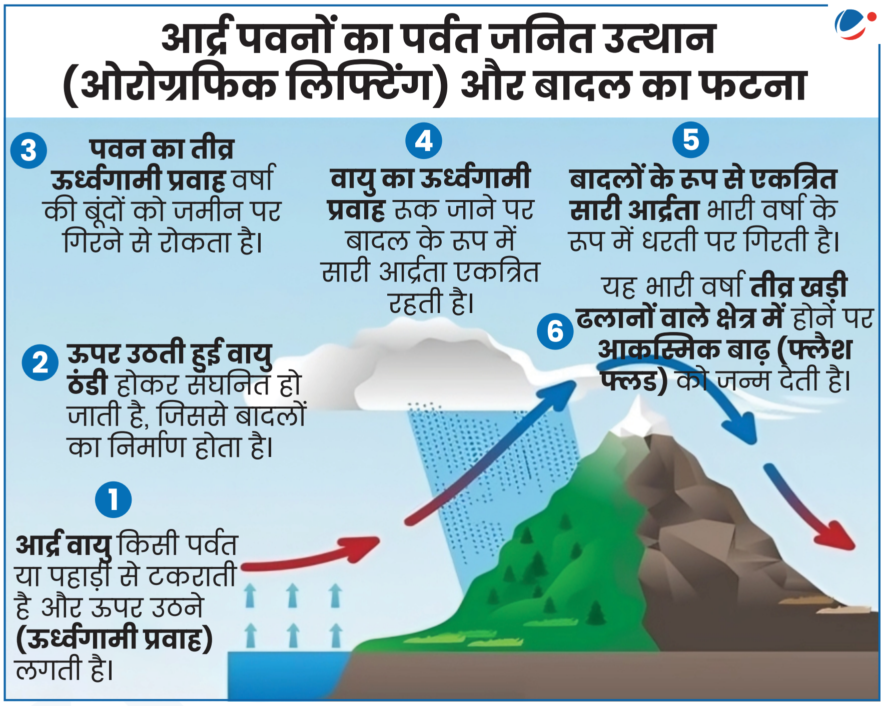

चुनौतियां

- **जलवायु परिवर्तन:** तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि से हवा में लगभग 7% अधिक नमी वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है।
- **पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियां:** ये घटनाएं स्थानीय एवं अल्पकालिक होती हैं, इनका पूर्वानुमान लगाने हेतु सैटेलाइट आधारित तकनीक में सटीकता का अभाव है। वहीं डॉप्लर रडार महंगा है, वह भी केवल 3 घंटे पहले ही चेतावनी जारी करता है।
- **मानवजनित चुनौतियां:** निर्वनीकरण, आर्द्रभूमि की हानि और अनियोजित विकास बाढ़ को बदतर बनाते हैं।

आगे की राह

- **आपदा को कम करने की रणनीति (Disaster Risk Reduction: DRR) (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019)**
- **भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का निर्धारण (Landslide Hazard Zonation: LHZ):** रिमोट सेंसिंग और स्थानीय डेटा का उपयोग करके भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण करना।
- **एजेंसियों के बीच समन्वय:** केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल बनाकर नियमों को अपडेट करना और नीतियों की समीक्षा करना।
- **संरचनात्मक:** जैव इंजीनियरिंग, बेहतर जल निकासी की व्यवस्था, आदि।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय:** बहु-जोखिम बीमा का विस्तार करना, जोखिम के प्रति संवेदनशील शहरी नियोजन को अपनाना और सुरक्षा हेतु उप-नियमों में बदलाव करना।
- **क्षमता: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)/पंचायती राज संथाओं (PRIs) की क्षमता को** मजबूत करना, **बीमा एवं अन्य साधनों को बढ़ावा देना**, आदि।
- **जलवायु जोखिम:** स्थानीय अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करना।

निष्कर्ष

हाल ही में, हुई क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने की घटना) की घटना यह दिखाती है कि विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए संधारणीय आपदा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी, स्थानीय ज्ञान और शासन का उपयोग किया जाना चाहिए।

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.4.1. भारत का जल प्रबंधन (India's Water Management)

जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी प्रगति और पर्याप्त निवेश के बावजूद **भारत को बाढ़ एवं जल संकट के कारण गंभीर सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।**

मुख्य विषय और सिफारिशें

विषय	वर्तमान स्थिति/मुद्दे	सिफारिशें
बाढ़ पूर्वानुमान	केंद्रीय जल आयोग (CWC) 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 340 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का संचालन करता है। इनकी संख्या 2026 तक लगभग 375 तक बढ़ाने की योजना है।	जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के लिए प्रणाली को उन्नत बनाना।

नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम	30 परियोजनाओं की पहचान की गई; राज्य की सहमति का अभाव है।	लाभों का अध्ययन करें, जागरूकता बढ़ाएं, कार्यान्वयन में तेजी लाएं।
बांध सुरक्षा	6,000 से अधिक बांधों में से केवल 459 को लेकर आपातकालीन कार्य योजनाएं (EAPs) हैं; बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार 2026 तक EAPs होना अनिवार्य है।	**राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण** बांध स्वामियों को शामिल करता है।
वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण	जल शक्ति अभियान से 11.36 BCM भूजल पुनर्भरण (2017-2024) हुआ।	**राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय अनुदान** प्रदान करना।
सक्रिय दृष्टिकोण	**नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा** विचाराधीन है।	सीमा पार बाढ़ का प्रबंधन करना; गंगा मिशन में सांसदों/विधायकों को शामिल करना।

5.4.2. ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इंवेस्टमेंट्स (Global Outlook Council on Water Investments)

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने GOCWI के शुभारंभ की घोषणा की।

GOCWI के बारे में

- **शुभारंभ: G20 प्रेसिडेंशियल लिगेसी इनिशिएटिव है, ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप (GWP) के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ है।**
- **GWP: न्यायसंगत, संधारणीय जल प्रबंधन** के लिए बहु-हितधारक नेटवर्क है।
- **भूमिका:** विश्व भर में जल संरक्षण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय मंच है।

5.4.3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Boards)

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि केवल अदालतें ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) आरोपित कर सकती हैं।

- EC **पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नीतिगत साधन है,** जो प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत पर कार्य करता है।

मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **सांविधिक अधिकार:** PCB **धारा 33A** (जल अधिनियम, 1974) और **धारा 31A** (वायु अधिनियम, 1981) के तहत EC आरोपित कर सकती हैं।
- **प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत: पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (EC)** तभी लागू होती है जब पर्यावरणीय क्षति सिद्ध हो जाती है (उदाहरणार्थ, भारतीय परिषद मामला)।
  - **इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट-लीगल एक्शन बनाम भारत सरकार:** उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण कर्ता को भुगतान करना होगा सिद्धांत को बरकरार रखा।
- **कार्रवाई:** PCBs दंडित कर सकते हैं, क्षति की भरपाई कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं (वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम बनाम भारत सरकार, 1996 प्रतिपूरक/उपचारात्मक दायित्व का समर्थन करता है)।
  - **वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम बनाम भारत सरकार (1996):** पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायित्व में प्रतिपूरक और उपचारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं।
- **रोकथाम हेतु उपाय:** विनियामक नुकसान होने से पहले ही निवारक या पूर्व-उपाय किए जा सकते हैं।

भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCBs)

- **केंद्रीय PCB (CPCB): जल अधिनियम, 1974 के तहत गठित किया गया है।** यह MoEFCC के अधीन सांविधिक निकाय है। **वायु अधिनियम, 1981** के तहत भी अधिकार दिए गए हैं; केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- **राज्य PCBs (SPCBs):** समान अधिनियमों के तहत गठित, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रवर्तन में CPCB के साथ मिलकर कार्य करता है।

5.4.4. UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड (UNDP Equator Initiative Award)

बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को 'इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

इस अवार्ड के बारे में

- **प्रस्तुति:** UNDP के इक्वेटर इनिशिएटिव द्वारा प्रत्येक दो साल में दिया जाने वाला अवार्ड है।
- **उद्देश्य:** भूमि पुनरुत्थान, जैव विविधता और आजीविका के प्रयासों में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की सहायता करना है।
- **मान्यता:** इसे "जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार" के रूप में भी जाना जाता है।

बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह के बारे में

- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में **मिलेट्स-आधारित मिश्रित खेती की** शुरुआत की, **जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया,** आदि।

5.4.5. अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (APoA) 2024-2034 {Awaza Programme of Action (APoA) (2024-2034) }

तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में संयुक्त राष्ट्र **स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन (LLDC-3)** आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य हाल ही में अपनाये गए APoA को लागू करना था।

APoA के बारे में

- **अंगीकरण:** LLDCs की विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने हेतु दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में सर्वसम्मति बनी थी।
- यह LLDCs के समक्ष उपस्थित विकास संबंधी चिरकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक **व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।**
- **प्रमुख उपलब्धियां:** क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र (खाद्य सुरक्षा), अवसंरचना वित्त सुविधा (वित्त पोषण), UNFCCC वार्ता फोरम (व्यापार और क्लाइमेट रेजिलिएंस)।

5.4.6. सुंदरबन टाइगर रिजर्व (Sundarbans Tiger Reserve)

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने पश्चिम बंगाल के STR के क्षेत्रफल में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे STR भारत का **नागार्जुन सागर-श्रीशैलम** के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया, अब तक 58 अभयारण्यों में **7वें स्थान** पर था।

टाइगर रिजर्व घोषित करने या उसके क्षेत्रफल में बदलाव करने की प्रक्रिया

- **अधिसूचना:** राज्य सरकारें, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचना जारी करती हैं।
  - **चरण:** राज्य से प्रस्ताव, NTCA का सैद्धांतिक अनुमोदन, विस्तृत प्रस्ताव, NTCA की सिफारिश, राज्य अधिसूचना।
- **परिवर्तन:** धारा 38W(1) के लिए राज्य के प्रस्तावों के आधार पर NTCA की सिफारिश और NBWL की मंजूरी अनिवार्य है।

सुंदरबन टाइगर रिजर्व (STR)

- **अवस्थिति:** पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में।
- विश्व में (बांग्लादेश के अलावा) **एकमात्र यही ऐसा मैंग्रोव वन** है, जिसमें बाघों की विशाल आबादी पाई जाती है।
- **सीमाएं:** बांग्लादेश (पूर्व), बंगाल की खाड़ी (दक्षिण), मतला नदी (पश्चिम), बिद्या और गोमदी नदियां (उत्तर-पश्चिम)
- **पहचान:** राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, एक **प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व** का हिस्सा।

5.4.7. मातृ वन पहल ('Matri Van' Initiative)

अरावली पहाड़ियों में **शहरी वन** विकसित करने के लिए **गुरुग्राम** में **मातृ वन पहल शुरू की गई।**

- **यह 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम** का हिस्सा है।
- **उद्देश्य:** शहरी संधारणीयता के लिए पारिस्थितिकी संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **पुनर्स्थापना:** आक्रामक प्रजातियों को हटाना, देशी वृक्ष लगाना, अरावली जैव विविधता की पुनर्बहाली करना।

5.4.8. एटालिन जलविद्युत परियोजना (Etalin Hydroelectric Project)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने **एटालिन जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है।**

एटालिन जलविद्युत परियोजना के बारे में

- **अवस्थिति:** दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय वैश्विक **जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है।**
- **नदियाँ:** ड्री (Dri) और टांगोन (Tangon) नदियां मिलकर दिबांग नदी के रूप में बहती हैं।

5.4.9. सुर्ख़ियों में रहे ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruptions in News)

- **माउंट लेवोटोबी:** यह इंडोनेशिया के दो सन्निकट स्तरित ज्वालामुखी (स्ट्रैटवोल्केनो) से बना है।
- **माउंट किलाउआ: हलेमाउमाउ क्रेटर**, हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है।

5.4.10. ड्रेक पैसेज (Drake Passage)

अर्जेंटीना और चिली के निकट ड्रेक पैसेज में **7.5 तीव्रता का भूकंप** आया था।

ड्रेक पैसेज के बारे में

- **अवस्थिति:** केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के बीच स्थित है।
- **नामकरण: प्रसिद्ध अंग्रेज़ नाविक सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है।**
- **महासागरीय धारा:** यह जल निकाय मुख्यतः **पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है तथा यह अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट (Antarctic Circumpolar Current)** का भाग है।
- **ऐतिहासिक व्यापार मार्ग:** व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है।
- **नाविकों के लिए चुनौती: यह क्षेत्र समुद्री तूफ़ानों और बर्फीले क्षेत्र के लिए जाना जाता है।**

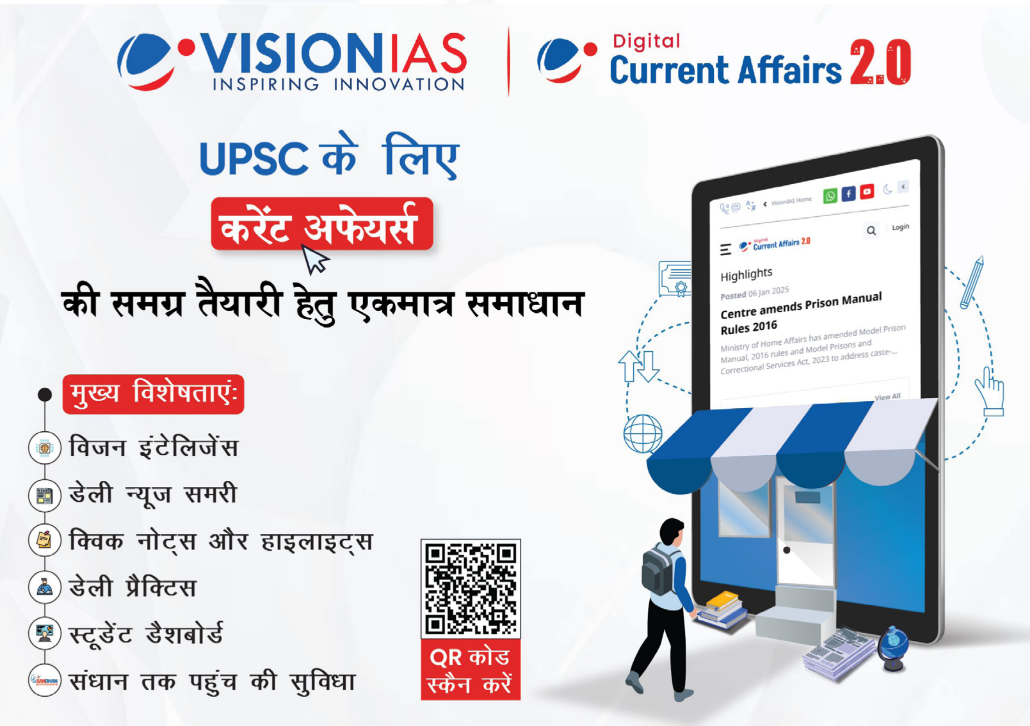

सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. शहरी प्रवासन (Urban Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **IIT इंदौर** द्वारा किए गए एक शोध में इस बात को रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन शहरों में दैनिक जीवन और काम की परिस्थितियों को एक नया रूप दे रहा है।

प्रवासन क्या है?

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)** प्रवासन को **लोगों के अपने सामान्य निवास स्थान से हटकर किसी नए निवास स्थान की ओर जाने** की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है।
- **चक्रीय प्रवास: बार-बार होने वाला प्रवासन,** जिसमें प्रायः कम आय वाले समूह मौसमी/ अल्पावधि के रोजगार के लिए प्रवास करते हैं और रोजगार समाप्त होने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं।
- **भारत की जनगणना में प्रवासियों की परिभाषा:** किसी प्रवासी को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
  - **जन्मस्थान के मानदंड के अनुसार:** यदि **किसी व्यक्ति का जन्मस्थान गणना स्थल से अलग** है।
  - **अंतिम निवास स्थान:** यदि **किसी व्यक्ति का अंतिम निवास स्थान और गणना स्थल अलग** है।

भारत में प्रवासन की स्थिति

- **शहरी प्रवासन:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
  - **प्रवासन के प्रकार:** अखिल भारतीय स्तर पर, **18.9% ग्रामीण से शहरी, 15.9% शहरी से शहरी** प्रवासन हुआ है। इसी प्रकार, **ग्राम से ग्राम प्रवासन 55%** एवं **शहर से ग्राम प्रवासन 10%** हुआ है।
  - **शहरी विकास:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक, **भारत की 40% से अधिक जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में रहने** की संभावना है।
- **प्रवासियों की हिस्सेदारी**
  - **आबादी में हिस्सेदारी: 2023** में कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी **कुल जनसंख्या के 28.88%** (40.20 करोड़) थी, जो 2011 के **37.64%** (**45.57 करोड़**) से कम है।
  - **प्रमुख राज्य:** पांच राज्यों **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल** से **बाहर जाने वाले कुल प्रवासियों का हिस्सा लगभग 48%** है, जबकि **महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले प्रवासियों** का हिस्सा भी लगभग समान ही है।
  - **आने वाले प्रवासियों की संख्या:** प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार, **पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों** की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि **महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में घट** रही है।

शहरी प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारक

- **2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण से शहरी प्रवास के प्रमुख कारण:**
  - विवाह (29%),
  - परिवार के साथ स्थानांतरण (26%),
  - कार्य (24%),
  - जन्म के बाद स्थानांतरण (5.5%),
  - शिक्षा (2%), और
  - अन्य कारण (12%)

प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारक

	प्रतिकर्ष कारक (मूल स्थान छोड़ने के कारण)	**अपकर्ष कारक (गंतव्य स्थल चुनने के कारण)**
सामाजिक और राजनीतिक	**उत्पीड़न, युद्ध,** राजनीतिक अस्थिरता।	**शांति, स्थिरता,** उदार शरणार्थी नीतियां।

जनसांख्यिकीय और आर्थिक	**बेरोजगारी, आर्थिक गिरावट,** कम वेतन, आदि।	**अधिक वेतन, बेहतर नौकरियां, शिक्षा के अवसर,** बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।
पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी कारक	**प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव** (सूखा, समुद्र का बढ़ता जलस्तर।	अनुकूल जलवायु, **सुरक्षित पर्यावरणीय परिस्थितियां,** आदि।

शहरी प्रवास के परिणाम

- **आर्थिक परिणाम**
  - **आर्थिक संवृद्धि:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, कुशल और मौसमी प्रवासी **राष्ट्रीय GDP में लगभग 10%** का योगदान करते हैं।
  - **जीवन स्तर में सुधार:** धन प्रेषण से आवासन, शिक्षा और व्यवसाय के स्तर में सुधार होता है।
  - **चुनौतियां:** अनौपचारिक क्षेत्रक में संकेन्द्रण (भारत के कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा), कम वेतन, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी प्रमुख चुनौतियां हैं। **उदाहरण के लिए- कोविड-19** के कारण भारत में लगभग **11.4 मिलियन प्रवासियों** का वापस घर की ओर पलायन हुआ था।
- **जनसांख्यिकीय परिणाम:** प्रवासन जनसंख्या संतुलन को बदल देता है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित होता है। **उदाहरण के लिए-** महिलाओं के पलायन के कारण कोट्टायम का लिंगानुपात (1040) केरल के औसत लिंगानुपात (1084) से कम है।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम:** इससे मूल क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होता है, लेकिन यह जाति, धर्म और क्षेत्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का कारण बनता है; इसमें भाषा संबंधी बाधाएं, घेट्टो (बस्तियों) का निर्माण, आदि भी शामिल है। **उदाहरण के लिए-** महाराष्ट्र में 2008 में प्रवासियों पर हुए हमले; **आवास और अवसंरचना पर दबाव, उदाहरण के लिए-** पुणे में **564 झुग्गी-झोपड़ियां** हैं, जिनमें अनुमानित **30-40% आबादी** रहती है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकारी पहलें

- **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना:** इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित भारत के सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।
- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):** गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त अनाज और प्रत्यक्ष नकद अंतरण प्रदान करती है।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** इसका उद्देश्य भारत भर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए, एक डेटाबेस तैयार करना।
- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi):** इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM):** इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।

आगे की राह

- **प्रवासन पर कार्य समूह (2015) की सिफारिशें:**
  - **प्रवासियों के अधिकारों** के लिए विधिक रक्षोपाय लागू करने चाहिए।
  - नौकरियों और सेवाओं के लिए निवास प्रमाण (Domicile) की शर्त को समाप्त करना चाहिए, आदि।
- **बेहतर प्रवासन गवर्नेंस** के लिए, केरल प्रवासन सर्वेक्षण मॉडल का देश भर में विस्तार करना चाहिए।

6.2. आदि कर्मयोगी अभियान (Adi Karmayogi Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने आधिकारिक रूप से 'आदि कर्मयोगी अभियान' की शुरुआत की है।

प्रमुख जनजातीय पहलें

- **पीएम-जनमन (2023):** 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का सामाजिक-आर्थिक विकास करना।
- **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (2024):** अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका सुनिश्चित करते हुए व्यापक जनजातीय विकास सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023):** सिकल सेल रोग से निपटना, जिसमें जनजातीय आबादी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में

- **अवलोकन:** इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना; **उत्तरदायी शासन** को बढ़ावा देना तथा **स्थानीय नेतृत्व के अवसर सृजित** करना है।

- **लक्ष्य: 10.5 करोड़ से अधिक जनजातीय** नागरिकों तक पहुंच स्थापित करना और 1 लाख से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों में बदलाव लाने वाले **20 लाख नेतृत्वकर्ताओं का कैडर** तैयार करना।
- **विज़न:,** आदि कर्मयोगी कैडर को **"जनजातीय सेवा पथ"** के रूप में स्थापित करना, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में **उत्तरदायी शासन तथा अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता** सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य उद्देश्य: पारदर्शी और जवाबदेह शासन** को बढ़ावा देना, सहभागी योजना को सुगम बनाना।
- यह भगवान **बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती** के उपलक्ष्य में आयोजित **जनजातीय गौरव वर्ष** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

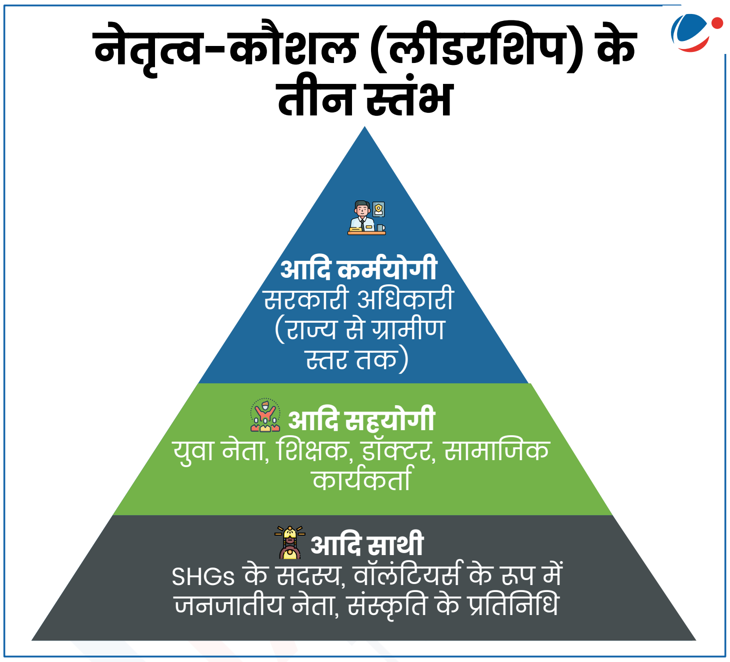

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **संरचना:** निवास स्थान से लेकर राज्य स्तर तक एक **बहु-स्तरीय नेतृत्व** संरचना।
- **बहु-विभागीय अभिसरण:** जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, स्कूली शिक्षा और वन विभाग।
- **कार्यान्वयन रणनीति: गवर्नेंस लर्निंग वर्कशॉप्स का संचालन** (बेंगलुरु, भोपाल, आदि केंद्रों पर क्षेत्रीय प्रोसेस लैब्स), विलेज विज़न 2030, मेंटरशिप इकोसिस्टम (सेवानिवृत्त सिविल सेवक, जनजातीय बुजुर्ग), **आदि कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म।**

लाभ/ अपेक्षित परिणाम

- **सार्वजनिक सेवाएं: 100% उपलब्धता (सड़क, आवासन, नल का स्वच्छ पेयजल, घरेलू विद्युतीकरण, आयुष्मान भारत बीमा नामांकन)।**
- **अवसंरचना: 1 लाख, आदि सेवा केंद्र,** जनजातीय समुदायों के लिए **वन-स्टॉप सर्विस सेंटर्स** के रूप में स्थापित किये जाएंगे, **100 से अधिक, आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय** प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IITs, NITs और IIMs में शुरू किए जाएंगे, 'सिंगल विंडो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।

जनजातीय विकास हेतु जनजातीय कैडर विकसित करने का महत्व

- **वितरण:** पिछले दशक में, अनुसूचित जनजाति कल्याण बजट (DAPST) में पांच गुना वृद्धि हुई है, लेकिन खराब वितरण के कारण परिणाम अभी भी संतोषजनक नहीं हैं।
- **गरीबी:** जनजातीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार **40.6% जनजातीय आबादी** गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है, जबकि गैर-जनजातीय जनसंख्या में यह आंकड़ा **20.5% है।**
- **संस्कृति:** भाषाओं, कला, नृत्य का संरक्षण; उदाहरण के लिए- ट्राइफेड/ TRIFED द्वारा जनजातीय उत्पादों की GI टैगिंग।
- **पारिस्थितिक:** पारंपरिक प्रथाओं का लाभ उठाना, उदाहरण के लिए- डोंगरिया कोंध मिलेट्स की खेती करते हैं।
- **लोकतंत्रीकरण:,** आदि कर्मयोगियों का चयन ग्राम सभाओं की परामर्श प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, ताकि विश्वास, और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्ष

जनजातीय कैडर अंतराल को समाप्त कर सकता है, गरीबी को कम कर सकता है, ग्राम सभाओं को सशक्त बना सकता है, तथा समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए संस्कृति/पारिस्थितिकी को संरक्षित कर सकता है।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.3.1. बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना {Multidisciplinary Education and Research improvement in Technical Education (MERITE) Scheme}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन' यानी **MERITE योजना** के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी।

MERITE योजना के बारे में

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
- **उद्देश्य:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में सुधार करना।
  - **यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के अनुरूप है।
- **बजट: 2025-26** से **2029-30** तक की अवधि के लिए **4200 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।**
  - **इसमें विश्व बैंक** से ऋण के रूप में **2100 करोड़ रुपये** की बाह्य सहायता शामिल है।
- **लाभार्थी: 275 तकनीकी संस्थान, जिनमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान** शामिल हैं।

6.3.2. केरल, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना (Kerala Becomes India's First 100% Digitally Literate State)

यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए **"डिजी केरलम"** कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक **डिजिटल क्रांति और ई-सेवाएं** पहुंचाना है।

- **आधार:** यह केरल के **अक्षय प्रोजेक्ट** पर आधारित है, जिसने **मलप्पुरम** को भारत का पहला ई-साक्षर जिला बनाया था।

डिजिटल साक्षरता के बारे में

- **परिभाषा:** यह **"रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने तथा उनका उपयोग करने की क्षमता"** को संदर्भित करती है।
- **साक्षर परिवार: डिजिटल रूप से साक्षर परिवार** का अर्थ है कि परिवार का **कम-से-कम एक** सदस्य (5 वर्ष या उससे अधिक आयु) कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट का उपयोग कर सकता है।

सकारात्मक प्रभाव

- **सरकारी कार्यकुशलता में सुधार:** किसान कॉल सेंटर्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) जैसी परियोजनाएं सेवाओं के वितरण की पारदर्शिता एवं गति को बढ़ाती हैं।
- **ग्लोबल कनेक्टिविटी:** यह वैश्विक स्तर पर जानकारी को हासिल करने; बेहतर निर्णय लेने और सामाजिक जीवन व पारिवारिक संबंधों में सुधार करने में मदद करती है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी:** यह नागरिकों को शासन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है।
- **वित्तीय समावेशन में तेजी:** यह **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद करती है।
- यह **विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ICT कौशल प्रदान** करती है और आजीविका के अवसरों को बढ़ाती है।
- **भारत में डिजिटल साक्षरता से संबंधित चिंताएँ:** इंटरनेट का नैतिक उपयोग, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरे।

केरल ने भारत के पहले डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। यह समावेशी डिजिटल रूपांतरण का एक सफल मॉडल प्रस्तुत करता है।

6.3.3. भारत का रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India: RGI)

RGI ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है।

RGI के बारे में

- **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD) 1969** के तहत नियुक्ति।
- **संबंधित मंत्रालय:** केंद्रीय गृह मंत्रालय
- **मुख्य जिम्मेदारियां:**
  - **आवासन एवं जनगणना:** जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत।
  - **नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS):** जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम (1969) के तहत **जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण** का प्रावधान करता है।
  - **अन्य:** सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), मातृभाषा सर्वेक्षण, आदि।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

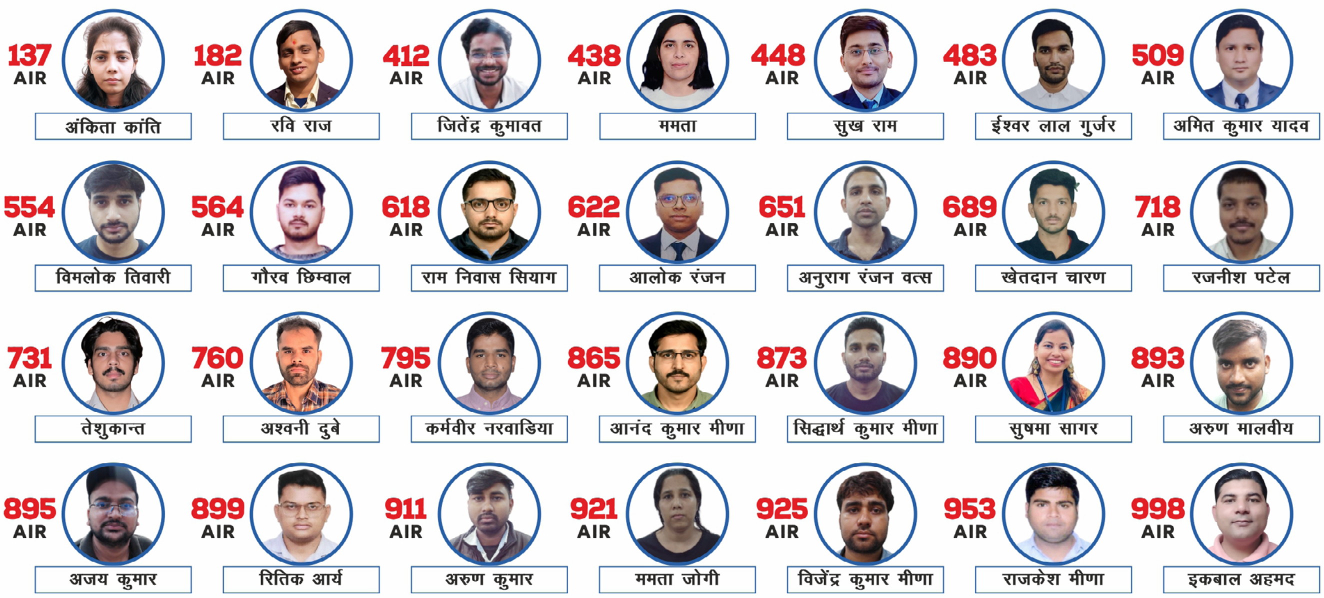

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programme of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा में **2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **मुख्य अंश: शुभांशु शुक्ला की** ISS यात्रा (एक्सिओम-4 मिशन) भारत को **विश्वबंधु भारत** के रूप में प्रस्तुत करती है।
- वह **ISS** पर जाने वाले भारत के पहले और **1984 में राकेश शर्मा के बाद** अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं।

अंतरिक्ष कार्यक्रम/प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका

क्षेत्रक	**चुनौतियां**	**अंतरिक्ष-आधारित समाधान**
कृषि	अनियमित मानसून, कम उत्पादकता	**INSAT-3D/3DR**; **रिसोर्ससैट,** आदि।
अवसंरचना	परियोजना कार्यान्वयन में देरी	**पीएम गति शक्ति में** इसरो की इमेजरी, आदि का उपयोग किया जाता है।
आपदा प्रबंधन	आपदाओं के प्रति सुभेद्यता	वास्तविक समय आधारित निगरानी के लिए **इसरो का DMS**
सुरक्षा	सीमा की निगरानी में कमियाँ	**GSAT-7 और RISAT**, **मिशन शक्ति**
स्वायत्तता	GPS पर निर्भरता	स्वदेशी नेविगेशन के लिए **NavIC**
पर्यावरण	वनों की कटाई, आदि	**NISAR** भूमि और हिमावरण, आदि का अध्ययन करेगा
स्वास्थ्य देखभाल	दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित पहुंच	**टेलीमेडिसिन परियोजना**
शिक्षा	ग्रामीण-शहरी विभाजन	दूरस्थ शिक्षा के लिए **एडुसैट (EDUSAT)**
पारदर्शिता	कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज	**मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग**
जल प्रबंधन	भूजल स्तर में गिरावट	**भुवन-सृष्टि जियोपोर्टल**

अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रगति भारत को विश्वबंधु कैसे बनाती है?

- **सहयोग:** NISAR एक वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है।
- **नेतृत्व:** दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) और पड़ोसी देशों के लिए नाविक (NavIC)।
- **साझा करना:** PRADAN पर चंद्रयान-3 का डेटा; उन्नति प्रशिक्षण।
- **लागत-प्रभावशीलता:** किफायती MOM; 400 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए।
- **संधारणीयता:** 2030 तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन।
- **सहायता:** COSPAS-SARSAT की सदस्यता।

नीतिगत हस्तक्षेप

- **भारत अंतरिक्ष नीति 2023:** यह अंतरिक्ष संबंधी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रक को बढ़ावा देती है।
- **FDI/स्टार्टअप इकोसिस्टम:** अंतरिक्ष क्षेत्रक के घटकों में 100% FDI; 300 से अधिक स्टार्टअप।

- **फ्रेमवर्क:** NSIL (वाणिज्यिक शाखा), IN-SPACe (सुविधा प्रदाता)।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष कार्यक्रम विकास, सहयोग और संधारणीयता को बढ़ावा देता है; विकसित भारत@2047 के लिए 2035 तक BAS की स्थापना और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन का लक्ष्य रखा गया है।

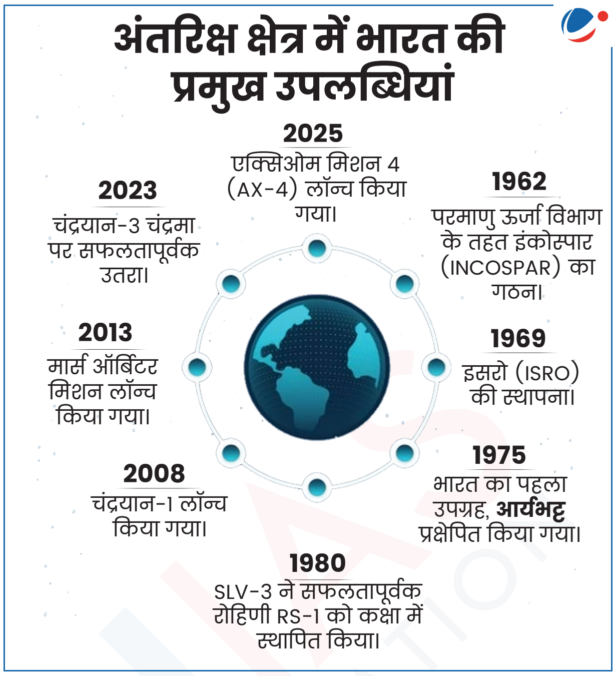

7.2. भारत का पहला वाणिज्यिक भू-प्रेक्षण (EO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन {India's First Commercial Earth Observation (EO) Satellite Constellation}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिक्सलस्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक **भू-प्रेक्षण उपग्रह प्रणाली** (EOSS) **के लिए IN-SPACe प्रस्ताव में सफलता हासिल की।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **कंसोर्टियम:** इसमें पियरसाइट स्पेस, सैटश्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस शामिल हैं।
- **EO-PPP मॉडल:** निजी क्षेत्रक EOSS का डिजाइन/संचालन करेगा; सरकार सहायता प्रदान करेगी।
- **वित्तपोषण:** ₹1,200 करोड़ का निजी निवेश, सरकार की ₹350 करोड़ की सहायता को यह समूह नहीं लेगा।

भू-प्रेक्षण उपग्रह प्रणाली (EOSS) के बारे में

- **संरचना:** 5 वर्षों में 12 अत्याधुनिक भू-प्रेक्षण (EO) उपग्रह स्थापित किए जाएंगे।
- **सेंसर:** पैनक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल, SAR।
- **अनुप्रयोग:** जलवायु संबंधी निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि, सुरक्षा, भू-स्थानिक जानकारी।

भू-प्रेक्षण (EO) उपग्रहों के बारे में: इन्हें अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है। इन्हें भौतिक, रासायनिक, जैविक और मानव प्रणालियों सहित पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **अनुप्रयोग:** भू- विज्ञान, पर्यावरण एवं वन्य जीवन, आपदा प्रबंधन, आदि।

निजी क्षेत्रक की भागीदारी का महत्व

- **अर्थव्यवस्था:** 8.4 बिलियन डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर 2033 तक 44 बिलियन डॉलर (वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 7-8%)।
- **नवाचार:** उदाहरण के लिए, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए पिक्सल का फायरफ्लाई।
- **इसरो का फोकस:** आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्नत मिशनों को सक्षम बनाना।
- **रोजगार:** उच्च कौशल के अवसर का सृजन और प्रतिभा पलायन में गिरावट होना।
- **आत्मनिर्भरता:** यह डेटा संप्रभुता को बढ़ाती है।
- **नेतृत्व:** 300 से अधिक स्टार्टअप ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया (वर्तमान हिस्सेदारी 2%)।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गईं सरकारी पहलें

- **IN-SPACe:** निजी क्षेत्रक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु 2020 में स्थापित किया गया था।
- **अंतरिक्ष नीति 2023:** विनियामक स्पष्टता।
- **वेंचर फंड:** स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** इसरो द्वारा विकसित 10 प्रौद्योगिकियां उद्योगों को हस्तांतरित की गईं।
- **FDI:** अंतरिक्ष क्षेत्रक में 100% FDI

अंतरिक्ष में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ

- **विधान:** व्यापक कानून का अभाव, कानूनी अस्पष्टता का कारण बनता है।
- **परिचालन:** अनेक अनुमोदन की आवश्यकताओं के कारण विनियामक विलंब।
- **प्रौद्योगिकी:** सीमित क्षमता से आयात पर निर्भरता बढ़ती है।
- **मांग:** अपस्ट्रीम क्षेत्र अभी शुरुआती चरण में है, डाउनस्ट्रीम का प्रभुत्व (80%)।

निष्कर्ष

पिक्सल के नेतृत्व वाली EOSS सार्वजनिक-निजी तालमेल के एक नए युग का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य नीतिगत समर्थन और सहयोग के साथ वैश्विक नेतृत्व एवं विकसित भारत को साकार करना है।

7.3 संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.3.1. ISRO ने त्सो कर वैली, लद्दाख में HOPE एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया (ISRO inaugurates HOPE Analog Mission in Tso Kar Valley, Ladakh)

हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन (HOPE) चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया **आवास मॉड्यूल** और संचालन एवं समर्थन प्रणाली हेतु एक **उपयोगिता मॉड्यूल** है।

HOPE मिशन के बारे में

- **लक्ष्य:** भविष्य के अंतरग्रहीय मिशनों के लिए अनुसंधान में सहायता हेतु पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का निर्माण करना।
- **नेतृत्व:** इसरो का **मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC)**
- **उद्देश्य: चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के वातावरण का अनुकरण करना;** मानव उत्तरजीविता, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और उपकरणों का परीक्षण करना।
- **अध्ययन: एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान**, आदि।
- **अवस्थिति: त्सो कर वैली**, जहां मंगल जैसी परिस्थितियां यथा- **UV, निम्न वायुमंडलीय दाब, अत्यधिक ठंड और लवणीय पर्माफ्रॉस्ट** मौजूद हैं।
- **वैश्विक संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका** का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन; **कनाडा** का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन; रूस का BIOS-3, आदि।

भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) के बारे में

- **उद्देश्य:** मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना।
- **प्रक्षेपण यान:** LVM3 रॉकेट
- **मुख्य उपलब्धियां प्राप्त करने की योजना: एयर ड्रॉप टेस्ट, टेस्ट व्हीकल, पैड एबॉर्ट टेस्ट, मानव रहित उड़ानें, और मानव युक्त उड़ान।**

7.3.2. इसरो का सबसे भारी रॉकेट 'लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV)' 2035 तक तैयार हो जाएगा {ISRO's heaviest rocket Lunar Module Launch Vehicle (LMLV) to be ready by 2035}

लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) की मुख्य विशेषताएं

- **डिजाइन:** NGLV का **उन्नत संस्करण, ऊंचाई लगभग 40 मंजिला इमारत** जितनी।
- **उद्देश्य: चंद्र मिशन**, जिसमें **2040** तक भारत का पहला **मानव चंद्र मिशन** भी शामिल है।
- **3 चरण: द्रव प्रणोदक (पहले दो चरण) और क्रायोजेनिक प्रणोदक (तीसरा चरण)।**

इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यान और उनकी विशेषताएं

- **PSLV: सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, LEO और GTO** के लिए महत्वपूर्ण। (उदाहरण के लिए- चंद्रयान-1, MOM, आदि।)
- **GSLV: 2.0 टन तक के उपग्रहों को GTO में स्थापित** करने वाला चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान।
- **LVM 3: हेवी लिफ्ट-ऑफ क्षमता से युक्त, 4 टन की श्रेणी वाले उपग्रहों को GTO तक या लगभग 10 टन वजन वाले उपग्रहों को LEO में स्थापित** करने में सक्षम है (जैसे चंद्रयान-2 और 3)।
- **SSLV: तीन-चरणीय,** पुर्णतः ठोस प्रणोदक, **मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों (10 से 500 किलोग्राम वजन) को प्रक्षेपित** किया जाता है।

7.3.3. यूरोपीय आयोग के जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस {EU AI Code of Practice on General-Purpose (GPAI)}

26 प्रौद्योगिकी कंपनियों **(अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM)** ने यूरोपीय आयोग के 'जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस' पर हस्ताक्षर किए।

- **लाभ:** कानूनी निश्चितता प्रदान करना, यूरोपीय संघ के AI अधिनियम (अगले 2 वर्षों में प्रभावी होगा) को अपनाने के संक्रमण काल को आसान बनाना।
- **अध्याय: पारदर्शिता, कॉपीराइट और सुरक्षा एवं संरक्षा।**

यूरोपीय संघ AI अधिनियम के बारे में

- **प्रकृति: जोखिम-आधारित दृष्टिकोण वाला** विश्व का **पहला व्यापक AI कानून।**
- **प्रभाव:** AI प्रदाताओं के लिए **जवाबदेही** सुनिश्चित करता है, **थर्ड पार्टी जोखिम और जनरेटिव AI का उपयोग करने वाले व्यवसायों** पर सीधा प्रभाव डालता है।
- **वैश्विक मानक: जैसे GDPR,** इसका लक्ष्य विश्व भर में सकारात्मक AI प्रभाव सुनिश्चित करना है।
- **अनुपालन: वैश्विक टर्नओवर के 7%** तक **जुर्माना।**
- **प्रमुख चिंताएं:**
  - **मॉडल डेवलपर्स के लिए कानूनी अस्पष्टताएं** पैदा करता है और आगामी AI अधिनियम के दायरे से परे है।
  - **विनियामक जटिलता** से यूरोप की AI प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

7.3.4. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस {Brain-Computer Interface (BCI)}

स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने विचारों को डिकोड करने से पहले मानसिक पासवर्ड की आवश्यकता के माध्यम से निजता सुनिश्चित करने के लिए पासवर्ड-प्रोटेक्टेड BCI विकसित किया है।

BCI क्या है?

- **परिभाषा:** यह **सीधे मस्तिष्क और डिवाइस के बीच संचार स्थापित** करती है। यह मांसपेशियों पर नियंत्रण की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए **तंत्रिका संकेतकों को कमांड** में बदल देती है।
- **प्रक्रिया:** प्रत्यारोपित/धारण करने योग्य उपकरण के माध्यम से मस्तिष्क गतिविधि को प्राप्त करता है, संकेतों को प्रोसेस करता है, निर्देश भेजता है और अनुकूलन के लिए फीडबैक प्रदान करता है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)

मोटर नियंत्रण	BCI नियंत्रण
योजना: लैंप चालू करने का निर्णय लेना।	**योजना:** लैंप चालू करने का निर्णय लेना।
निष्पादन: अपनी बांह को आगे बढ़ाकर उंगली से लैंप के ऑन/ऑफ स्विच को दबाना।	**निष्पादन:** कंप्यूटर दिमाग की गतिविधियों का विश्लेषण करता है और लैंप चालू करने की आपकी इच्छा को पहचानता है; फिर लैंप को एक सिग्नल भेजकर उसे चालू होने का निर्देश देता है।
आउटपुट: लैंप जल जाता है।	**आउटपुट:** लैंप कंप्यूटर से मिले सिग्नल पर प्रतिक्रिया करता है।

- **BCI के मुख्य अनुप्रयोग:** चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, गेमिंग/उद्योग, फैसले लेने में मदद हेतु।

BCI से जुड़ी मुख्य चिंताएं

- **साइबर सुरक्षा:** ब्रेन टैपिंग, भ्रामक उत्तेजना हमले जैसे जोखिम।
- **गोपनीयता:** संवेदनशील तंत्रिका डेटा की सुरक्षा।
- **मानसिक स्वतंत्रता:** मानसिक आत्मनिर्णय क्षमता के लिए खतरा।
- **स्वास्थ्य पर असर:** लंबे समय तक इस्तेमाल के परिणाम अभी स्पष्ट नहीं हैं।
- **विनियमन और लागत:** मानक विनियमों की कमी और अधिक लागत।

आगे की राह

- मजबूत विनियमन, बेहतर सुरक्षा और मानसिक निजता की सुरक्षा के लिए न्यूरोराइट्स, आदि की स्थापना की जानी चाहिए।

7.3.5. वार्षिक फास्टैग (FASTag) पास (Annual FASTag Passes)

मंत्रालय ने एक वर्ष के लिए या 200 बार टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स करने के लिए 3,000 रुपए का फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा की शुरुआत की है।

फास्टैग के बारे में

- **तकनीक:** यह RFID आधारित टोल भुगतान प्रणाली है।
- **RFID:** इसमें कम दूरी के संचार के लिए टैग/रीडर और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- **प्रबंधन:** NPCI और NHAI द्वारा।

7.3.6. महाराष्ट्र ने हाइपरलूप के निर्माण के लिए IIT मद्रास के स्टार्ट-अप (ट्यूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड) के साथ समझौता किया {Maharashtra inks deal with IIT Madras startup (TuTr Hyperloop Pvt. Ltd.) to build hyperloop}

लीनियर इंडक्शन मोटर (LIM) आधारित हाइपरलूप प्रणाली **नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर जिले के प्रस्तावित वधावन पोर्ट से** जोड़ेगी।

हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम के बारे में

- **उत्पत्ति:** 2013 में एलन मस्क द्वारा ओपन-सोर्स अल्ट्रा-हाई-स्पीड रेल (UHSR) की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
- **प्रौद्योगिकी: कम दबाव वाली ट्यूबों में मैग्नेटिक लेविटेशन (मैगलेव) पॉड्स।**
- **कार्य-प्रणाली:** निर्वात में सीलबंद ट्यूब, 1,200 किमी/ घंटा के लिए **लीनियर इंडक्शन मोटर (LIM),** प्रमुख घटकों में स्टील ट्यूब्स (100Pa दाब क्षमता वाले) कैप्सूल, कंप्रेसर, एयर बियरिंग शामिल हैं।
- **लाभ:** अति-उच्च गति (उदाहरण के लिए- 25 मिनट में मुंबई-पुणे), ऊर्जा दक्षता, शोर में कमी, और लॉजिस्टिक्स में सुधार।
- **समस्याएं:** यह अभी संकल्पना के चरण में हैं, उच्च लागत (लगभग 25-27 मिलियन डॉलर), सुरक्षा (आग लगना और लोगों को बाहर निकालना), ट्यूब में निर्वात को बनाए रखना, ट्यूब का निर्माण यथा संभव एक सीध में करना।

7.3.7. श्रेष्ठ/ SHRESTH पहल (SHRESTH Initiative)

मंत्रालय ने औषधि विनियामक व्यवस्थाओं को मानकीकृत और मजबूत करने के लिए **राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH)** का शुभारंभ किया।

SHRESTH के बारे में

- **प्रस्तावित: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** द्वारा।
- **उद्देश्य:** सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना।
- **सूचकांक:** मानव संसाधन, अवसंरचना, लाइसेंसिंग गतिविधियां, निगरानी गतिविधियां और जवाबदेही पर आधारित है।

संस्कृति
(CULTURE)

8.1. गोस्वामी तुलसीदास जी (Goswami Tulsidas ji)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी की **500वीं जयंती** मनाई गई।

गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में

- **जन्म: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव** में।
- **वास्तविक नाम:** रामबोला दुबे
- **पिता का नाम:** आत्माराम
- **माता का नाम:** हुलसी देवी
- **गुरु:** श्री नरहरिदास जी

प्रमुख योगदान

- **साहित्यिक योगदान:** रामचरितमानस (अवधी भाषा, **यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध), विनय पत्रिका** और **कवितावली** (ब्रज भाषा), आदि।
- **भक्ति आंदोलन:** वे रामानंदी संप्रदाय के **सगुण भक्ति परंपरा** के एक **वैष्णव संत** थे, तथा उन्होंने **निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में सामंजस्य** स्थापित किया।
- **क्षेत्रीय बोलियों का प्रचार: अवधी और ब्रज भाषाओं** का क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार किया।
- **मंदिर निर्माण: संकटमोचन मंदिर, वाराणसी।**
- **रामलीला: तुलसीदास के शिष्यों** ने उनकी मृत्यु के बाद **रामचरितमानस** पर आधारित **नाट्य प्रदर्शन** की शुरुआत की। (उदाहरण के लिए; मेघा भगत, 1625)

गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन

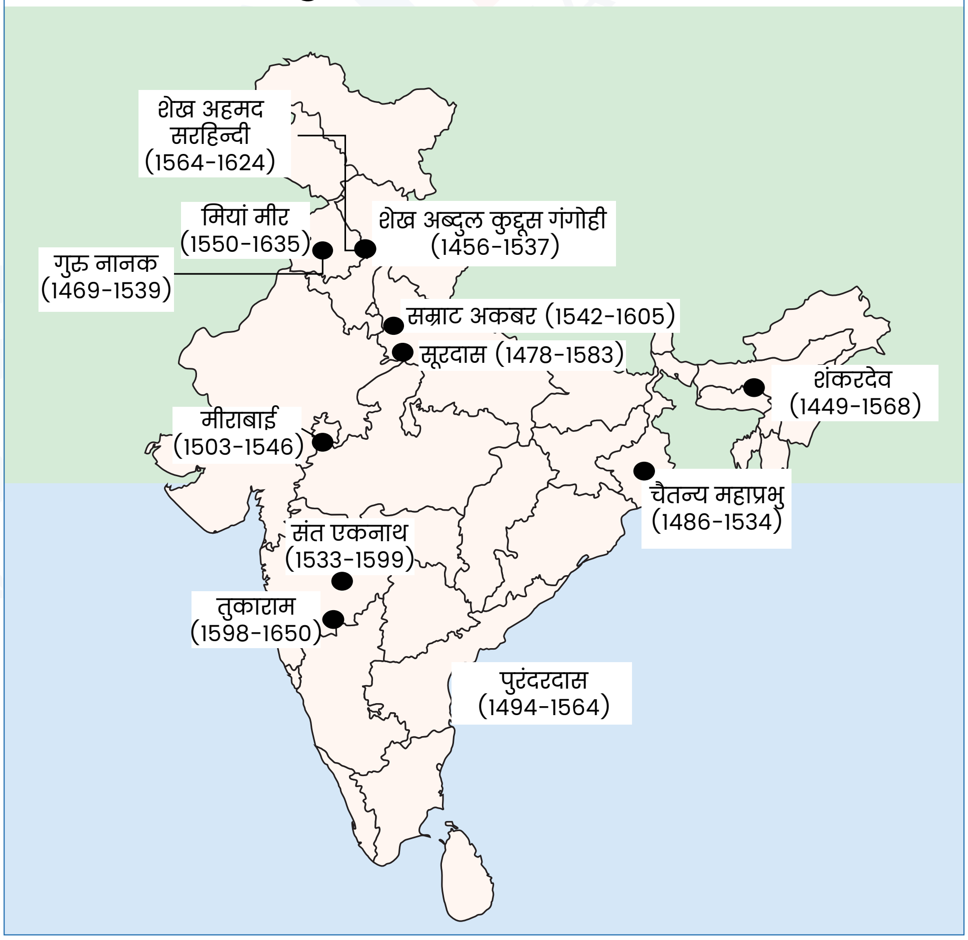

तुलसीदास की शिक्षाएं

- **नवविधा भक्ति:** नौ प्रकार की भक्ति के सिद्धांत (उदाहरण के लिए: संतों की संगति में रहना, गुरु की सेवा करना)।
- **सामाजिक सरोकार: समानता** (जाति से ऊपर भक्ति) और **शैव-वैष्णव एकत्व** की वकालत की।
- **अद्वैत विचार: निराकार रूप में राम की अवधारणा** को स्वीकार किया।
- **कराधान:** एक चक्रीय, समृद्धि-संचालित कर प्रणाली का प्रस्ताव रखा।

निष्कर्ष

तुलसीदास की भक्ति, समानता एवं एकता का संदेश **नैतिक और सामूहिक उत्थान को प्रेरित** करता है।

8.2. काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल (100 Years of Kakori Train Action)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2025 में **काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष** मनाया गया है।

काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में

- **दिनांक:** यह घटना **9 अगस्त, 1925** को **उत्तर प्रदेश के लखनऊ** के निकट **काकोरी** नामक गाँव में हुई थी।
- **कार्रवाई:** HRA के क्रांतिकारियों ने 8-डाउन ट्रेन से ब्रिटिश रेलवे से संग्रहित धन को लूट लिया।
- **प्रमुख नेतृत्वकर्ता: राम प्रसाद बिस्मिल**, **अशफाकउल्ला खान**, **चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, आदि**।

घटना का परिणाम

- **ब्रिटिश प्रतिक्रिया:** तलाशी अभियान में 40 से अधिक आरोपियों को पकड़ा गया; काकोरी षडयंत्र के मुकदमे में 28 HRA सदस्यों पर आरोप लगाए गए।
- **मृत्युदंड: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी** और **रोशन सिंह को फांसी की सजा** सुनाई गई।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव

- **प्रेरणा:** नई पीढ़ी के क्रांतिकारियों जैसे- **भगत सिंह,** आदि का उदय हुआ।
- **एकता:** धर्मनिरपेक्ष सहयोग देखा गया।
- **जन जागरूकता:** इस मुकदमे ने **ब्रिटिश शासन की क्रूरता** को उजागर किया, आम जनता के समर्थन को बढ़ावा दिया।
- **सीधी कार्रवाई की ओर झुकाव:** अहिंसा के साथ-साथ सीधी कार्रवाई को बढ़ावा मिला।
- **विरासत:** क्रांतिकारी भावना को मूर्त रूप दिया; 1928 में HSRA का नेतृत्व किया।

HRA और HSRA के बारे में

- **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)**
  - **गठन: 1924** में।
  - **मूल सिद्धांत:** भारत में संघीय गणराज्य की स्थापना करना।
  - इस संगठन ने **एक संविधान (येलो पेपर) का मसौदा** तैयार किया और 1925 में "क्रांतिकारी" नामक एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। जिसमें **महात्मा गांधी के अहिंसक तरीकों** की आलोचना की गई।
- **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)**
  - **स्थापना: 1928** में।
  - **मूल सिद्धांत: समाजवादी सिद्धांतों को अपनाना।**

निष्कर्ष

काकोरी ट्रेन एक्शन ने औपनिवेशिक शोषण के आर्थिक आधार को चुनौती दी, क्रांतिकारी तरीकों के बदलाव को उजागर किया तथा HSRA को भी प्रेरित किया, जिससे सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा मिला।

8.3. वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी।

वीरता पुरस्कारों के बारे में

- **उद्देश्य:** युद्धकाल और शांति काल दोनों में बहादुरी, वीरता या आत्म-बलिदान को सम्मानित करना।
- राष्ट्रपति द्वारा **प्रदान किए जाते हैं।**
- **मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय **साल में दो बार** सिफारिशें आमंत्रित करता है।
- **इतिहास:**
  - **परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र:** 1950 (1947 से प्रभावी)
  - **अशोक चक्र की श्रृंखला:** इनकी स्थापना 1952 में हुई थी (1947 से प्रभावी)
    - **नाम बदला गया:** इनका नाम बदल कर **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र** और **शौर्य चक्र (1967)** कर दिया गया।
- **लाभ- मासिक भत्ता, यात्रा रियायतें आदि।**

वीरता पुरस्कारों के प्रकार, मानदंड और लाभ

श्रेणी	नाम	विशेषताएं	पात्रता
युद्धकाल	परम वीर चक्र	भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान।	सशस्त्र बलों के अंतर्गत सभी रैंकों के सैन्यकर्मी व सिविलियन।
	महावीर चक्र	दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान।	
	वीर चक्र	तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान।	
शांतिकाल	अशोक चक्र	परम वीर चक्र के समकक्ष।	सशस्त्र बल, पुलिस, सिविलियन।
	कीर्ति चक्र	महावीर चक्र के समकक्ष।	
	शौर्य चक्र	वीर चक्र के समकक्ष।	

- **अन्य विशिष्ट सेवा पदक:** परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, आदि।

8.4. राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games: CWG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) के बारे में

- **आयोजन:** राष्ट्रमंडल देशों के बीच प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित होने वाला बहु-खेल आयोजन।
- **इतिहास:** पहला 1930 में (हैमिल्टन, कनाडा) और 19वां 2010 में (दिल्ली) में आयोजित हुआ था।
- **CWG के पुराने नाम:** ब्रिटिश एम्पायर गेम्स (1930-1950), ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेल (1954-1964), ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल (1970-1974)।

राष्ट्रमंडल के बारे में

- **उत्पत्ति:** 1926 के कॉन्फ्रेंस में **ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्य** का दर्जा स्थापित किया, **ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी के प्रति निष्ठा** रखता था परन्तु ब्रिटिश क्राउन का उनके शासन पर कोई अधिकार नहीं था।
- **सदस्य:** इसमें **56 देश** (भारत सहित) शामिल हैं। 2022 में **गैबॉन और टोगो** शामिल हुए।
- **प्रमुख संगठन: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** (उच्चायुक्त) और **राष्ट्रमंडल सचिवालय** (लंदन)।

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.5.1. विट्ठलभाई पटेल (Vitthalbhai Patel)

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने विट्ठलभाई पटेल के **सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष** (अगस्त 1925) बनने के **100 वर्ष पूरे होने** पर उनके योगदान का स्मरण किया।

विट्ठलभाई पटेल (1873-1933) के बारे में

- **जन्म:** नडियाद (गुजरात)
- **प्रोफाइल:** वह **सरदार वल्लभ भाई पटेल** के बड़े भाई थे तथा एक प्रसिद्ध **राजनेता, वकील और समाज सुधारक** थे।

मुख्य योगदान

- **सुधार:** भारत की स्वतंत्रता हेतु सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाने हेतु वकालत की।
- **परिषद:** वह बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने; 1918 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए।
- **स्वराज पार्टी:** 1922 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया।
- **मेयर:** बॉम्बे नगर निगम (1923 से 1925 तक)।

8.5.2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 (National Film Awards 2023)

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना:** भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापित किया गया था।
- **प्रदानकर्ता:** वार्षिक तौर पर **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **पुरस्कार वर्ग:** फीचर फिल्म, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आदि।
  - **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार:** भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे वर्ष 1969 स्थापित किया गया था।

नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास (Trust in Public Institutions)

परिचय

भारत निर्वाचन आयोग (ECI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी संस्थाओं के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों ने भारत के सार्वजनिक संस्थानों में जनता के घटते विश्वास को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं। **संयुक्त राष्ट्र विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025** यह दर्शाती है कि संस्थागत विश्वास में वैश्विक स्तर पर भारी गिरावट आई है। 1995 और 2022 के बीच के सर्वेक्षण आधारित डेटा के अनुसार, आज वैश्विक आबादी के आधे से अधिक लोगों का अपनी सरकार पर बहुत कम या बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।

विश्वास का क्या अर्थ है?

- OECD विश्वास को इस प्रकार परिभाषित करता है: **"किसी व्यक्ति का यह विश्वास कि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उनके अपेक्षित सकारात्मक व्यवहार के अनुरूप कार्य करेगी।"**
  - विश्वास सामाजिक अनुबंध का एक प्रमुख घटक है, जो शासन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें इसकी प्रकृति, चालकों और परिणामों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।
- **विश्वास के प्रकार:**
  - **क्षैतिज विश्वास:** समुदाय के सदस्यों के मध्य पारस्परिक विश्वास।
  - **ऊर्ध्वाधर विश्वास:** शासकीय संस्थाओं में।
  - **सामाजिक विश्वास:** यह अजनबियों पर एक सामान्यीकृत विश्वास को दर्शाता है।
  - **राजनीतिक विश्वास:** यह संस्थानों और उनके कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास को संदर्भित करता है।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बनाए रखने से जुड़े हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित
नागरिक	सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी, सार्वजनिक भागीदारी, कल्याण, शासन की स्थिरता।
सरकार	उचित नीति निर्माण, वैधता, नीति अनुपालन, प्रभावी कानून प्रवर्तन, सुगम शासन।
नागरिक समाज और मीडिया	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों की मांग।
निजी क्षेत्रक	अनुमान योग्य नियमन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार में कमी, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास के क्षरण के कारण

- **प्रशासनिक संरचनाओं का खराब प्रदर्शन:** सेवाओं की खराब गुणवत्ता, जवाबदेही की कमी, अधिकारों का दुरुपयोग। (द्वितीय ARC रिपोर्ट)
- **व्यापक आर्थिक असुरक्षा:** आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में विफलता सामाजिक अनुबंध को कमजोर करती है तथा कम सुरक्षित समूहों के विश्वास में कमी आती है। **(UNDESA)**
- **राजनीतिक बहिष्करण:** हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच सीमित राजनीतिक प्रभाव, पुनर्वितरण नीतियों या बेहतर सेवाओं की मांग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।
- **घोटाले और भ्रष्टाचार:** संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक हित की बजाय स्वार्थ को प्राथमिकता देने से जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- **भ्रामक सूचना और सोशल मीडिया:** सोशल मीडिया संस्थागत विफलताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, विचारों में हेरफेर करते हैं और चुनाव परिणामों की वैधता में विश्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते है।
- **अकुशल न्यायिक प्रणालियां:** यह विधि के शासन को बाधित करती है और सार्वजनिक संस्थानों को लेकर शिकायतों के समाधान को सीमित करती हैं।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास के प्रमुख चालक

क्षमताएं (Competencies)	
विश्वसनीयता (Reliability)	आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना, डेटा का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए करना, सेवाओं से सामान्य संतुष्टि।
जवाबदेही (Responsiveness)	फीडबैक, नवाचार, साक्ष्य-आधारित निर्णयों के माध्यम से सेवाओं में सुधार।
मूल्य (Values)	
पारदर्शिता (Transparency)	सूचना तक पहुंच, नागरिक भागीदारी, स्पष्ट सुधार।
सत्यनिष्ठा (Integrity)	सरकार के अंगों के बीच जवाबदेही।
निष्पक्षता (Fairness)	सेवाओं, लाभों और विविध समूहों के प्रतिनिधित्व में समान व्यवहार।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को मजबूत करने/ सुधारने के उपाय

- **नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: सामाजिक लेखा परीक्षा** के माध्यम से नीति निर्माण को बढ़ावा देना।
- **जैसे-DBT**
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** ओपन डेटा और **डैशबोर्ड** के माध्यम से।
- **नैतिक शासन सुनिश्चित करना:** समानता और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **स्वतंत्र भ्रष्टाचार-निरोधक निकायों की स्थापना करना:** जैसे- **लोकपाल और लोकायुक्त।**
- **संस्थागत फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** संसद और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य और स्वतंत्र न्यायपालिका होना।
- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं का समाधान करना:** सरकारों द्वारा **नए शासन मॉडल** को अपनाना। जैसे, **तथ्य-जांच इकाइयों** की स्थापना।

निष्कर्ष

विश्वास समाज और प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है। इसका ह्रास "लोकतंत्र का संकट" माना जाता है तथा यह संस्थाओं, उसके कारकों और लोकतांत्रिक गुणवत्ता को कमजोर करता है।

9.2. आवारा कुत्तों के प्रबंधन की नैतिकता (Ethics of Stray Dog Management)

परिचय

वर्ष 2024 में, कुत्तों द्वारा काटने के 37 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। भारत **वैश्विक स्तर पर रेबीज से होने वाली मौतों** में सबसे आगे है। **उच्चतम न्यायालय** ने निर्णय दिया कि कुत्तों के **टीकाकरण** के बाद, उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। ये घटनाक्रम नागरिकों की सुरक्षा और आवारा कुत्तों के संरक्षण को **संतुलित करने** की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

प्रमुख हितधारक और निहित हित

हितधारक	हित
निवासी	**करुणा की** भावना रखना मौलिक कर्तव्य है **{अनुच्छेद 51A(g)},** किंतु सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है; बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को अधिक जोखिम होता है।
पालतू पशुओं के मालिक	परित्याग के माध्यम से समस्या में **योगदान**; जिम्मेदारी पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए समर्थन के माध्यम से समाधान भी पेश करना।
सरकार और उसकी एजेंसियां	**टीकाकरण, नसबंदी** और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण; नगर **निकायों** की जिम्मेदारी (**अनुच्छेद 243(W)** और 246); **NCDC** ने **NAPRE** के तहत **2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य** रखा है।
उच्चतम न्यायालय	सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु अधिकारों में संतुलित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना।
पशु कल्याण संगठन	देखभाल मॉडल को बढ़ावा देना, उन्हें मारने का विरोध करना; **AWBI** ने संशोधित **ABC मॉड्यूल** को प्रकाशित किया है।

आवारा कुत्तों के प्रबंधन में नैतिक मूल्यों का संघर्ष

- **करुणा बनाम सार्वजनिक सुरक्षा:** आवारा कुत्तों को खाना खिलाना उन्हें जीवित रख सकता है, लेकिन यह उनकी आबादी और आक्रामकता को भी बढ़ा सकता है।

- **पशु अधिकार बनाम मानव अधिकार:** पशुओं के जीने का अधिकार **(अनुच्छेद 21, जल्लीकट्टू वाद, 2014)** मनुष्यों के सुरक्षा, संपत्ति और भयमुक्त स्थानों के वैध अधिकारों के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है।
- **कांट का दायित्ववाद बनाम उपयोगितावाद:** कांट पशुओं के लिए सम्मान की मांग करते हैं और उपयोगितावादी मॉडल का विरोध करते है। उपयोगितावादी मॉडल के अंतर्गत मानव सुविधा के लिए पशुओं का बलिदान किया जा सकता है।
- **गैर-हानिकारक दुविधा:** ऐसे समाधानों पर विचार करना चाहिए जो मनुष्यों और पशुओं को होने वाले नुकसान को कम करे, हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है।
- **अधिकार-कर्तव्य के मध्य विरोधाभास:** यद्यपि पशुओं पर कानूनी कर्तव्य लागू नहीं होते, तथापि वे शिशु या दिव्यांग व्यक्ति की तरह ही सुभेद्यता और संवेदनशीलता के कारण अधिकारों के उचित हकदार होते हैं।

आवारा कुत्तों के नैतिक प्रबंधन के उपाय

- **परोपकार का सिद्धांत:** सक्रिय हस्तक्षेपों के माध्यम से पशुओं और मनुष्यों दोनों के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। **पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023** नसबंदी/टीकाकरण पर केंद्रित है; **नीदरलैंड** में आश्रय गृहों से कुत्तों को गोद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए स्टोर से कुत्तों की खरीद पर उच्च कर लगाया गया है।
- **आनुपातिकता और क्रमिक प्रतिक्रिया:** कार्रवाई, साक्ष्यों के आधार पर, जोखिमों के अनुपात में होनी चाहिए और सबसे कम हानिकारक उपायों को बढ़ावा देना चाहिए; उदाहरण के लिए, **दिल्ली-NCR में रेबीज के मामलों में वृद्धि के बाद, उच्चतम न्यायालय ने आश्रय गृह बनाने, और नसबंदी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।**
- **सद्गुण नैतिकता:** संधारणीय प्रथाओं के लिए **करुणा, जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता का विकास** करना।
- **राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन:** रेबीज के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए टियर-1 और टियर-2 शहरों को लक्षित करने वाली एक चरणबद्ध योजना है। इसके तहत, निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है।
- **स्थानीय निकायों और स्वयंसेवकों को सशक्त बनाना:** RWAs, गैर-सरकारी संगठनों को कुत्ते की देखभाल का प्रबंधन करना चाहिए और नागरिक समर्थन को सशक्त बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए स्थानीय शासकीय निकायों, समुदायों और पशु अधिकार समूहों को शामिल करते हुए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो वन हेल्थ अप्रोच के अनुरूप हो।

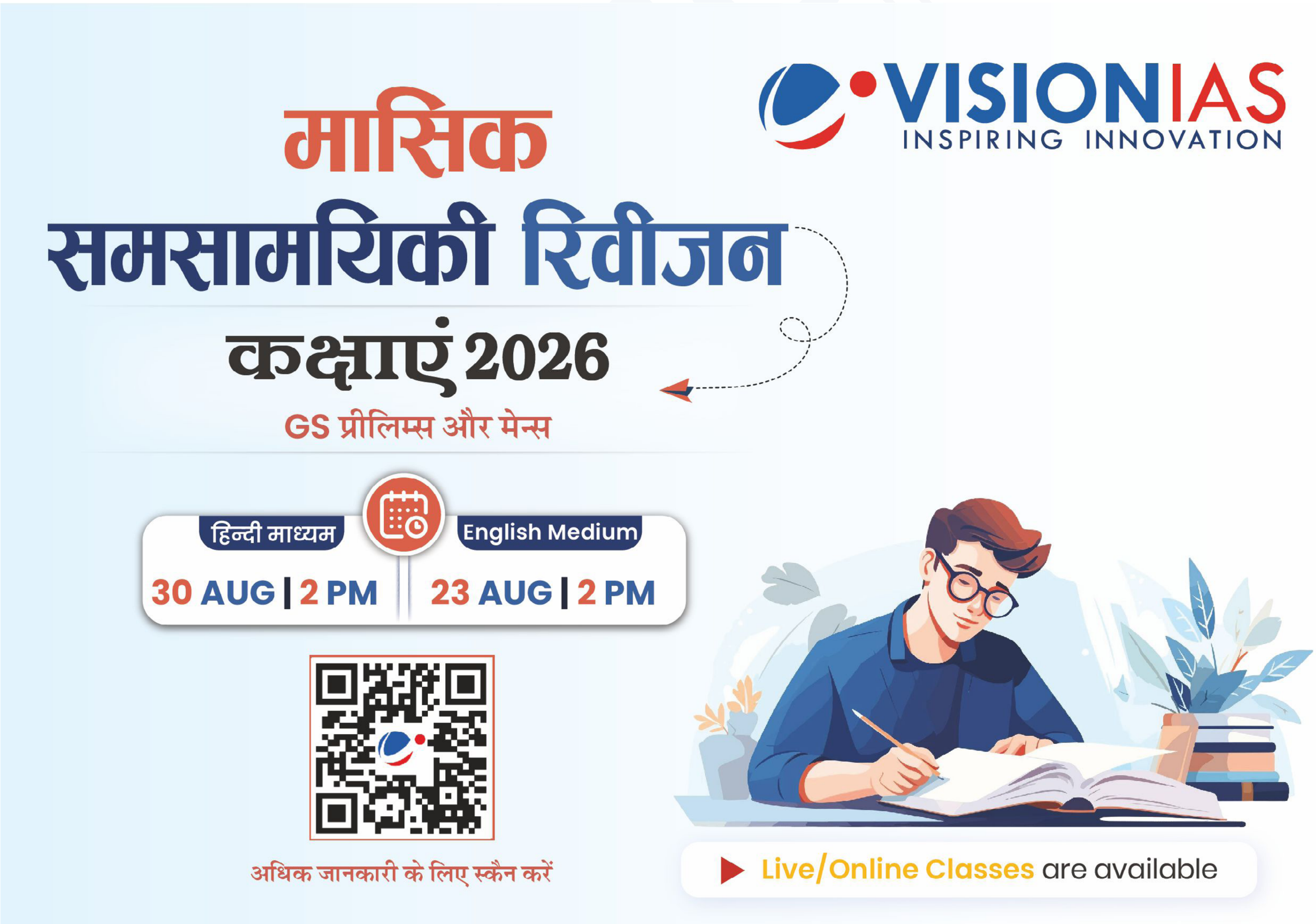

सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Government Schemes)

10.1. प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए **'प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना'** की घोषणा की।

उद्देश्य

- विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रक में **रोजगार सृजन, कौशल विकास, रोजगार क्षमता** और **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार** करना।
- **लक्ष्य:** दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन।
- **नोडल मंत्रालय: EPFO** के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय।

मुख्य विशेषताएं

- **भाग A- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता**
  - **प्रोत्साहन:** एक माह के EPF वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) को दो किस्तों में (6 और 12 महीने की नौकरी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद) प्रदान किया जाएगा।
  - **पात्रता: 1 लाख रुपये प्रति माह** तक के वेतन वाले कर्मचारी।
  - **लाभ:** नौकरी का औपचारिकरण, ऑन-जॉब ट्रेनिंग, बचत की आदत और वित्तीय साक्षरता कौशल में वृद्धि होगी।
    - **भुगतान:** आधार-आधारित प्रणाली के माध्यम से DBT।
- **भाग B - नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन**
  - **नए कर्मचारियों** (1 लाख रुपये तक के वेतन वाले) के संबंध में प्रोत्साहन।
  - **प्रोत्साहन:** दो वर्ष तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करना। (विनिर्माण क्षेत्रक में 4 वर्षों तक विस्तारित)
  - प्रोत्साहन राशि सीधे पैन-लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी।
  - **लाभ:** अतिरिक्त रोजगार सृजन, कार्यबल की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा।

10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2025-26 के लिए PMUY के उपभोक्ताओं** हेतु 12,000 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी।

उद्देश्य

- **BPL परिवारों को LPG कनेक्शन** उपलब्ध कराना।
- **स्वच्छ ऊर्जा** तक पहुंच बढ़ाना; **इनडोर वायु प्रदूषण** और **खाना पकाने के लिए सुरक्षित ईंधन** प्रदान करके **महिलाओं को सशक्त** बनाना।

मुख्य विशेषताएं

- **शुरुआत:** इसे **2016** में, **(8 करोड़ निःशुल्क कनेक्शन प्रदान करना)।**
- **उज्ज्वला 2.0 (2021 में शुरू):** प्रवासी घरों के लिए विशेष सुविधा के साथ 1.6 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन का आवंटन।
- **लक्ष्य (2023-26):** 10.35 करोड़ LPG कनेक्शन।

- **प्रकार: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा OMCs** और **राज्य सरकारों** के सहयोग से संचालित एक प्रकार की केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **पात्रता:** किसी गरीब परिवार की वयस्क महिला (≥18 वर्ष) जिसके पास मौजूदा LPG कनेक्शन नहीं है।
- **प्रवासियों के लिए:** राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, स्व-घोषणा पर्याप्त है।

योजना के लाभ

- **नकद सहायता: 1600** रुपये **(14.2 किलोग्राम)** और **1150 रुपये (5 किलोग्राम)** का **सिलेंडर, रेगुलेटर, LPG रबड़ पाइप, उपभोक्ता कार्ड और इंस्टॉलेशन शुल्क** की लागत शामिल है।
- नि:शुल्क कनेक्शन के साथ **पहला LPG रिफिल और स्टोव (हॉट प्लेट) मुफ्त।**
- **लक्षित सब्सिडी:** प्रति वर्ष **12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम** के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी।
- **अपवर्जन:** वे परिवार जिनके पास पहले से LPG कनेक्शन है या किसी परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है।
- **जागरूकता:** सुरक्षा और लाभों के लिए LPG पंचायत।

उपलब्धियां

- मार्च 2025 तक **पूरे भारत में 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन** दिए गए।
- **वैश्विक मान्यता: IEA और WHO** ने पर्यावरण स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस योजना की सराहना की है।
- **PMUY के लाभार्थी:** SECC सूची 2011 से पहचाने गए परिवार, SC/ST परिवार, PMAY (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना, अत्यंत पिछड़े वर्ग, वनवासी, द्वीप/ नदी-द्वीप के निवासी, चाय बागान और पूर्व चाय-बागान जनजाति, अन्य गरीब परिवार।

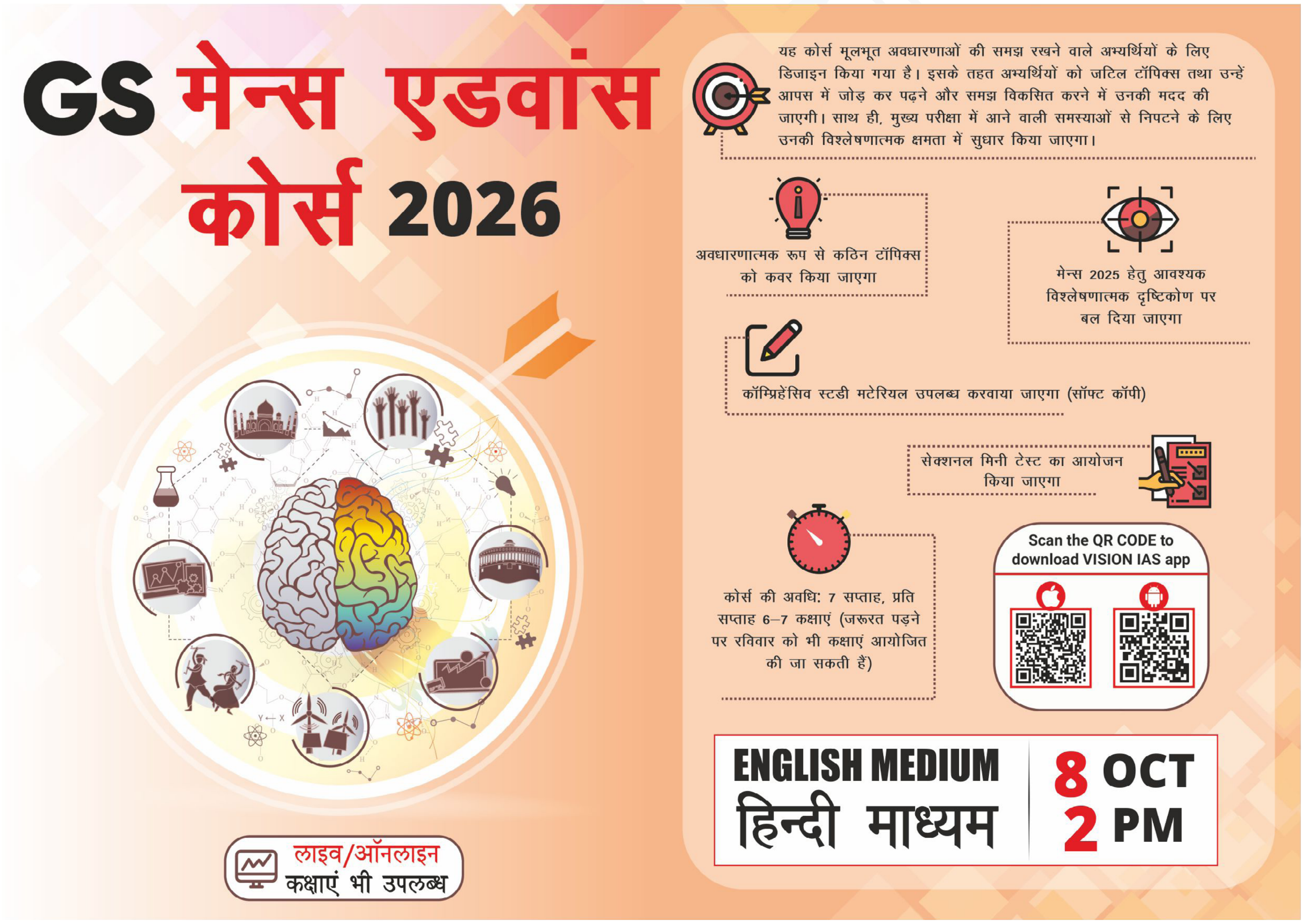

विषय	महत्वपूर्ण तथ्य/आंकड़ें
भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन	**उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान** ➲ **निर्वाचक मंडल:** इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) शामिल होते हैं। ➲ **मतदान प्रणाली:** एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान। ➲ **प्राधिकरण:** निर्वाचन आयोग (ECI) संवैधानिक और विधिक शक्तियों के तहत चुनाव कराता है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)	**NCDC के बारे में** ➲ **उत्पत्ति:** NCDC की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ➲ **कार्य:** NCDC अधिनियम में संशोधन कर निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है, जिससे यह विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की मदद कर सके और अपने वित्तीय आधार को व्यापक बना सके।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025	**प्रक्रिया सुधार के बारे में** ➲ प्रक्रिया सुधार ऐसे **विस्तृत व्यावहारिक बदलाव** होते हैं, जो विशिष्ट नियमों या प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। ➔ संरचनात्मक सुधारों की विपरीत, **जो पूरे तंत्र को परिवर्तित करते हैं, प्रक्रिया सुधार** मौजूदा तंत्र को बेहतर बनाते हैं। ➲ ये छोटे, लक्षित बदलाव होते हैं, जिनका **उद्देश्य विशेष क्षेत्रों या नीतियों में दक्षता लाना होता है।** ➲ **आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21** में जटिल नियमों और अपारदर्शिता के बजाय **सरल विनियमों** और सुचारु प्रक्रियाओं की वकालत की गई थी।
OCI कार्ड से जुड़े नियम कड़े किए गए	**OCI कार्ड के बारे में** ➲ OCI कार्ड शुरुआत 2005 में की गई थी। इसे **नागरिकता अधिनियम, 1955** में संशोधन करके लागू किया गया था। ➔ 2015 में, **PIO कार्ड योजना का विलय OCI के साथ कर दिया गया**; सभी PIO कार्डधारक अब OCI कार्डधारक बन गए। ➲ OCI **दोहरी नागरिकता नहीं है** और इससे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते।
आसियान (ASEAN)	**आसियान के बारे में** ➲ **उत्पत्ति (1967):** इसका गठन बैंकॉक में **आसियान घोषणा** द्वारा किया गया था। ➲ **उद्देश्य: आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति**, शांति, स्थिरता, विधि का शासन; व्यापार, शिक्षा, कृषि, उद्योग में सहयोग। ➲ **सचिवालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया। ➲ **सदस्य:** 10 देश ➲ **संस्थापक:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड।
भारत-सिंगापुर संबंध	**भारत-सिंगापुर संबंध के बारे में** ➲ **राजनयिक संबंध:** भारत ने 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता दी। ➔ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए; इसे 2015 में रणनीतिक साझेदारी और **2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी** में उन्नत किया गया। ➔ **2025 में, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए।** ➲ **रक्षा अभ्यास:** अग्नि वॉरियर (थल सेना) और सिम्बेक्स (नौसेना)।

अलास्का शिखर सम्मेलन	**अलास्का के बारे में** ➲ यह उत्तरी अमेरिका के **उत्तर-पश्चिमी छोर पर** स्थित एक असन्निहित अमेरिकी राज्य है। ➲ इसे **अलास्का संधि 1867 के तहत रूस** से खरीदा गया था। ➲ **समुद्री सीमाएँ: उत्तर में, ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में, अलास्का की खाड़ी और प्रशांत महासागर है, पश्चिम में, बेरिंग सागर तथा उत्तर-पश्चिम में, चुकची सागर है।**
एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD)	➲ भारत **AIBD का संस्थापक सदस्य** है। **भारत का सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती**, AIBD में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि निकाय है।
उत्पाद राष्ट्र (Product Nation)	**उत्पाद राष्ट्र के बारे में** ➲ **परिभाषा:** उत्पाद राष्ट्र ऐसा देश होता है जो **उच्च मूल्य वाले उत्पादों** का **उत्पादन और निर्यात** करता है। ➲ **उद्देश्य:** वह मात्र उपभोक्ता या असेंबलर बनने के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का निर्माता बनने का प्रयास करता है।
रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण	➲ **रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण** से तात्पर्य सीमा-पारीय लेनदेन में रुपये के उपयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया से है। ➲ **वोस्त्रो खाता (Vostro Account):** किसी **विदेशी बैंक का खाता,** जिसे घरेलू बैंक में स्थानीय मुद्रा में खोला जाता है। ➲ **नोस्त्रो खाता (Nostro Account):** किसी **घरेलू बैंक का खाता,** जिसे विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में खोला जाता है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act), 2003	**FRBM अधिनियम के बारे में** ➲ **FRBM अधिनियम राजकोषीय अनुशासन, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है तथा वार्षिक रूप से कैग (CAG) की समीक्षा अनिवार्य करता है।** ➲ FRBM अधिनियम के अनुसार, बजट के साथ संसद के समक्ष निम्नलिखित रखना अनिवार्य है: सामष्टि-आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण।
खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025	**मुख्य संशोधन** ➲ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास न्यास (NMEDT)। ➲ खनन पट्टे में अन्य खनिजों का समावेश। ➲ कैप्टिव माइंस की बिक्री सीमा हटाई गई। ➲ सन्निहित क्षेत्र का समावेश। ➲ खनिज विनिमय की स्थापना।
भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025	**बंदरगाहों के बारे में** ➲ **बंदरगाह नेटवर्क:** 12 प्रमुख बंदरगाह (13वाँ वधावन में निर्माणाधीन है) और लगभग 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं। ➲ **प्रमुख बंदरगाह:** केंद्र सरकार के स्वामित्व में, गैर-प्रमुख बंदरगाह: राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित होते हैं। ➲ **समुद्री व्यापार:** मात्रा की दृष्टि से 95% और मूल्य के दृष्टि से 70% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इसमें प्रमुख बंदरगाहों का हिस्सा 53% और गैर-प्रमुख बंदरगाहों का हिस्सा 47% है।
सगरमाला कार्यक्रम के 10 वर्ष	**सगरमाला कार्यक्रम के बारे में** ➲ **मंत्रालय एवं शुरुआत:** 2015 में, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MOPSW) द्वारा प्रारंभ किया गया था। ➲ **उद्देश्य:** भारत की 11,098 किमी लंबी तटरेखा और 14,500 किमी नौगम्य जलमार्गों का उपयोग कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
RBI का वित्तीय क्षेत्रक के लिए फ्री-AI दृष्टिकोण	**वित्तीय क्षेत्रक के लिए फ्री-AI दृष्टिकोण** ➲ **उद्देश्य:** भारत के वित्तीय क्षेत्रक में सुरक्षित, निष्पक्ष और उत्तरदायी AI अपनाना सुनिश्चित करना। ➲ **7 सूत्र:** AI अपनाने के लिए मूलभूत सिद्धांत – विश्वास, लोग-प्रथम, निष्पक्षता और समानता, उत्तरदायित्व, आदि।
लघु वित्त बैंक सार्वभौमिक लाइसेंस	➲ **सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस:** यह एक ही इकाई के अंतर्गत वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देता है। ➲ **ऐतिहासिक संदर्भ:** अंतिम सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस 2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक (अब IDFC फर्स्ट बैंक) को दिया गया था।
स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (SSRP)	**रिपोर्ट के अनुसार, स्टील स्क्रैप क्षेत्रक से संबंधित मुख्य समस्याएँ** ➲ स्टील स्क्रैप क्षेत्रक का कोई व्यापक डेटाबेस न होना, स्टील स्क्रैप मामलों के लिए कोई नामित नोडल मंत्रालय न होना, औपचारिक स्क्रैप बाजारों की अनुपस्थिति, स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण क्षेत्रक को उद्योग का दर्जा प्राप्त न होना, स्क्रैप कार्यबल के लिए कौशल विकास और प्रमाणन की अपर्याप्तता, स्क्रैप प्रोसेसिंग केंद्रों में पुरानी तकनीक का उपयोग।

अग्नि-5	**अग्नि-5 के बारे में** ➲ यह **परमाणु-सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली** बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें तीन चरणीय ठोस ईंधन इंजन लगे हैं। ➲ **दूरी:** 5,000+ किमी। ➲ **डेवलपर:** DRDO द्वारा IGMDP **(अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश)** के तहत। ➲ **महत्त्व:** भारत को MIRV-सक्षम IRBM शक्ति प्रदान करता है **(जैसे – अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस)।**
SLINEX-25	➲ **यह भारत–श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है।** ➲ **इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी।**
एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS)	**मुख्य घटक** ➲ **त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (QRSAM):** DRDO द्वारा निर्मित, 5–30 किमी रेंज, मोबाइल, गतिमान बख्तरबंद स्तंभों की रक्षा करता है। ➲ **एडवांस्ड वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS):** यह RCI द्वारा निर्मित MANPADS हैं, जो कम ऊँचाई वाले हवाई खतरों को नष्ट करते हैं। ➲ **लेज़र-DEW:** CHESS द्वारा निर्मित, प्रकाश की गति से **लक्ष्य पर लेज़र बीम द्वारा हमला** करते हैं।
ई-मोबिलिटी (E-Mobility)	**भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) के बारे में** ➲ यह राज्यों की ई-मोबिलिटी प्रगति का आकलन करने वाला अपनी तरह का पहला उपकरण है। ➲ यह **16 संकेतकों** को 3 विषयों के अंतर्गत ट्रैक करता है। ➲ **श्रेणियाँ:** अचीवर्स (100), फ्रंट रनर्स (65-99), परफॉर्मर्स (50-64) और एस्पिरेंट्स (0-49) ➲ **2024 की रैंकिंग:** दिल्ली (77) > महाराष्ट्र (68) > चंडीगढ़ और कर्नाटक
भारत का आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग पर संकल्प	**विवेकपूर्ण उपयोग सिद्धांत (रामसर सम्मेलन) बारे में** ➲ **मुख्य सिद्धांत आर्द्रभूमियों** के संरक्षण पर आधारित है। ➲ **परिभाषा: सतत विकास** के तहत **पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोणों** का उपयोग करके आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक विशेषताओं को बनाए रखना। ➲ **अधिदेश:** राष्ट्रीय योजनाएँ, विधायी उपाय, प्रबंधन कार्यवाही, जन जागरूकता।
बादल फटना (Cloudbursts)	➲ यह **अत्यधिक वर्षण** की वह स्थिति है जब कम समय में असामान्य मात्रा में वर्षा होती है। कभी-कभी इसके साथ ओलावृष्टि और तड़ित-झंझा भी आती है, जो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। ➲ **हालिया उदाहरण:** किश्तवाड़ जिला, जम्मू और कश्मीर; चमोली, उत्तराखंड (2025) और हिमाचल प्रदेश (2020)।
शहरी प्रवासन	**प्रवासन की परिभाषा** ➲ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के अनुसार, यह लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से सीमाओं के पार या किसी अन्य राज्य के भीतर किसी नए स्थान पर जाने की प्रक्रिया है। भारत में, जनगणना जन्म स्थान (POB) या अंतिम निवास स्थान (PoLR) के आधार पर प्रवासियों को परिभाषित करती है, यदि यह गणना स्थल से भिन्न है।
मेरिट (MERITE) योजना	**मेरिट (MERITE) योजना के बारे में** ➲ **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना** ➲ **नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय** ➲ नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन को सुधारना।
भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम	**भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में मुख्य तथ्य** ➲ **सुभांशु शुक्ला के बारे में:** वह 2025 में Ax-4 मिशन के जरिए ISS पर जाने वाले पहले भारतीय; राकेश शर्मा (1984) के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय। ➲ **अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग:** कृषि (INSAT, रिसोर्ससैट), आपदा प्रबंधन (DMS), रक्षा (RISAT, GSAT-7), नेविगेशन (NavIC)। ➲ **भारत की पहलें:** भारत अंतरिक्ष नीति 2023, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2035 तक), मानवयुक्त चंद्र अभियान (2040 तक)
होप एनालॉग मिशन	➲ **अवस्थिति:** त्सो कर घाटी, लद्दाख, चूंकि यहाँ मंगल जैसे परिस्थितियां (UV विकिरण, कम वायुदाब, खारा पर्माफ्रॉस्ट) पाई जाती हैं। ➲ **उद्देश्य:** मानव उत्तरजीविता पर शोध, ग्रहों से संबंधित प्रोटोकॉल की जांच, खगोलजीवविज्ञान (Astrobiology) अध्ययन। ➲ **वैश्विक समान उदाहरण:** MDRS (अमेरिका), फ्लैशलाइन आर्कटिक स्टेशन (कनाडा), BIOS-3 (रूस)।

लूनर मॉड्यूल प्रक्षेप वाहन	➲ ISRO का सबसे भारी रॉकेट; 2035 तक तैयार होगा। ➲ **नीतभार: 80 टन (LEO)/27 टन (चंद्रमा)** ➲ **उद्देश्य:** भारत के पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन (2040 तक) को समर्थन देना।
यूरोपीय संघ का AI कोड ऑफ प्रैक्टिस (EU AI Code of Practice)	➲ **स्वैच्छिक समझौता:** 26 कंपनियां (अमेज़ॅन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट)। ➲ **3 मुख्य क्षेत्र:** पारदर्शिता, कॉपीराइट, सुरक्षा एवं संरक्षा। ➲ **संबंधित पहल:** EU AI एक्ट – विश्व का पहला व्यापक AI कानून, जोखिम-आधारित।
ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)	➲ स्टैनफोर्ड का **पासवर्ड-प्रोटेक्टेड 'माइंड-रीडिंग' BCI।** ➲ **अनुप्रयोग:** लकवा से उबरना, मानसिक स्वास्थ्य, गेमिंग, संज्ञानात्मक सुधार। ➲ **चिंताएँ:** साइबर सुरक्षा (ब्रेन टैपिंग), गोपनीयता, न्यूरो-अधिकार (Neurorights)।
श्रेष्ठ पहल (Shresth Initiative)	**श्रेष्ठ सूचकांक के बारे में** ➲ इसे CDSCO **द्वारा शुरू किया गया** है तथा यह राज्य औषधि नियामकों का मूल्यांकन करता है। ➲ **5 पैरामीटर:** मानव संसाधन (HR), अवसंरचना, लाइसेंसिंग, निगरानी, जवाबदेही।
काकोरी ट्रेन एक्शन	**काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में** ➲ यह घटना 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) द्वारा ब्रिटिश धन लूटने हेतु अंजाम दी गई थी। ➲ इसके परिणामस्वरूप रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फाँसी दी गई तथा इस घटना ने HSRA को प्रेरित किया।
वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)	**वीरता पुरस्कार के बारे में** ➲ प्रतिवर्ष दो बार घोषित किए जाते हैं (गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर)। ➲ इसमें परमवीर चक्र (युद्धकालीन वीरता के लिए) और अशोक चक्र (शांतिकालीन वीरता के लिए) शामिल हैं।
राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games)	**मुख्य विवरण** ➲ भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी अहमदाबाद में करेगा। ➲ पहली बार भारत में 1930 में आयोजित किए गए थे। इसके सदस्य देश की संख्या 56 है।

एक्टिविटी ब्लॉक

12.1 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में स्पोर्ट गवर्नेंस को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
2. यह अधिनियम राष्ट्रीय खेल निकायों जैसे राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 के अंतर्गत प्रावधान है:

(a) छोटे अपराधों का अपराधीकरण
(b) आरोप-पत्र के आधार पर सांसदों का निलंबन
(c) प्रत्येक 3 वर्ष में जुर्माने में 10% की स्वतः वृद्धि
(d) मंत्रियों पर प्रत्यक्ष महाभियोग

3. राष्ट्रीय स्पोर्ट गवर्नेंस अधिनियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) के द्वारा खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
2. यह खेल-संबंधी विवादों का निपटान करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

4. आसियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आसियान का गठन 1967 में बैंकॉक में आसियान घोषणा के माध्यम से हुई थी।
2. आसियान का सचिवालय सिंगापुर में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

5. निम्नलिखित में से कौन सा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि (1987) का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(a) यह वायुमंडल में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करती है।
(b) यह 500-5,500 किमी की दूरी तक मारक क्षमता वाली स्थल से प्रक्षेपित मिसाइलों को नष्ट करने का आदेश देती है।
(c) यह यूरोप में मिसाइल रक्षा कवच को प्रतिबंधित करती है।
(d) यह वैश्विक स्तर पर सामरिक परमाणु हथियारों को समाप्त करती है।

6. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे वर्ष 2014 में एक संधि द्वारा गठित किया गया था।
2. यह वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के स्वतंत्र आवागमन को सुनिश्चित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

7. निम्नलिखित देशों में से कौन-से आसियान के सदस्य हैं?

1. इंडोनेशिया
2. थाईलैंड
3. ऑस्ट्रेलिया
4. फिलीपींस

नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए,

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4
(d) केवल 1 और 2

8. भारत में गिग वर्कर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, गिग वर्कर्स को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्यरत कर्मचारी के रूप में परिभाषित करती है।
2. कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025, गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण बोर्ड और निधि के गठन का प्रावधान करता है।
3. भारत में 80% से ज्यादा गिग वर्कर्स अनौपचारिक क्षेत्रक के कर्मचारी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) सभी तीनों
(b) केवल दो
(c) केवल एक
(d) कोई नहीं

9. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. उच्चतर सॉवरेन रेटिंग उधार लेने की लागत को कम करती है और विदेशी निवेश को सुगम बनाती है।
2. सॉवरेन रेटिंग किसी देश के उधार लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

10. लघु वित्त बैंकों (SFBs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. लघु वित्त बैंकों की अवधारणा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इनकी घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी।
2. लघु वित्त बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

11. भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. गुजरात में GIFT सिटी भारत का पहला IFSC है और यह वर्ष 2015 से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में कार्य कर रहा है।
2. IFSCs विदेशी मुद्रा में ऑनशोर और ऑफशोर दोनों वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

12. निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए,
1. आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 भारत में अवैध प्रवासियों के निर्वासन का प्रावधान करता है।
2. भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है, जो शरणार्थियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को नियंत्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

13. भारत में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
2. किसी टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है।
3. सुंदरबन टाइगर रिजर्व अपने हालिया विस्तार के बाद वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3

14. भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन के संदर्भ में,निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. 2024 में, दिल्ली IEMI रैंकिंग में शीर्ष पर रहा था।
3. उन्नत रसायन सेल के लिए PLI योजना (ACC) का उद्देश्य 50 GWh क्षमता वाली बैटरियों के घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना है।
4. कम GST दरों और ऑपरेटर मार्जिन की अनुपस्थिति के कारण सार्वजनिक EV चार्जिंग घरेलू चार्जिंग से सस्ती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4

15. भारत के "आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग" पर प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. जिम्बाब्वे में रामसर COP15 में अपनाया गया प्रस्ताव भारत की मिशन लाइफ पहल के अनुरूप है।
2. COP15 में अपनाया गया "विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र" भारत की आर्द्रभूमि संरक्षण रणनीति के लिए विशिष्ट था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

16. 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण-से-शहरी प्रवास का मुख्य कारण है?
(a) शिक्षा
(b) कार्य
(c) विवाह
(d) प्राकृतिक आपदाएं

17. आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य, आदिवासी नेताओं का एक संवर्ग विकसित करना है जिससे मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन-सा परिणाम प्राप्त हो?
(a) जनजातियों की भूमि का औद्योगीकरण
(b) सरकारी सेवाओं का 100% संतृप्ति
(c) जनजातीय संसाधनों का निजीकरण
(d) जनजातियों का शहरी केंद्रों की ओर पलायन

18. भारत के पहले वाणिज्यिक भू-पर्यवेक्षण (EO) उपग्रह समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसे पूरी तरह से इसरो द्वारा सरकारी वित्तपोषण से विकसित किया जा रहा है।
2. इसमें SAR,मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर से लैस 12 उपग्रह शामिल होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

19. निम्नलिखित में से कौन-से व्यक्तित्व गोस्वामी तुलसीदास जी (1532-1623) के समकालीन थे?
1. सूरदास
2. मीराबाई
3. चैतन्य महाप्रभु
4. संत एकनाथ
5. तुकाराम

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए,
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

20. काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुई थी?
(a) 1920
(b) 1925
(c) 1930
(d) 1942

12.2. सत्य/असत्य (T/F) कथन (True/false Statements)

1. ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 भारत में सभी प्रकार के ऑनलाइन खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। **(T/F)**
2. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड आर.टी.आई. के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। **(T/F)**
3. उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हेतु 20 प्रस्तावक/अनुमोदक तथा ₹15,000 की जमानत राशि की आवश्यकता होती है। **(T/F)**
4. नीपर नदी यूक्रेन के कीव शहर से होकर प्रवाहित होती है। **(T/F)**
5. आर्मीनिया-अज़रबैजान संघर्ष मुख्य रूप से अज़रबैजान में स्थित नागोर्नो-काराबाख पर्वतीय क्षेत्र को लेकर है। **(T/F)**
6. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के अधीन कार्य करता है। **(T/F)**
7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अब तक असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। **(T/F)**
8. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य वस्तुओं का भारांश अधिक होता है जबकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में ईंधन समूह का भारांश अधिक होता है। **(T/F)**
9. सुदर्शन चक्र मिशन का उद्देश्य स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बेड़ा विकसित करना है। **(T/F)**
10. स्लिनेक्स (SLINEX) भारत, श्रीलंका और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। **(T/F)**
11. ड्रेक पैसेज (Drake Passage) दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक प्रायद्वीप को अलग करता है। **(T/F)**
12. माउंट लेवोटोबी मलेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। **(T/F)**
13. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बादल फटने को वर्षा की एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी स्थान पर एक घंटे में 10 से.मी. वर्षा दर्ज की जाती है। **(T/F)**
14. केरल का "डिजी केरलम" कार्यक्रम, जिसने इसे भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनाया, विशेष रूप से केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के शहरी निवासियों पर केंद्रित है। **(T/F)**
15. भारत का रजिस्ट्रार जनरल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत नागरिक पंजीकरण प्रणाली के लिए उत्तरदायी हैं, किंतु जनगणना के संचालन के लिए नहीं। **(T/F)**
16. '400 मिलियन ड्रीम्स' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या के 28.88% थी, जो 2011 के 37.64% से कम है। **(T/F)**
17. होप (HOPE) एनालॉग मिशन को मंगल ग्रह की परिस्थितियों का अनुकरण करने हेतु थार मरुस्थल में स्थापित किया गया था। **(T/F)**
18. हेपेटाइटिस-C वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। **(T/F)**
19. प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में दिल्ली में किया गया था। **(T/F)**
20. अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार है। **(T/F)**

12.3 मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. "प्रक्रियागत सुधार शासन के मूल तत्व हैं।" जन विश्वास विधेयक, 2025 के संदर्भ में उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
2. उभरते हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक परिदृश्य में आसियान (ASEAN) की केंद्रीयता के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। इन तनावों के प्राथमिक कारणों पर चर्चा कीजिए और आसियान की केंद्रीय भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु भारत के लिए रणनीतियां प्रस्तावित कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
3. भारत का महासागर (MAHASAGAR) सिद्धांत राष्ट्रीय हितों को वैश्विक समुद्री शासन के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। हिंद महासागर में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियों के समाधान में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
4. क्षेत्रीय असंतुलन भारत के विकास के समक्ष आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न करते रहते हैं। इन असंतुलनों के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए तथा इन्हें दूर करने हेतु उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
5. रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भारत की पहल को डी-डॉलरीकरण की वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत के लिए इस कदम के लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

6. अग्नि-5 के सफल परीक्षण के आलोक में भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
7. भारत की अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्रक एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरा है, जो इसरो के प्रयासों का पूरक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में निजी कंपनियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए और इस क्षेत्रक में योगदान देने में उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
8. अवैध अप्रवासन भारत के लिए सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक दोनों प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए? (10 अंक, 150 शब्द)
9. हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारकों के कारण अधिक बार और तीव्र होती जा रही हैं। ऐसे घटनाओं के कारण, परिणाम और पूर्वानुमान में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
10. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण को आकार देने में काकोरी ट्रेन एक्शन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
11. भारत की 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की आकांक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
12. एक न्यायपूर्ण और प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साकार होने में भारत किस प्रकार योगदान दे सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
13. नीली अर्थव्यवस्था/ब्लू इकोनॉमी भारत के सतत विकास और समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी क्षमता और संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। सरकार ने इसका दोहन करने के लिए क्या पहल की है? (15 अंक, 250 शब्द)
14. "भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) परिवर्तन केवल वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की तत्परता के बारे में भी है।" वित्तपोषण, अवसंरचना और नीतिगत समर्थन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
15. "हाइपरलूप जैसी उभरती परिवहन प्रौद्योगिकियां क्रांतिकारी गतिशीलता समाधान का वादा करती हैं, लेकिन भारत के लिए गंभीर चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं।" भारत की अवसंरचना और आर्थिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
16. भारत में जनजातीय विकास में निरंतर व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए, आदि कर्मयोगियों जैसे समर्पित जनजातीय कैडर के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह पहल समावेशी शासन के व्यापक लक्ष्यों के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है? (15 अंक, 250 शब्द)
17. भारत में शहरी प्रवासन को प्रेरित करने वाले "पुश" और "पुल" कारकों का परीक्षण कीजिए और मूल तथा गंतव्य दोनों क्षेत्रों पर उनके सामाजिक-आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। इससे जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
18. विश्लेषण कीजिए कि केरल में 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करना अन्य भारतीय राज्यों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास का एक मॉडल कैसे बन सकता है। शासन और नागरिक सशक्तिकरण पर डिजिटल साक्षरता के प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
19. भारत के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की बढ़ती भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
20. भक्ति आंदोलन में गोस्वामी तुलसीदास के योगदान और भारतीय समाज पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। (15 अंक, 250 शब्द)

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Study)

1. आप एक ईमानदार आई.ए.एस. अधिकारी हैं और हाल ही में आपको तीव्र शहरीकरण वाले एक शहर का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो असमानता और कमजोर अवसंरचना से जूझ रहा है। नगर निकाय में सार्वजनिक विश्वास पहले से ही कम है, क्योंकि आपके पूर्ववर्ती को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद हटा दिया गया था।

   आपकी नियुक्ति के कुछ ही दिनों के भीतर, भारी वर्षा के दौरान एक निम्न-आय वाले क्षेत्र में, एक नवनिर्मित फ्लाईओवर ढह गया, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हुए और घर व दुकानें नष्ट हो गए। इस त्रासदी ने जनता के आक्रोश और संस्थाओं के प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया। साथ ही, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के प्रसार ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया। ईमानदार कर्मचारी हतोत्साहित और अनुचित रूप से दोषी ठहराए जाने का अनुभव कर रहे हैं, जिससे राहत कार्य धीमा हो रहा है। इस बीच, सोशल मीडिया पर प्रसारित नकारात्मक धारणाएं नगर प्रशासन की विश्वसनीयता संकट को और बढ़ा रही हैं।

   राज्य के मुख्य सचिव आपको निर्देश देते हैं कि आप संवेदनशीलता के साथ किंतु दृढ़ता से कार्य करें, ताकि राहत कार्य और जनता का विश्वास बहाल हो सके।

   उपर्युक्त मामले के विवरण के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए:

   (a) इस मामले में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों और दुविधाओं की पहचान कीजिए, विशेष रूप से संस्थागत विश्वास के संदर्भ में,

   (b) संकट का प्रबंधन करने और संस्थागत विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने के लिए आप तात्कालिक और दीर्घकालिक रूप से कौन-से कदम उठाएंगे?

   (c) गलत सूचनाओं के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। आप नागरिकों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करने और प्रशासन में विश्वास बहाल करने के लिए इसी मंच का किस प्रकार उपयोग करेंगे?

2. आप एक बड़े भारतीय शहर के नगर आयुक्त हैं, जहाँ हाल ही में कुत्तों के काटने के मामलों और रेबीज से होने वाली संदिग्ध मौतों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। पशु कल्याण संगठन आवारा कुत्तों के किसी भी प्रकार के विस्थापन या वध का विरोध कर रहे हैं। वहीं, निवासी सार्वजनिक सुरक्षा हेतु त्वरित कार्रवाई की माँग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों ने जनता के भय को और बढ़ा दिया है, और आप पर शीघ्र कार्रवाई करने का दबाव है।

   उपर्युक्त मामले के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

   (a) इस मामले में प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं?

   (b) आप सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेंगे?

   (c) संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप एक मानवीय और व्यावहारिक कार्यवाही का सुझाव दीजिए।

13.1. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explanation)

1. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही नहीं है:** खेल विनियमन राज्य सूची (प्रविष्टि 33) के अंतर्गत शामिल है, न कि समवर्ती सूची के अंतर्गत।
- **कथन 2 सही है:** यह अधिनियम विभिन्न खेल निकायों जैसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति और खेल महासंघों के गठन का प्रावधान करता है जो अंतरराष्ट्रीय निकायों से संबद्ध हैं, जिनकी राज्य/जिला स्तर पर इकाइयां हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों द्वारा शासित हैं।

2. उत्तर: C

व्याख्या:

- निवारण बनाए रखने के लिए जुर्माने में प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाती है।

3. उत्तर: C

व्याख्या:

- राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB), निकायों, संबद्ध निकायों को मान्यता देता है, और केवल मान्यता प्राप्त निकायों को ही केंद्रीय वित्तपोषण प्राप्त होता है; यह RTI के अंतर्गत भी आता है।

4. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** आसियान का गठन 1967 में बैंकॉक में हुआ था। इसका सचिवालय जकार्ता में है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है।

5. उत्तर: B

व्याख्या:

- यह संधि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा हस्ताक्षरित हुई थी, इसके तहत स्थल से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों (500-5,500 किमी) को नष्ट करने का आदेश दिया गया था।

6. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) का गठन वर्ष 2014 में एक संधि द्वारा हुआ था।
- **कथन 2 सही है:** यह वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के स्वतंत्र आवागमन को सक्षम बनाता है।

7. उत्तर: A

व्याख्या:

- आसियान के 10 सदस्य: **ब्रुनेई, कंबोडिया,इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।**

8. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** सामाजिक सुरक्षा संहिता पारंपरिक रोजगार से बाहर गिग वर्कर्स को परिभाषित करती है।
- **कथन 2 सही है:** कर्नाटक विधेयक गिग वर्कर्स के लिए एक कल्याण बोर्ड और निधि का प्रावधान करता है।
- **कथन 3 सही है:** नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 82.5% से अधिक गिग वर्कर्स अनौपचारिक क्षेत्रक के कर्मचारी हैं।

9. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** उच्च रेटिंग डिफ़ॉल्ट जोखिम, उधार लेने की लागत को कम करती है और निवेश को आकर्षित करती है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** SCR सलाहकार हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

10. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए लघु वित्त बैंक (SFB) की शुरुआत 2014-15 में हुई थी।
- **कथन 2 सही है:** SFB को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त है और उनका संचालन होता है।

11. **उत्तर: C**

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** GIFT सिटी भारत का पहला IFSC है और 2015 से एक SEZ है।
- **कथन 2 सही है:** IFSCs विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं और IFSCA के अंतर्गत कार्य करते हैं।

12. **उत्तर: A**

व्याख्या

- **कथन 1 सही है:** आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 भारत में अवैध प्रवासियों के निर्वासन का प्रावधान करता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** 2025 का यह अधिनियम निर्वासन का अधिकार देता है, जबकि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

13. **उत्तर: B**

व्याख्या:

- **कथन 1 सही नहीं है:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत टाइगर रिजर्व को **राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित** किया जाता है, केंद्र द्वारा नहीं।
- **कथन 2 सही है:** धारा 38W (1) के अनुसार, सीमाओं में परिवर्तन के लिए **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** की सिफारिश और **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** की स्वीकृति आवश्यक है।

14. **उत्तर: B**

व्याख्या:

- **कथन 1 सही नही है:** IEMI तीन श्रेणियों के अंतर्गत **16 संकेतकों** पर नज़र रखता है: परिवहन विद्युतीकरण प्रगति (माँग), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी, और EV अनुसंधान एवं नवाचार (आपूर्ति पक्ष)। इसलिए यह केवल मांग पर आधारित नहीं है।
- **कथन 2 सही है:** 2024 के लिए, दिल्ली (77) सर्वोच्च स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र (68), चंडीगढ़ और कर्नाटक का स्थान है।
- **कथन 3 सही है:** PLI-उन्नत रसायन विज्ञान सेल योजना आयात कम करने के लिए **50 GWh घरेलू बैटरी विनिर्माण** का समर्थन करती है।
- **कथन 4 सही नही है:** 18% GST + ऑपरेटर मार्जिन के कारण सार्वजनिक चार्जिंग घरेलू चार्जिंग से लगभग 4 गुना महंगी है।

15. **उत्तर: A**

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** यह प्रस्ताव वास्तव में भारत द्वारा ग्लासगो (2021) में COP26 में शुरू किए गए मिशन LiFE के अनुरूप है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** विक्टोरिया फॉल्स घोषणा COP15 का एक सामान्य परिणाम था जिसमें आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को स्वीकार किया गया था, न कि भारत की आर्द्रभूमि रणनीति के लिए विशिष्ट है।

16. **उत्तर: C**

व्याख्या:

- विवाह (जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 29%)।

17. **उत्तर: B**

व्याख्या:

- सड़क संपर्क और आयुष्मान भारत जैसी सरकारी सेवाओं की 100% संतृप्ति।

18. **उत्तर: B**

व्याख्या:

- **कथन 1 सही नहीं है:** पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने PPP मॉडल के तहत भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक भू-पर्यवेक्षण उपग्रह प्रणाली (EOSS) बनाने के लिए IN-SPACe प्रस्ताव जीता है।
- **कथन 2 सही है:** यह 12 अत्याधुनिक EO उपग्रहों का एक समूह है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में प्रक्षेपित करने की योजना है। यह पैनक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) सेंसर से लैस होगा।

19. **उत्तर: D**

व्याख्या:

- **सभी विकल्प सही हैं:** सूरदास (लगभग 1478-1583); मीराबाई (लगभग 1498-1546/47); चैतन्य महाप्रभु (1486-1534); संत एकनाथ (1533-1599); तुकाराम (लगभग 1598-1650)।

20. **उत्तर: B**

व्याख्या:

- काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त, 1925 को काकोरी (लखनऊ के पास) में हुई थी। इस घटना के तहत लखनऊ में ब्रिटिश सरकार के लिए राजकोषीय धन ले जा रही ट्रेन को लूटा गया था।

13.2. सत्य/असत्य (T/F) कथनों के उत्तर (True/false Answers)

उत्तर

1. F	**2. T**	**3. T**	**4. T**	**5. T**	**6. T**	**7. T**	**8. T**	**9. F**	**10. F**
11. T	**12. F**	**13. T**	**14. F**	**15. F**	**16. T**	**17. F**	**18. T**	**19. F**	**20. T**

13.3. मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण (Approach to the Mains Practice Questions)

1. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** प्रक्रियागत सुधारों को परिभाषित कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** जन विश्वास विधेयक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जैसे गैर-अपराधीकरण, युक्तिसंगत दंड, वाहन जुर्माना संशोधन, आदि। इनकी आवश्यकताओं की भी चर्चा कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** नियमित हितधारक परामर्श और तकनीक को अपनाने जैसे सुझावों के साथ आगे की राह लिखिए।

2. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** आसियान के 1967 के विजन और केन्द्रीयता का उल्लेख करते हुए उत्तर आरंभ कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** तनाव के कारणों को स्पष्ट कीजिए और भारत की भूमिका की चर्चा कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत-आसियान तालमेल का उल्लेख कीजिए।

3. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के महत्व (व्यापार, EEZ, तेल) का उल्लेख करते हुए उत्तर आरंभ कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** महासागर सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए और IOR से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** एक आशावादी आगे की राह का सुझाव प्रस्तुत कीजिए, जैसे UNCLOS के अनुरूप मुक्त, खुला, समावेशी महासागर।

4. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** क्षेत्रीय असंतुलनों को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इन असंतुलनों के कारणों और उनके परिणामों पर प्रकाश डालिए।
   - **निष्कर्ष:** वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों सहित क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

5. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और डी-डॉलरीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उत्तर आरंभ कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं सहित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** इसके प्रोत्साहन हेतु किए जाने वाले उपायों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

6. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** अग्नि-5 की विशेषताओं, रेंज, MIRV क्षमता का परिचय दीजिए।
   - **मुख्य भाग:** सामरिक बल कमान और परमाणु सिद्धांत में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए, फिर समझाइए कि यह चीन और पाकिस्तान के संबंध में सामरिक संतुलन कैसे प्रदान करता है।
   - **निष्कर्ष:** आधुनिकीकरण, उत्तरजीविता, त्रिपक्षीय तत्परता जैसे आगे की राह बताइए।

7. **दृष्टिकोण**
   - **भूमिका:** 2024-25 में 23% हिस्सेदारी से संबंधित आंकड़े प्रदान करते हुए उत्तर आरंभ कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** निजी क्षेत्रक की बढ़ती भागीदारी जैसे सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), DAP 2020, iDEX, कॉरिडोर के पीछे के कारकों के साथ-साथ उनके महत्व और संबंधित चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** एक संतुलित आगे की राह प्रस्तुत कीजिए।

8. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** भारत में अवैध अप्रवासन समस्या का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक कारणों तथा शरणार्थी कानून की कमी जैसे कारकों और उनके प्रभावों की सूची बनाएं।
   - **निष्कर्ष:** नए उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

9. **दृष्टिकोण**
   - **भूमिका:** बादल फटने को परिभाषित कीजिए और हाल की घटनाओं का उल्लेख कीजिए।
   - **मुख्य भाग:** बादल फटने के कारणों (प्राकृतिक कारक, जलवायु परिवर्तन, मानव जनित कारक, आदि) पर प्रकाश डालिए और फिर इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। साथ ही, बादल फटने के पूर्वानुमान की चुनौतियों के बारे में लिखिए।
   - **निष्कर्ष:** यह बताएं कि प्रतिक्रिया आधारित राहत से सक्रिय लचीलेपन की ओर परिवर्तन की आवश्यकता और समन्वय पर प्रकाश डालिए।

10. **दृष्टिकोण**
    - **भूमिका:** हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) द्वारा एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना के रूप में काकोरी ट्रेन कार्रवाई पर संक्षेप में भूमिका लिखिए।
    - **मुख्य भाग:** घटना के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
    - **निष्कर्ष:** इस कार्रवाई की भूमिका को क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करने, एकता को बढ़ावा देने और आगामी प्रतिरोध को प्रभावित करने के संदर्भ में संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए।

11. **दृष्टिकोण:**
    - **भूमिका:** हाल ही में पारित किए गए अधिनियम के संदर्भ में भूमिका प्रस्तुत कीजिए।
    - **मुख्य भाग:** वर्तमान शासन चुनौतियों की जाँच कीजिए। तत्पश्चात, अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं, जैसे राष्ट्रीय मानक निकाय (NSB), न्यायाधिकरण और आचार संहिता, पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अंत में, अधिनियम से जुड़े महत्व और चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

- **निष्कर्ष:** खिलाड़ी-केंद्रित शासन के लिए एक रोडमैप के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

12. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** वर्तमान वैश्विक असमानताओं (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन) का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** उत्तर-दक्षिण विभाजन, तकनीकी अंतराल जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, और नई वैश्विक व्यवस्था (G-4 सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज़, रियो घोषणा) के निर्माण में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** समतामूलक वैश्विक व्यवस्था के लिए भारत को एक सेतु शक्ति के रूप में रेखांकित कीजिए।

13. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** नीली अर्थव्यवस्था/ब्लू इकोनॉमी की परिभाषा के साथ उत्तर आरंभ कीजिए।
- **मुख्य भाग:** इसकी क्षमता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इसके दोहन के लिए की गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपायों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

14. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को 200 अरब डॉलर के अवसर के रूप में प्रस्तुत कीजिए; और IEMI द्वारा प्रगति के मानक (benchmarks) का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
  - **वित्तपोषण:** उच्च पूंजीगत लागत, संयुक्त निधि, लीजिंग और BAS मॉडल।
  - **अवसंरचना:** चार्जिंग अवसंरचना की कमी, DISCOM और RWA के बीच समन्वय, 20 प्रमुख कॉरिडोर की आवश्यकता।
  - **नीतिगत समर्थन:** GST में कटौती, पीएम ई-ड्राइव, पीएम ई-बस सेवा, PLI योजनाएँ और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ।
- **निष्कर्ष:** परिवर्तन के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारी आवश्यक है - प्रौद्योगिकी, वित्त, अवसंरचना, जागरूकता - जो स्थिरता लक्ष्यों के साथ जुड़े हों।

15. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** हाइपरलूप (वैक्यूम-आधारित उच्च गति परिवहन, 1200 किमी/घंटा क्षमता) को परिभाषित कीजिए। IIT-मद्रास और महाराष्ट्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** अवसरों और चुनौतियों का विवरण दीजिए।
- **निष्कर्ष:** हाइपरलूप आशाजनक है, लेकिन इसे भारत की विकासात्मक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

16. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** योजना के विजन और लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए।
- **मुख्य भाग:** अंतरालों का विश्लेषण कीजिए (जैसे, अनुसूचित जनजातियों में उच्च गरीबी, बजट वृद्धि के बावजूद कमजोर सेवा वितरण)। यह बताएं कि कैडर इन्हें कैसे संबोधित करता है (सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ग्राम सभा की भागीदारी, सेवाओं का संतृप्तिकरण)।
- समावेशी शासन (जैसे, अभिसरण, मार्गदर्शन, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) से संबंध पर भी चर्चा कीजिए।
- **निष्कर्ष:** इसे सतत राष्ट्र-निर्माण और जनजातीय ज्ञान-संरक्षण से जोड़ते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

17. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** प्रवासन को परिभाषित करते हुए प्रमुख आंकड़ों (जैसे, 35% शहरी प्रवास) को प्रस्तुत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** पुश फैक्टर (जैसे, बेरोजगारी, आपदाएँ) और पुल फैक्टर (जैसे, नौकरियां, शिक्षा) के बारे में विवरण दीजिए; परिणाम (सकारात्मक: GDP योगदान, प्रेषण; नकारात्मक: अनौपचारिक क्षेत्र की कमजोरियाँ, मलिन बस्तियां, भेदभाव)।
- उठाए गए कदमों का सुझाव दीजिए (जैसे, ई-श्रम जैसी सरकारी पहल, कार्य समूह की सिफारिशें)।
- **निष्कर्ष:** संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

18. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** डिजी केरलम और अक्षय प्रोजेक्ट के माध्यम से केरल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
- **मुख्य भाग:** प्रभावों पर प्रकाश डालिए (जैसे, CSC के माध्यम से दक्षता, DBT/UPI के माध्यम से वित्तीय समावेशन, लोकतांत्रिक भागीदारी, आजीविका)।
- **मॉडल:** सभी उम्र के लोगों के लिए समावेशी दृष्टिकोण, अनुकरणीय परियोजनाएँ।
- **चुनौतियाँ:** अन्य राज्यों में डिजिटल विभाजन।
- **निष्कर्ष:** डिजिटल इंडिया लक्ष्यों के लिए स्केलिंग का समर्थन करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

19. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 निजी स्टार्टअप को बढ़ावा देती है।
- **मुख्य भाग:** अवसरों का विवरण दीजिए। फिर व्यापक रूप से चुनौतियों की व्याख्या कीजिए।
- **निष्कर्ष:** सतत निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने की कुंजी है।

20. दृष्टिकोण:
- **भूमिका:** संक्षेप में बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास कौन थे और भक्ति आंदोलन क्या था।
- **मुख्य भाग:** उनके योगदान का विवरण दीजिए।
- **निष्कर्ष:** इसके समकालीन सांस्कृतिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

13.4. केस स्टडी हेतु दृष्टिकोण (Approach to Case Studies)

1. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** नेतृत्व जैसे नैतिक शब्दों को परिभाषित कीजिए।
   - **मुख्य भाग:**
     - नैतिक मुद्दों और दुविधाओं की पहचान कीजिए: सार्वजनिक विश्वास बनाम प्रशासनिक विश्वसनीयता, जवाबदेही बनाम मनोबल, समानता और न्याय, सत्य बनाम दुष्प्रचार और पेशेवर सत्यनिष्ठा।
     - तात्कालिक और दीर्घकालिक कदमों की चर्चा कीजिए।
     - सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर विवरण दिजीए।
   - **निष्कर्ष:** सार्वजनिक विश्वास और अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाने के उपाय लिखिए।

2. **दृष्टिकोण:**
   - **भूमिका:** स्वास्थ्य के अधिकार और पशु अधिकारों दोनों के साथ सतत सह-अस्तित्व के संदर्भ में लिखिए।
   - **मुख्य भाग:**
     - **सार्वजनिक सुरक्षा बनाम पशु अधिकार, कानून का शासन बनाम जनता द्वारा दबाव, न्याय एवं समानता तथा मीडिया नैतिकता** जैसे प्रमुख नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
     - **समझाइए कि आप सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेंगे।**
     - इसके पश्चात् अल्पकालिक और दीर्घकालिक मानवीय और व्यावहारिक कार्रवाई का सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
   - **निष्कर्ष:** कुत्तों के टीकाकरण, आदि द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सहानुभूति और संतुलन की नैतिक अवधारणा का उल्लेख कीजिए।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

2026 | ENGLISH MEDIUM 7 SEPTEMBER | हिन्दी माध्यम 7 सितम्बर

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQ's				
ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स				

मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.

प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर	
इस महीने का स्कोर	
किस क्षेत्र में सुधार हुआ	

रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष	
सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र	
अगले महीने के लिए लक्ष्य	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

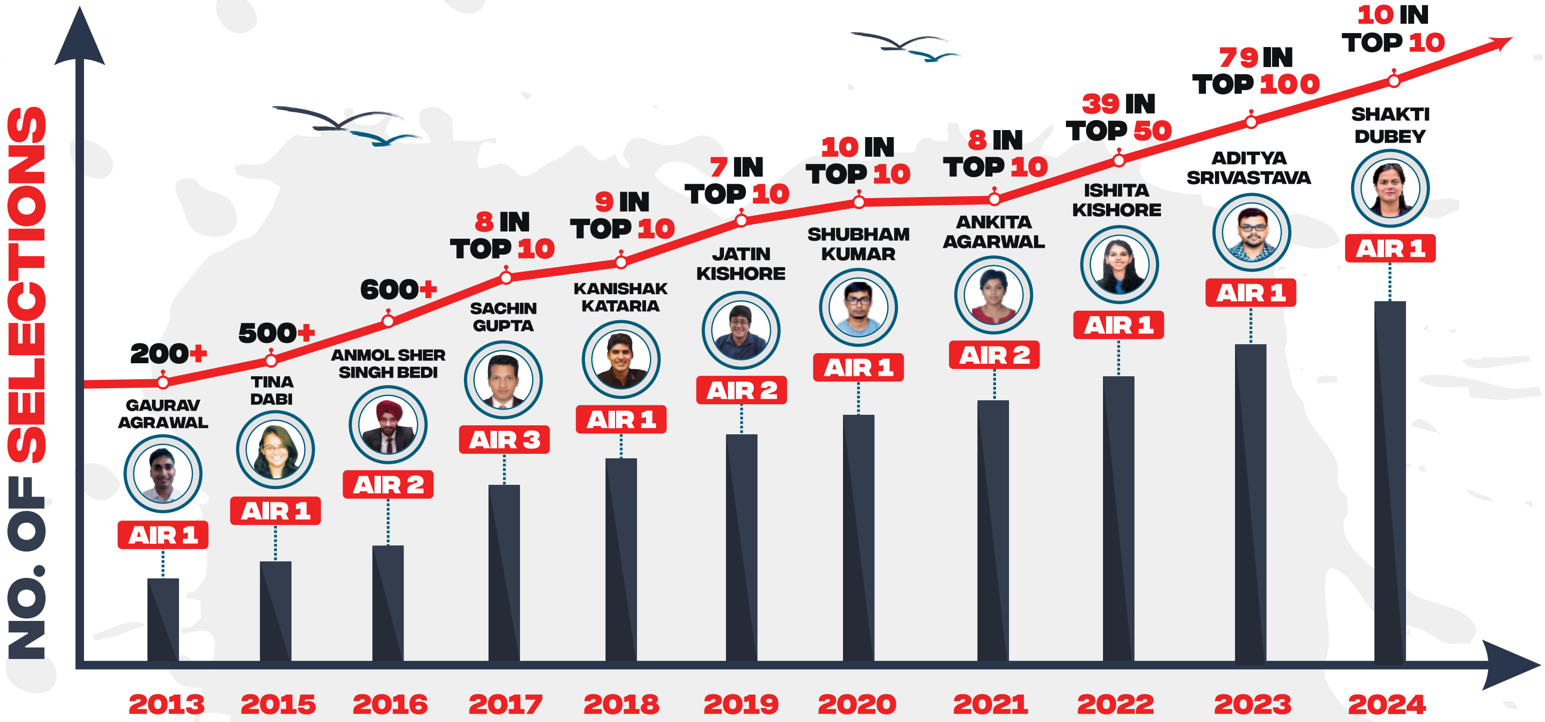

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS

2026, 2027 & 2028

DELHI : 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM | 9 SEPT, 11 AM | 18 SEPT, 8 AM | 25 SEPT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 29 JULY, 6 PM | 22 AUG, 6 PM

हिन्दी माध्यम 11 सितम्बर, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 25 AUG | BHOPAL: 18 AUG

CHANDIGARH: 18 JUNE | HYDERABAD: 3 SEP | JAIPUR: 5 & 10 AUG

JODHPUR: 15 SEP | LUCKNOW: 29 AUG | PUNE: 14 JULY

2027, 2028 & 2029

DELHI
22 SEPTEMBER | 5 PM

Scan QR code for instant personalized mentoring

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 15 सितम्बर

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Shakti Dubey

2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

4 AIR
Shah Margi Chirag

5 AIR
Aakash Garg

6 AIR
Komal Punia

7 AIR
Aayushi Bansal

8 AIR
Raj Krishna Jha

9 AIR
Aditya Vikram Agarwal

10 AIR
Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR
Ankita Kanti

182 AIR
Ravi Raaz

438 AIR
Mamata

448 AIR
Sukh Ram

509 AIR
Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE (DELHI)
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias